C O N T E N T S

Fifteenth Series, Vol. XXV, Tenth Session, 2012/1934 (Saka)
No. 25, Wednesday, May 9, 2012/Vaisakha 19, 1934 (Saka)

SUBJECT	PAGES
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 461 to 480	3-59
Unstarred Question Nos. 5291 to 5520	60-429

* Due to continuous interruptions in the House, starred questions could not be taken up for oral answers. Therefore these starred questions were treated as unstarred questions.

PAPERS LAID ON THE TABLE **430-439**

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBER'S BILLS AND RESOLUTIONS
26th Report **439**

STANDING COMMITTEE ON AGRICULTURE
Statements **440-441**

STANDING COMMITTEE ON FINANCE
56th Report **441**

STANDING COMMITTEE ON SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
27th Report **442**

STANDING COMMITTEE ON HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
246th Report **442**

STATEMENT BY MINISTER
Issue of persecution of
Hindus in some parts of pakistan
Shri S.M. Krishna **443-444**

SUBMISSION BY MEMBERS
Re: Need to provide adequate storage facilities for foodgrains and issue of sufficient quantities of jute bags for packing in the country 445-466

MATTERS UNDER RULE 377 **471-489**

(i) Need to take steps for making Wayanad in Kerala a tourist destination of global standards.

Shri M.I. Shanavas 471- 472

(ii) Need to realign the Kollam-Theni National Highway as per the proposal submitted by the Government of Kerala.

Shri Kodikkunnil Suresh 473

(iii) Need to continue the Technology Upgradation Fund Scheme in the interest of cotton thread mills and farmers in Maharashtra.

Shri Datta Meghe 474

(iv) Need to simplify the procedure for issuance of Kisan Credit Card to farmers particularly in Kota Parliamentary Constituency, Rajasthan.

Shri Ijyaraj Singh 475

(v) Need to construct Over Bridges and Under Bridges by Railways from their own funds without State's share and to construct the ROB/RUB in Dewas and Shujalpur city in Madhya Pradesh.

Shri Sajjan Verma 476

(vi) Need to inspect the works carried out under Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana in Sultanpur Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh and complete the electrification works as per norms.

Dr. Sanjay Singh 477

(vii) Need to include Periyar, Chalakkudy and Kadambrayar rivers in Kerala in the National River Conservation Plan.

Shri K.P. Dhanapalan 478-479

(viii) Need to establish an Indian Institute of Management in Jalgaon, Maharashtra.

Shri Haribhau Jawale 480

(ix) Need to construct a bridge each at Gosaibigha and Ohari Ghat on river Sakri in Nawada, Bihar.

Dr. Bhola Singh 481

(x) Need to regularize the services of employees working on daily wages under Archaeological Survey of India, Goa

Shri Shripad Yesso Naik 482

(xi) Need to celebrate the birthday of Sri Basaveshwara, a great saint of Karnataka.

Shri Shivarama Gouda 483-484

(xii) Need to ensure free treatment of economically poor people in private hospitals in Delhi which have been allotted land on subsidized rates.

Shrimati Sushila Saroj 485

(xiii) Need to provide electricity in district Balia, Uttar Pradesh by Power Grid Corporation of India.

Shri Ramashankar Rajbhar 486

(xiv) Need to connect roads in border districts of Bihar with National Highways.

Shri Maheshwar Hazari 486

(xv) Need to expedite construction work of hydro-electric projects on Krishnarajasagar dam at Sivasamudram and Mettur dam at Hogenakkal in Tamil Nadu.

Shri R. Thamaraiselvan 487

(xvi) Need to take necessary steps for setting up of more Food Parks in Punjab.

Shrimati Paramjit Kaur Gulshan 488

(xvii) Need to declare Calcutta Medical College in West Bengal as an institute of national importance and excellence and to allocate funds for the purpose.

Dr. Tarun Mandal 489

RIGHT OF CHILDREN TO FREE AND COMPULSORY EDUCATION (AMENDMENT) BILL, 2012

Motion to Consider	**490-592**
Shri Kapil Sibal	**490-498**
	584-592
Dr. Kirit Premjibhai Solanki	**499-502**
Shri Kodikunnil Suresh	**503-507**
Shri Shailendra Kumar	**508-511**
Dr. Baliram	**512-514**
Shrimati Meena Singh	**515-517**
Dr. Ratna De	**518-520**
Shri Lalu Prasad	**521-525**
Shrimati J. Helen Davidson	**526-528**
Shri P.K. Biju	**529-533**
Shri Bhartruhari Mahtab	**534-539**
Shrimati Supriya Sule	**540-543**
Shri C. Rajendran	**544-546**
Shri Prabodh Panda	**547-548**
Shri Rattan Singh Ajnala	**549-551**
Shri Virendra Kumar	**552-555**
Shrimati Priya Dutt	**556-558**
Shri Jagdanand Singh	**559-560**
Shri Narahari Mahato	**561-563**
Shri Ajay Kumar	**564-566**
Shri Mohammed E.T. Basheer	**567-569**
Shri Jose K. Mani	**570-571**
Yogi Aditya Nath	**572-574**
Shri Asaduddin Owaisi	**575-577**

Shri Charles Dias	**578-580**
Dr. Tarun Mandal	**581-583**
Clauses 2 to 8 and 1	**591-592**
Motion to Pass	**592**

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions	613
Member-wise Index to Unstarred Questions	614-618

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions	619
Ministry-wise Index to Unstarred Question	620-621

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Meira Kumar

THE DEPUTY SPEAKER

Shri Karia Munda

PANEL OF CHAIRMEN

Shri Basu Deb Acharia

Shri P.C. Chacko

Shrimati Sumitra Mahajan

Shri Inder Singh Namdhari

Shri Francisco Cosme Sardinha

Shri Arjun Charan Sethi

Dr. Raghuvansh Prasad Singh

Dr. M. Thambidurai

Dr. Girija Vyas

Shri Satpal Maharaj

SECRETARY GENERAL

Shri T.K. Viswanathan

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Wednesday, May 9, 2012/Vaisakha 19, 1934 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MADAM SPEAKER in the Chair]

… (*Interruptions*)

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय अध्यक्ष महोदया, किसानों को जूट बैग उपलब्ध नहीं हो रहे। …(व्यवधान) आज किसान आंदोलन पर हैं। …(व्यवधान)

11.0 ½ hrs.

At this stage Shri Shailendra Kumar and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप पहले प्रश्न काल चलने दीजिए।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : पहले प्रश्न काल चलने दीजिए।

…(व्यवधान)

11.01 hrs

At this stage, Shri S. Semmalai and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : अनंत कुमार जी, आप अपना प्रश्न पूछिये।

…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go in record.

(Interruptions) … *

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदया, यशवंत सिन्हा जी जो प्रश्न उठा रहे हैं, वह बहुत महत्वपूर्ण है। …(व्यवधान) माननीय प्रधान मंत्री जी और सदन के नेता उसका जवाब दें। …(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : पहले आप प्रश्न काल चलने दीजिए।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अनंत कुमार जी, आप अपना प्रश्न पूछिये।

---

* Not recorded.

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अनंत कुमार जी, आप पहले अपना प्रश्न नम्बर बताइये।

…(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार: अध्यक्ष महोदया, यशवंत सिन्हा जी जो प्रश्न उठा रहे हैं, वह बहुत महत्वपूर्ण है।..(व्यवधान) उसका जवाब तुरंत दिया जाये। …(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Please take your seats.

… (*Interruptions*)

SHRI ANANTH KUMAR: Madam, definitely I will ask my question. But, at the same time, what hon. Shri Yashwant Sinhaji is raising is an important question before the Government. … (*Interruptions*) Madam, the hon. Prime Minister and the Leader of the House are present here. Let them answer that question. Please bring the House in order. I will definitely ask my question. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 1200 noon.

11.02 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Twelve of the Clock.

12.00 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Twelve of the Clock.

(Madam Speaker *in the Chair*)

MADAM SPEAKER: Now, Papers to be laid. Shri Ajit Singh.

… (*Interruptions*)

PAPERS LAID ON THE TABLE

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION (SHRI AJIT SINGH): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Airports Authority of India and the Ministry of Civil Aviation for the year 2012-2013.

(Placed in the Library See No. LT 6746/15/12)

(2) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-

(i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Pawan Hans Helicopters Limited, New Delhi, for the year 2010-2011.

(ii) Annual Report of the Pawan Hans Helicopters Limited, New Delhi, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

(Placed in the Library See No. LT 6747/15/12)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI V. NARAYANASAMY): I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-

(1) Review by the Government of the working of the Antrix Corporation Limited, Bangalore, for the year 2010-2011.

(2) Annual Report of the Antrix Corporation Limited, Bangalore, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in the Library See No. LT 6748/15/12)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRIMATI D. PURANDESWARI): I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Council of Rural Institutes, Hyderabad, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Council of Rural Institutes, Hyderabad, for the year 2010-2011.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in the Library See No. LT 6749/15/12)

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Technical Teachers' Training and Research, Kolkata, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Technical Teachers' Training and Research, Kolkata, for the year 2010-2011.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

(Placed in the Library See No. LT 6750/15/12)

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Technical Teachers' Training and Research, Bhopal, for the year 2010-2011.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Technical Teachers' Training and Research, Bhopal, for the year 2010-2011.

(6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

(Placed in the Library See No. LT 6751/15/12)

(7) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology Delhi, Delhi, for the year 2010-2011, together with Audit Report thereon.

(8) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.

(Placed in the Library See No. LT 6752/15/12)

(9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology Patna, Patna, for the year 2008-2009, alongwith Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Technology Patna, Patna, for the year 2008-2009.

(10) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (9) above.

(Placed in the Library See No. LT 6753/15/12)

(11) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Mizoram University, Aizawl, for the year 2010-2011, together with Audit Report thereon.

(12) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (11) above.

(13) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Nagaland University, Lumami, for the year 2010-2011.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Nagaland University, Lumami, for the year 2010-2011.

(14) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (13) above.

(Placed in the Library See No. LT 6754/15/12)

(15) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology Indore, Indore, for the year 2010-2011.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Technology Indore, Indore, for the year 2010-2011.

(16) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (15) above.

(Placed in the Library See No. LT 6755/15/12)

(17) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Kendriya Vidyalaya Sangathan, New Delhi, for the year 2010-2011.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Kendriya Vidyalaya Sangathan, New Delhi, for the year 2010-2011, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Kendriya Vidyalaya Sangathan, New Delhi, for the year 2010-2011.

(18) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (17) above.

(Placed in the Library See No. LT 6756/15/12)

(19) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Technology, Kurukshetra, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Technology, Kurukshetra, for the year 2010-2011.

(20) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (19) above.

(Placed in the Library See No. LT 6757/15/12)

(21) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Uttarakhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad (Sarva Shiksha Abhiyan

Uttarakhand), Dehradun, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Uttarakhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad (Sarva Shiksha Abhiyan Uttarakhand), Dehradun, for the year 2010-2011.

(22) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (21) above.

(Placed in the Library See No. LT 6758/15/12)

(23) A copy of the Corrigendum* (Hindi and English versions) of the Annual Report of the National University of Educational Planning and Administration New Delhi, for the year 2010-2011.

(Placed in the Library See No. LT 6759/15/12)

(24) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Bihar Mahila Samakhya Society, Patna, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Bihar Mahila Samakhya Society, Patna, for the year 2010-2011.

(25) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (24) above.

(Placed in the Library See No. LT 6760/15/12)

(26) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Assam Mahila Samata Society, Guwahati, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.

---

* The Annual Report and Audited Accounts were laid on 27.12.2011

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Assam Mahila Samata Society, Guwahati, for the year 2010-2011.

(27) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (26) above.

(Placed in the Library See No. LT 6761/15/12)

(28) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Jharkhand Mahila Samakhya Society, Ranchi, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Jharkhand Mahila Samakhya Society, Ranchi, for the year 2010-2011.

(29) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (28) above.

(Placed in the Library See No. LT 6762/15/12)

(30) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Gujarat Mahila Samakhya Society, Ahmedabad, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Gujarat Mahila Samakhya Society, Ahmedabad, for the year 2009-2010.

(31) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (30) above.

(Placed in the Library See No. LT 6763/15/12)

(32) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology, Kanpur, for the year 2010-2011.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology, Kanpur, for the year 2010-2011, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Technology, Kanpur, for the year 2010-2011.

(33) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (32) above.

(Placed in the Library See No. LT 6764/15/12)

(34) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology Kharagpur, Kharagpur, for the year 2010-2011.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Technology Kharagpur, Kharagpur, for the year 2010-2011.

(35) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (34) above.

(Placed in the Library See No. LT 6765/15/12)

(36) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology Bombay, Mumbai, for the year 2010-2011.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Technology Bombay, Mumbai, for the year 2010-2011.

(37) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (36) above.

(Placed in the Library See No. LT 6766/15/12)

(38) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rashtriya Madhyamik Shiksha Abiyan Chhattisgarh, Raipur, for the year 2009-2010 alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Rashtriya Madhyamik Shiksha Abiyan Chhattisgarh, Raipur, for the year 2009-2010.

(39) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (38) above.

(Placed in the Library See No. LT 6767/15/12)

(40) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rashtriya Madhyamik Shiksha Abiyan Chhattisgarh, Raipur, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Rashtriya Madhyamik Shiksha Abiyan Chhattisgarh, Raipur, for the year 2010-2011.

(41) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (40) above.

(Placed in the Library See No. LT 6768/15/12)

(42) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Bihar Madhyamik Shiksha Parishad, Patna, for the years 2009-2010 and 2010-2011 alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Bihar Madhyamik Shiksha Parishad, Patna, for the years 2009-2010 and 2010-2011.

(43) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (42) above.

(Placed in the Library See No. LT 6769/15/12)

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): महोदया, मैं वर्ष 2012-13 के लिए डाक विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(Placed in the Library See No. LT 6770/15/12)

THE MINISTER OF COAL (SHRI SHRIPRAKASH JAISWAL): On behalf of my colleague Shri Pratik Prakashbapu Patil, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 28 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957:-

(i) G.S.R. 816(E) published in Gazette of India dated 17th November, 2011, specifying that the powers of the Central Government under Rules 9 and 11 of the Colliery Control Rules, 2004 shall also be exercised by the Coal Controller in the Government of India.

(ii) The Colliery Control (Amendment) Rules, 2011 published in Notification No. G.S.R. 817(E) in Gazette of India dated 17th November, 2011.

(iii) G.S.R.818(E) published in Gazette of India dated 17th November, 2011, rescinding the Colliery Control Order, 2000, with immediate effect, such rescission shall not affect anything done or omitted to be done under the said Order before this Notification.

(iv) S.O.2920(E) published in Gazette of India dated 30th December, 2011, superseding Notification No. S.O. 453(E) dated 16th June, 1994.

(Placed in the Library See No. LT 6771/15/12)

(2) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Neyveli Lignite Corporation Limited and the Ministry of Coal for the year 2012-2013.

(Placed in the Library See No. LT 6772/15/12)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EARTH SCIENCES (SHRI ASHWANI KUMAR): I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Consultancy Development Centre, New Delhi, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Consultancy Development Centre, New Delhi, for the year 2010-2011.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in the Library See No. LT 6773/15/12)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI MILIND DEORA): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Telecommunications Consultants India Limited and the Department of Telecommunications for the year 2012-2013.

(Placed in the Library See No. LT 6774/15/12)

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Centre for Development of Telematics (C-DOT), New Delhi, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Centre for Development of Telematics (C-DOT), New Delhi, for the year 2010-2011.

(3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

(Placed in the Library See No. LT 6775/15/12)

(4) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 37 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997.

(i) The Telecom Commercial Communications Customer Preference (Seventh Amendment) Regulations, 2011 published in Notification No. 352-4/2011-CA(QoS) in Gazette of India dated 25th October, 2011.

(ii) The Telecom Commercial Communications Customer Preference (Eighth Amendment) Regulations, 2011 published in Notification No. 352-4/2001-CA(QoS) in Gazette of India dated 1st November, 2011 together with a Corrigendum thereto published in Notification No. F. No. 352-4/2011-CA(QoS) (in English version only) dated 23rd January, 2012.

(iii) The Telecom Consumers Complaint Redressal (Amendment) Regulations, 2012 published in Notification No. 305-20/2009- Qos in Gazette of India dated 12th January, 2012.

(iv) The Telecom Consumers Protection (Amendment) Regulations, 2012 published in Notification No. 308-5/2011- (QoS) in Gazette of India dated 12th January, 2012.

(v) The Telecom Consumers Complaint Redressal Regulations, 2012 published in Notification No. 305-20/2009-(QoS) in Gazette of India dated 5th January, 2012.

(vi) The Telecom Consumers Protection Regulations, 2012 published in Notification No. 308-5/2011-(Qos) in Gazette of India dated 6th January, 2012.

(5) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at item No. (i) and (ii) of (4) above.

(Placed in the Library See No. LT 6776/15/12)

12.02 hrs

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

26th Report

SHRI S. SEMMALAI (SALEM): Madam, I beg to present the Twenty-sixth Report (Hindi and English versions) of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions.

12.02½ hrs

STANDING COMMITTEE ON AGRICULTURE
Statements

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदया, मैं कृषि संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों पर सरकार द्वारा-की-गई कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

1. कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की "कृषि उपज की मूल्य निर्धारण नीति" के बारे में 41वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी तीसरा प्रतिवेदन।
2. कृषि मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) की "भारत में कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों में वैश्विक जलवायु परिवर्तन का प्रभाव" के बारे में 47वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी दसवां प्रतिवेदन।
3. कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 13वां प्रतिवेदन।
4. कृषि मंत्रालय (पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 14वां प्रतिवेदन।
5. कृषि मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) की अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 15वां प्रतिवेदन।
6. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 16वां प्रतिवेदन।
7. कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 17वां प्रतिवेदन।
8. कृषि मंत्रालय (पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में सातवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 18वां प्रतिवेदन।
9. कृषि मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) की अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में आठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 19वां प्रतिवेदन।

10. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में नौवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 20वां प्रतिवेदन।
11. कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की "मानसून की कमी तथा कृषि क्षेत्र पर उसके प्रभाव को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों" के बारे में 11वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 27वां प्रतिवेदन।
12. कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में 22वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 28वां प्रतिवेदन।
13. कृषि मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) की अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में 23वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 29वां प्रतिवेदन।

अध्यक्ष महोदया : अच्छा है, बहुत अच्छा है।

12.03 hrs

STANDING COMMITTEE ON FINANCE
56TH Report

श्री यशवंत सिन्हा (हज़ारीबाग): महोदया, मैं "धन-शोधन निवारण (संशोधन) विधेयक, 2011" के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति (2011-12) का 56वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.03 ½ hrs

STANDING COMMITTEE ON SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

27th Report

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): महोदया, मैं अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से संबंधित "बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की योजना" के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2011-2012) का 27वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.03 ¾ hrs

STANDING COMMITTEE ON HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

246th Report

SHRI MOHAMMED E.T. BASHEER (PONNANI): I beg to lay on the Table the Two Hundred Forty-sixth Report (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Human Resource Development on Demands for Grants (2012-13) of the Department of Higher Education.

12.04 hrs

STATEMENT BY MINISTER

Issue of persecution of hindus in some parts of pakistan

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI S.M. KRISHNA): Hon. Madam Speaker, I rise to inform this august House that Government has from time to time come across reports on the problems faced by members of the minority communities in Pakistan. Incidents of persecution and intimidation of the minority communities have also been reported. Recently, in separate incidents, three hindu girls in Sindh province have reportedly been abducted and married against their will to Muslim men after being forcefully converted to Islam. This issue is a matter of concern to the Government and is being taken up appropriately with the Government of Pakistan.

In the past, we have also seen of reports of kidnapping and killing of members of the minority communities and desecration/encroachment of their places of religious worship in Pakistan. It is the responsibility of the Government of Pakistan to discharge its constitutional obligations towards its citizens, including those from the minority community.

While, the Simla Agreement of 1972 between India and Pakistan specifically provides for non-interference in each other's internal affairs, nevertheless, based on reports of persecution of minority groups in Pakistan, Government has taken up the matter with the Government of Pakistan in the past. The Government of Pakistan stated that it was fully cognizant of the situation and looked after the welfare of its citizens, particularly the minority community.

I also wish to inform this House that according to a Government of Pakistan Press Release, President of Pakistan has taken serious note of the reports of the kidnapping of a Hindu girl from Mirpur Mathelo District Ghotki in Sindh and allegedly being forced by some influential people of the area to convert; and called for a report from the provincial government. The President also called for transparent and expeditious investigations in the matter and to take action in

accordance with the law regardless of the influence and status of anyone involved in criminal activity. Several Members of Parliament, NGOs and civil society in Pakistan have also expressed grave concern on the incidents and called for implementation of laws to protect the rights of the minorities in that country.

Madam Speaker, In November 2011, on the killing of three Hindu doctors in Sindh, the President of Pakistan had called for a report on the incident and directed immediate arrest of the people responsible for the killings. He had also said that it was the moral and legal responsibility of the Government to protect members of minority community against vandalism and atrocities. In August 2011, while speaking on the occasion of the 'Minorities' Day' in Pakistan, Prime Minister Yousuf Raza Gilani said, I quote: "Unfortunately some extremist elements with a view to advancing their own narrow and bigoted agendas have targeted the minorities. The Government, however, stands fully committed to foil the designs of these extremist elements. The perpetrators of the crime against the minority community anywhere in Pakistan - must be brought to justice and they will be".

While it is our hope that the Government of Pakistan will discharge its constitutional duties towards its minority communities, in view of the purely humanitarian nature of this issue, we appeal to the people and Government of Pakistan to take all possible steps to protect the constitutional rights of their minorities by ensuring their safety, security and well being.

(Placed in Library, See No. LT 6777/15/12)

12.09 hrs

SUBMISSION BY MEMBERS

Re: Need to provide adequate storage facilities for food grains and issue of sufficient quantities of jute bags for packing in the country

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): अध्यक्ष महोदया, आज देश के सामने किसानों से संबंधित एक गंभीर सवाल है। सरकार की कोशिश रही कि देश में किसी भी तरह से अन्न की पैदावार बढ़े। पंजाब से लेकर पूरे देश के किसानों ने अन्न की पैदावार बढ़ाई है लेकिन अन्न की पैदावार के मामले में उत्तर प्रदेश की विशेष भूमिका रही है। उत्तर प्रदेश में पहले बहुत कम पैदावार होती थी लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अन्न की पैदावार उत्तर प्रदेश में हो रही है। लेकिन क्या ज्यादा पैदावार करने की सजा उत्तर प्रदेश के किसानों को मिलेगी? हर साल किसानों के साथ यही हो रहा है और हर साल यहां हम यह सवाल उठाते हैं। आज किसान ज्यादा अन्न पैदा करके बेचना चाहता है, कांटे भी प्रदेशों में लगे हुए हैं, सरकार खरीदारी भी कर रही है लेकिन सबसे बड़ी बाधा यह है कि अन्न के लिए बोरा नहीं है, किसान गेहूं किसमें भरे? आज न अन्न के लिए पर्याप्त गोदाम हैं न ही पर्याप्त बोरे हैं। ऐसी स्थिति मैं 10-12 साल से देख रहा हूं। सरकार इस पर गंभीर नहीं है। आज माननीय प्रधान मंत्री जी और नेता सदन से व्यक्तिगत रूप से मैंने बात की और उन्होंने स्वीकार किया कि इस तरह की समस्या है।

मेरा सरकार से आग्रह है कि इस समस्या का समाधान अगर आप अभी से करेंगे तो शायद यह समस्या अगले साल न आये। गोदामों का बनाना और बोरे की समस्या का समाधान करना सरकार की जिम्मेदारी है। आज किसान को इतनी बड़ी सजा मिल रही है, वह अपने अन्न को कहां ले जाए, बारिश आने वाली है और कहीं-कहीं बारिश शुरू भी हो गयी है। नतीजा यह होगा कि गेहूं सड़ेगा। एक तरफ लोग अन्न के बिना भूख से मर रहे हैं और दूसरी तरफ अन्न बेकार जाएगा, सड़ेगा, इससे ज्यादा विडम्बना की स्थिति ओर क्या हो सकती है? आज यह स्थिति हमारे देश में है।

इसलिए अध्यक्ष महोदया जी, हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि आप सीधे सरकार को निर्देश दीजिए कि किसानों के लिए बोरा और अनाज रखने के लिए गोदामों का इंतजाम करे। चाहे अन्न के बोरे रखने के लिए रेलवे के गोदाम मांगे जाएं या दूसरी जगह अन्न के बोरे रखने के लिए उपलब्ध कराई जाए, लेकिन किसान का पूरा का पूरा अन्न गोदामों में रखा जाए - यह हमारी मांग है। हमारे और भी साथी इस विषय पर अपनी बात रखेंगे।

अध्यक्ष महोदया : श्री आर.के.सिंह पटेल, श्री नीरज शेखर, श्री राधे मोहन सिंह एवं श्री नामा नागेश्वर राव

को मुलायम सिंह जी के विषय के साथ सम्बद्ध किया जाता है।

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर (मुरैना): अध्यक्ष महोदया जी, पूरे देश में ही अन्न का उत्पादन बढ़ा है लेकिन विशेष रूप से पिछले 5-6 सालों में मध्य प्रदेश में गेहूं और धान का उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ा है। पिछले वर्ष मध्य प्रदेश में 49 लाख मीट्रिक टन की खरीद की गयी थी और इस बार भी मध्य प्रदेश 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद कर केन्द्रीय पूल में देने का लक्ष्य तय कर चुका है। मध्य प्रदेश सरकार में किसानों को राहत देने के लिए अनेकों व्यवस्थाएं की गयी हैं। किसानों का रजिस्ट्रेशन किया गया है, उन्हें एसएमएस करके मंडी में समय निर्धारित करके बुलाया जाता है, ई-पेमेंट की व्यवस्था की गयी है। किसानों का माल तुलता है और उसके खाते में पैसा जमा हो जाता है। लेकिन केन्द्र सरकार की अदूरदर्शिता के कारण आज मध्य प्रदेश में बोरे की उपलब्धता नहीं है। किसान मंडी में खड़ा हुआ लाचार है, उद्वेलित है और ऊपर से मौसम भी बार-बार प्रतिकूल हो जाता है। कब पानी बरस जाएगा, कब किसान का अनाज खराब हो जाएगा, यह चिंता किसा की भी है, सरकार की भी है। मध्य प्रदेश सरकार ने आंकलन किया और आंकलन करने के बाद।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

*(Interruptions)** ...

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्य की बात के अलावा कुछ रिकार्ड में नहीं जाएगा।

*(Interruptions)** ...

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: अध्यक्ष महोदया, 269 हजार बोरों की गठानें खरीदने के लिए 4 करोड़ 78 लाख रुपया केंद्र सरकार को अग्रिम जमा करा दिया गया है। रुपया जमा कराने के बावजूद भी समय पर बोरियों की उपलब्धता नहीं हो पा रही है। मुख्यमंत्री जी दिल्ली आए थे और केंद्रीय मंत्री जी से मिले। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने भी इस विषय को सदन में बार-बार उठाया और संबंधित मंत्रिगण से भी बातचीत की। सरकार ने आश्वासन दिया कि 30 अप्रैल तक आपको 61 हजार गठानें उपलब्ध करा देंगे, फिर कहा 5 मई तक उपलब्ध करा देंगे, लेकिन आज तक 61 हजार बोरों की गठानों में से एक भी रैक मध्य प्रदेश में नहीं लगा है। इस कारण मध्य प्रदेश में लॉ एंड आर्डर की स्थिति खराब हो रही है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि पिछली बार भी अनाज सड़ गया था और केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने स्वीकार भी किया था और माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी संज्ञान लिया था। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देशित भी किया था, लेकिन केंद्र सरकार ने उन निर्देशों का पालन

* Not recorded

नहीं किया। पूरे देश में आज फिर अनाज सड़ने की समस्या खड़ी होने वाली है। केंद्र सरकार की अदूरदर्शिता और अग्रिम योजना न होने के कारण यह परिस्थिति खड़ी हो रही है। मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार और श्री प्रणब मुखर्जी सदन के नेता सदन में बैठे हैं, उनसे भी आग्रह करना चाहता हूं कि शीघ्रातिशीघ्र बोरों की सप्लाई सुनिश्चित की जाए, जिससे कि किसानों को मदद मिल सके और सरकार भी जिस संकट के दौर से गुजर रही है, उससे उबर सके।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भण्डारण की जो परेशानी है, वह भी केंद्र सरकार की अदूरदर्शिता के कारण है। बड़ी मात्रा में वेयर हाउसेस बनाने का काम करना चाहिए। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि केंद्र सरकार अगर इस मामले में ध्यान न दे, तो महोदया आप कृपया इस मामले में हस्तक्षेप करें।

अध्यक्ष महोदया : श्री राकेश सिंह, श्री कीर्ति आजाद, योगी आदित्यनाथ जी, श्री सैय्यद शाहनवाज हुसैन, श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र, श्री भूपेन्द्र सिंह, श्री शिवराज भैया, श्री के.डी. देशमुख, श्रीमती जयश्रीबेन पटेल, श्रीमती ज्योति धुर्वे, श्री देवजी एम. पटेल, श्री बालकिशन खांडेराव शुक्ला, श्री अर्जुन राम मेघवाल, श्री जितेन्द्र सिंह बुंदेला, श्री हरी मांझी, डॉ. वीरेन्द्र कुमार, श्री अशोक अर्गल और श्री गणेश सिंह अपने आपको श्री नरेन्द्र सिंह तोमर द्वारा उठाए गए विषय से सम्बद्ध करते हैं।

श्री शरद यादव (मधेपुरा): अध्यक्ष महोदया, यह मामला पिछले चार दिन से लगातार सदन में उठाया जा रहा है। एक बात तो साफ हो गई है कि जूट बैग का बड़ा संकट देश के सामने है। अभी भाई मुलायम सिंह जी और श्री तोमर ने इस सवाल को ज्यादा सदन के सामने रखा है। एक बात जरूर है कि जूट बैग फूड ग्रेंस के लिए रिजर्व था। सरकार के साथ कई वर्षों से प्लास्टिक बोरी वाले लाबी कर रहे हैं। हालत बहुत गंभीर है और मैं कहना चाहता हूं कि केवल यही एक मामला नहीं है। मामला यह है कि जो अतिरिक्त सरप्लस उत्पादन हुआ है, उसके लिए पिछले तीन वर्षों से हमने कोई बड़ी योजना नहीं बनाई है। प्रणब बाबू मेरी जानकारी में स्टोरेज कैपेसिटी केवल 19 फीसदी है। बोरे तथा स्टोरेज कैपेसिटी दोनों अनिवार्य चीजें हैं। जब से दुनिया का बाजार डगमगाया है, अकेले हिंदुस्तान के किसान ने हर विपरीत परिस्थिति में, जब हर तरह से लागत ज्यादा हुई, इसके बावजूद भी उसने इस देश की आन, बान और शान को बनाए रखा। पेट की समस्या देश की सबसे बड़ी समस्या है। इस बारे में कई बार बहस हो चुकी है। गरीबी का मामला बहुत विकट है। विजुअल मीडिया सबसे अच्छा एक ही काम करता है कि अनाज के सर्वे को और भुखमरी को दिखाने का काम करता है। इससे देश का जो शासक वर्ग है, वह इसके जरिए ही जान पाते है कि देश की क्या हालत है।

प्रणब बाबू कल जवाब दे रहे थे, मुझे अफसोस है कि कुछ कारण से मैं यहां कल नहीं था। मैंने जो बात आपसे कही थी कि जो गोदाम हैं, ये जो वेअरहाउसेज हैं, गोदाम बनाने के लिए आपने सब्सिडी का 2009 में काम किया। क्या एक मीटिंग बुलाकर आप इसे नहीं देख सकते? नाबार्ड जो है, वह हमें बता रहा है कि इस बार सब्सिडी नहीं मिलेगी। यानी यह पहला कदम है जूट बैग और जो दूसरा कदम जिसका मुलायम सिंह जी ने जिक्र किया कि यह जो खाद्यान्न है, पिछली बार भी सड़ा है और आगे भी सड़ेगा। यह कहां रखा जाए और नहीं रखा जाए तो इसके डाइवर्सिफिकेशन का, किसी तरह से इसे काम में लाने के लिए हम यह कानून के दायरे में ही क्यों कर रहे हैं?

मैं एग्रीकल्चर और फूड मिनिस्ट्री का मंत्री रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे जमाने में इतना अनाज था और यहां यसवंत सिन्हा जी बैठे हुए हैं, यहां पर आडवाणी जी बैठे हुए हैं, मैंने 24 घंटे लगकर उस अनाज को डिसबर्स करने के कई रास्ते बनाये। क्या आप नहीं बना सकते? आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, वह कहां पहुंचा? आपकी जीडीपी है, वह कहां पहुंची? कल जो आप सबसे अपील कर रहे थे, वह सिर्फ इस मामले में कर रहे थे कि बाजार कैसे टिक जाए? जो डीजल है, जब आप बजट रख रहे थे, तो मैंने पिछली बार आपसे कहा कि मॉल वालों को डीजल की सब्सिडी क्यों मिल रही है? होटल वालों को सब्सिडी क्यों मिल रही है? सैल टॉवर वालों को सब्सिडी आप क्यों दे रहे हैं? वे बाजार से कमा रहे हैं। आप इससे बेहतर किसान को क्यों नहीं राहत देते?

आप डीजल के दाम बढ़ाइए लेकिन आप इस वर्ग को देखिए कि जो हर तरह की दिक्कत में काम करता है। आप इस बात को देखिए कि जो अनाज सरप्लस में पैदा हुआ है, मैं प्रणब बाबू, खास तौर से आपसे कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में एक ही हिस्सा जो ईमानदार है और जो 80 फीसदी है, वह किसान है और उसके साथ मेहनत करने वाला मजदूर है जो पसीना बहाता है। वही आपकी लाज रखे हुए है। वही सारे देश की स्थिति में आपको कई खतरे से निकाले हुए है। हमारे जमाने में 3 वर्ष सूखा पड़ा। आज महाराष्ट्र में सूखा पड़ा हुआ है। अनाज आपके पास काफी पड़ा हुआ है। आप डाइवर्सिफिकेशन का रास्ता क्यों नहीं बनाते? मुझे बुलाइए। मुझे अनुभव भी है। यहां बहुत लोगों को किसान के बारे में अनुभव है। हम जमीन से आए हुए लोग हैं। हमसे बड़ी समझ प्लानिंग कमीशन के इन बैठे हुए लोगों में और अधिकारीगण में नहीं है।...(व्यवधान) हमें बुलाइए। हम आपको रास्ता बता देंगे लेकिन हिन्दुस्तान के अनाज की तबाही इस तरह से मत होने दीजिए। एक तरफ लोग भूखों मर रहे हैं और देश में अनाज सड़ रहा है, जैसे पिछली बार भी काफी अनाज सड़ा। कोई 19 करोड़ कहता है और कोई 70 करोड़ कहता है। वह भी सही सही पता नहीं चलता। आज सरप्लस कितना है, वह भी आप नहीं बताते हैं। कहते हैं कि बम्पर क्रॉप

हुई। हमारा कहना है कि यदि बम्पर क्रॉप हुई तो कितनी हुई? आपके पास कितना अनाज स्टोरेज में है? आपके पास सरप्लस कितना अनाज होगा और उसे कहां रखेंगे? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बोरी मिल जाएगी। गेहूं का इलाका 40 करोड़ किसानों का है। आज चावल के बाद सबसे बड़ा उत्पादन इस देश में गेहूं का है। हमने उसको गेहूं से अलग करने का कोई उपाय नहीं किया। जो किसान गेहूं में उत्पादन करता है और हम जो सब्सिडी देते हैं, वह सब्सिडी आप हर तरह के मामले में, जैसे यह जो आप डीजल पर सब्सिडी दे रहे हैं, सारे बड़े होटलों को दे रहे हैं, इनमें किस बात के लिए आप सब्सिडी दे रहे हैं? कारखानों को टिकाये रखने के लिए सब्सिडी देते हैं लेकिन जब किसान का सवाल आता है तो आप गंभीर ही नहीं हैं यानी हिलेरी क्लिंटन दुनिया भर में अपने बाजार के लिए जा रही हैं, चारों तरफ जा रही नं लेकिन आपके पास जो पूंजी है, हजारों वर्ष की जो विरासत है, जो किसान ने परम्परागत तरीके से अनाज पैदा किया है, उस अनाज को आप संभाल नहीं सकते। उस अनाज को आप देश में जो गरीब और भूखे लोग हैं, उनको नहीं दे सकते। सारे लोग कहते हैं, लेकिन सरकार पर असर नहीं होता। कोर्ट कहती है तो कहा जाता है बेकार फालतू बात कह रहे हैं, कैसे बंटेगा? अरे, हमने बांटा है। हम आपको बताएंगे। आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए और 1-2 घंटे के लिए नहीं बल्कि 4-5 घंटे के लिए बुलाइए। हमको बोलने का मौका दीजिए। आप पार्टी के हिसाब से बुलवाते हैं। उसमें हमें कई बार समय ही नहीं मिलता है।...(व्यवधान) हम 40 वर्ष से यहां हैं। सरकार हमारी समझ और हमारे अनुभव को भी नहीं देखती है।

प्रणब बाबू, मैं आपके कमरे में दो बार गया। आप नहीं मिल पाए। हो सकता है आप काम में लगे हों। लेकिन उसमें से एक भी काम ऐसा नहीं है जिससे देश आगे बढ़ रहा हो। लेकिन एक काम है जिसकी चिंता आपको है और वह है बजट का घाटा जो बढ़ता जा रहा है, आपका बाजार ठप्प हो गया और हर चीज ठप्प हो गई। अकेला यह किसान है, यह हिन्दुस्तान का अकेला मेहनतकश हिस्सा है जो महंगाई से त्रस्त है और हर तरह की दिक्कत के बावजूद भी आपके स्वाभिमान को बचाये हुए हैं। आप उसकी इतनी सी भी चिंता नहीं करेंगे कि उसने इतनी मेहनत से सारी चीजें की हैं और उनको आप ठीक से संभाल नहीं सकते। प्रणब बाबू, सब चीजों को छोड़कर आप किसान की चिंता करिए। हम सब चीजों पर आपको माफ कर सकते हैं। लेकिन आप इस किसान की चिंता कर लीजिए। आपकी सरकार को भी फायदा होगा। हमको लाभ हो या न हो, लेकिन हिन्दुस्तान को लाभ होगा क्योंकि हजारों वर्ष की हिन्दुस्तान की खेती है। सिंचाई का तरीका हमारा अलग है। लेकिन आप अनाज को सहेजने का काम भी ठीक से नहीं कर सकते। आप चारों तरफ घूमते हैं, आप रूस, अमरीका की तरफ देखते हैं। ये 700 साल, 500 साल से दुनिया को लूटे हुए लोग हैं, अब बाजार के जरिए लूटने के लिए निकले हैं और आपका बाजार थम नहीं रहा। आपके बस

का नहीं है। इसके लिए आप एक मीटिंग बुलाइए। आप क्राइसिस ग्रुप बनाइए। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं। आप 5 घंटे के लिए इस पर चर्चा करवाइए। आप कोई रास्ता निकालिए कि इस अनाज का क्या होगा? इस मुद्दे को प्रायोरिटी पर लीजिए। मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदया: श्री शरद यादव जी द्वारा उठाये गये विषय के साथ श्री अर्जुन राय, श्री जीतेन्द्र सिंह बुन्देला, श्री हरि मांझी, श्री दिनेशचंद्र यादव, श्री महेश्वर हजारी, श्री कौशलेन्द्र कुमार, श्री भुदेव चौधरी, श्री राजेन्द्र अग्रवाल, श्री एम.बी.राजेश, श्री कमलेश पासवान, श्री उदासी शिवकुमार चनाबासप्पा, श्री शिवराम गौडा, श्री जी.एम.सिद्धश्वरा और श्री पी.के.बीजु अपने आप को संबद्ध करते हैं।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): अध्यक्ष महोदया, इस पर एक पूरे दिन बहस कराइए। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अच्छा ठीक है।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): अध्यक्ष महोदया, पिछले तीन दिन से लगातार इस सवाल को लेकर हम लोग मांग कर रहे हैं, सरकार पर दबाव डाल रहे हैं और केवल बोरे की समस्या नहीं है, बल्कि और भी कई समस्याएं हैं। एक समस्या यह है कि हमारे देश में जो प्लास्टिक लॉबी है, उसका सरकार के ऊपर दबाव है कि जो जूट बैग है, जूट इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए लाखों मजदूर हैं और सबसे ज्यादा इंडस्ट्री पश्चिम बंगाल में हैं।...(व्यवधान) जो कानून इस देश में है,...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record.

*(Interruptions)** ...

श्री बसुदेव आचार्य: जो 40 लाख किसान जूट उत्पादन के साथ जुड़े हुए हैं, इस जूट इंडस्ट्री को खत्म करने के लिए साजिश चल रही है। इसीलिए सरकार इससे पहले क्यों नहीं तैयार हुई?...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record.

*(Interruption)**

श्री बसुदेव आचार्य: सरकार ने कोई शॉर्ट टर्म और लॉंग टर्म प्लानिंग नहीं की। ...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record.

*(Interruptions)**

श्री बसुदेव आचार्य: इस साल 253 मिलियन टन उत्पादन हुआ है।...(व्यवधान) और हमारे भंडारण की क्या स्थिति है?...(व्यवधान) शरद जी ने बताया कि 19 फीसदी है।...(व्यवधान) इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि

---

* Not recorded

सरकार जल्दी से जल्दी जूट बैग्स की उपलब्धि करवाए और वेअरहाउसिंग की व्यवस्था करवाए। अनाज सड़ रहा है।...(व्यवधान) हम मांग कर रहे हैं कि उस अनाज को गरीबों में बंटवाया जाए और जहां पर सूखा पड़ रहा है, वहां पर भी गरीबों में बांटा जाए। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदया : श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, आप शुरु करिए।

...(व्यवधान)

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल (भटिंडा): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आज पंजाब राज्य के बारे में बोलना चाहती हूं। यह राज्य हिंदुस्तान के अमीरों और गरीबों का ही नहीं बल्कि सारे देश का पेट भरने में बहुत बड़ा योगदान देता है। चाहे गेहूं हो या चावल हो, आज 60 फीसदी से ज्यादा अन्न पंजाब पैदा करता है। पंजाब में हिंदुस्तान के लोगों का पेट भरने के लिए एक नैचुरल रिसोर्स पानी ही है। पानी का लैवल इतना नीचे चला गया है कि डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट कहती है कि 20 साल बाद पंजाब राजस्थान की तरह रेगिस्तान बन सकता है। यहां किसान खून पसीना बहाता है, यह राज्य अपना नैचुरल रिसोर्स खत्म कर रहा है और लगातार बम्पर क्रॉप दे रहा है। पंजाब के इतिहास में रिकॉर्ड ब्रेकिंग है कि 120 लाख मीट्रिक टन की प्रोक्योरमेंट हुई है। यह अफसोस की बात है और आज स्टोरेज की बात पूरे देश में चल रही है। मैंने भी इस बात को कई बार संसद और समिति में उठाया है। आप पंजाब में जाकर देखिए कि आसमान तक अनाज से गोदाम भरे हुए हैं। गेहूं और चावल छः महीने बाद सड़ने लगता है, यह साल या डेढ़ साल से ज्यादा ओपन में स्टोर नहीं हो सकता है लेकिन यह चार-पांच साल सड़ता रहता है और हालत यह हो जाती है कि जानवर के खाने लायक भी नहीं रहता है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि यहां जितने सांसद बैठे हैं, एक तरफ सबको मालूम है कि हमारे क्षेत्रों में गरीबी और भुखमरी कितनी है और दूसरी तरफ मेरे संसदीय क्षेत्र में अनाज सड़ रहा है क्योंकि स्टोरेज की जगह नहीं है। सरकार क्यों नहीं इसे गरीबों मे बांटती है।

महोदया, आज पूरे देश में जूट बैग्स की कमी हो रही है। मौसम बदल रहा है, कभी मौसम बिगड़ जाता है और बरसात आ जाती है इससे तो 120 लाख मीट्रिक टन पड़ा हुआ अनाज खराब ही होगा। एक तरफ हम अनाज स्टोर कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, एक्सेस बफर स्टॉक स्टोरेज करके स्टोरेज कम कर रहे हैं, अगर यही अनाज गरीबों में बांटा जाता तो यही अनाज को स्टोर करने की जगह बन जाती और दूसरी तरफ एक्सेस स्टोरेज करने के लिए इतना खर्च कर रहे हैं। मेरे द्वारा पूछे गए सवाल के उत्तर में बताया गया था एक दिन का खर्च 27 करोड़ रुपए है। यह एक्सेस बफर स्टॉक को स्टोर करने के लिए होता है। इस तरह से एक साल में 10,000 करोड़ से 15,000 करोड़ रुपए हो जाता है। पैसे बर्बाद हो रहे

हैं, अन्न बर्बाद हो रहा है, स्टोरेज कम है और गरीब भूख से मर रहा है और सरकार लगातार सिस्टम और नियम को ठीक नहीं कर पा रही है।

मैं आपसे मांग करती हूं कि सिर्फ चर्चा ही नहीं इसका ठोस जवाब दिया जाना चाहिए कि कब तक ऐसे ही काम चलता रहेगा? क्योंकि नैचूरल रिसोर्स खत्म हो रहे हैं, किसान का खून पसीना बहता जा रहा है और गरीब भूख से मरता जा रहा है।

SHRI PRATAP SINGH BAJWA (GURDASPUR): Madam, under the PEG-2008 Scheme, PUNGRAIN, which is one of the State's own agencies and which was nominated by the Government of Punjab as the nodal agency, floated tenders for the creation of a total storage capacity of 51.25 lakh metric tones. The private entrepreneurs were offered Rs. 5 per quintal per month for bare space, apart from making a provision for escalation in preservation charges for proper maintenance of stocks.

I am given to understand that the private entrepreneurs have already constructed godowns. माननीय सदस्या ने जो बात कही है मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं। गोदाम बन चुके हैं लेकिन गवर्नमेंट की एजेंसी ने अभी तक गोदाम लेकर एफसीआई को हैंडओवर नहीं किए हैं। जो मसला चल रहा था।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record except what Shri Pratap Singh Bajwa says.

*(Interruptions)** …

अध्यक्ष महोदया : ये क्या हो रहा है? आप खड़े क्यों हो गए हैं? बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप उनकी बात तो सुनिए। आपने अपनी बात कह दी है अब उनकी बात सुन लीजिए।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप इधर देखकर बोलिए।

…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Please sit down. You must learn to listen to others. Please sit down.

* Not recorded

Now, Shri Pratap Singh Bajwa, please continue.

SHRI PRATAP SINGH BAJWA (GURDASPUR): I am given to understand that the private entrepreneurs have already constructed godowns with a storage capacity of 12.5 lakh metric tones and the rest of godowns with a storage capacity of 40 lakh metric tones would be ready in a few months' time. I am further informed that the State of Punjab need not spend even a single penny from its kitty.

It is the FCI that would be paying a sum of Rs. 1,800 crore to meet the costs of leasing bare space along with preservation charges. However, despite erecting the go-downs strictly as per the specifications approved by the FCI, the private entrepreneurs are waiting impatiently as to when the callous PUNGRAIN Authorities would handover these go-downs to the FCI for storage capacity. यही मैं कह रहा हूं कि कम से कम अपनी जिम्मेदारी अदा करें। 24 घंटे यह गवर्नमैन्ट को...(व्यवधान) इन्हें खुद पता ही नहीं चल रहा है कि क्या करना है, ...(व्यवधान) ये सोये हुए हैं...(व्यवधान) पंजाब जल रहा है, किसानों का बुरा हाल है। हम स्टोरेज की कैपेबिलिटी बना चुके हैं, 52 लाख टन के हमारे गोदाम बन चुके है।

MADAM SPEAKER: Hon. Member, why are you standing up? Please sit down.

श्री प्रताप सिंह बाजवा: आप किसी की बात तो सुना करो।

अध्यक्ष महोदया : आप मुझसे बात करिये। कृपया आप बैठिये।

SHRI PRATAP SINGH BAJWA: Madam, the State agencies are unmindful of the growing damage and the mounting losses. They are selling the damaged paddy at Rs. 620 while they have spent Rs. 950 per quintal at the time of procurement, to the distilleries to be processed for branded alcohol, As a result of it, most of the distilleries have now shifted to grain-based alcohol from the conventional malt processing. ये सारा अनाज डिस्टलरियों को दे रहे हैं।...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : यह क्या हो रहा है? आप बैठिये।

श्री प्रताप सिंह बाजवा: ...(व्यवधान)*

* Not recorded

MADAM SPEAKER: All this will not go on record.

(Interruptions)[*] ...

श्री प्रताप सिंह बाजवा: ...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : बाजवा जी, अब आप बैठिये। श्री दारा सिंह चौहान जी आप बोलिये।

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): अध्यक्ष महोदया, आज पूरे देश के किसान असहाय स्थिति में हैं। मैं पूरे देश के किसानों को बधाई दूंगा, जिन्होंने इस देश में धान और चावल का एक रिकार्ड उत्पादन किया है। खासकर मैं उत्तर प्रदेश के किसानों को विशेष रूप से बधाई दूंगा कि जो पंजाब के मुकाबले अनाज उत्पादन में काफी आगे बढ़ रहा है। हमारे देश में जो रिकार्ड गेहूं और धान पैदा हुआ है, उसके रखने को लेकर और बोरों को लेकर कई दिनों से चर्चा हो रही है। कल भी मैं माननीय वित्त मंत्री जी के संज्ञान में लाया था कि आज पूरे देश में किसानों के द्वारा जो रिकार्ड उत्पादन किया गया है और स्टेट और सैंट्रल वेयरहाउसिंग के पास अनाज रखने की जो कैपेसिटी है, वह कुल साठ फीसदी है। मैंने कल भी सुझाव दिया था कि अगर आपके पास स्टोरेज नहीं है तो मनरेगा में जो पैसा खर्च हो रहा है, आप उसका सर्वे कराकर अगर ब्लाक स्तर पर उस पैसे से यदि स्थायी गोदाम बन सकते हैं तो मैं समझता हूं कि पूरे हिंदुस्तान के किसान और हर गांव और ब्लाक के लोग उसमें स्टोरेज कर सकते हैं और अनाज को बचाया जा सकता है।

जहां तक बोरों का सवाल है, यह भारत सरकार की जिम्मेदारी है। यह केवल किसी स्टेट का मामला नहीं है, आज पूरे देश के किसान परेशान हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी और सरकार से मांग करता हूं कि बोरों की उपलब्धता तुरंत कराई जाए, वरना बरसात के समय में सारे किसान तबाह हो सकते हैं।

श्री लालू प्रसाद (सारण): मैडम, माननीय मुलायम सिंह जी अगर इस सवाल को...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : लालू जी, आप इधर देखकर बोलिये।

श्री लालू प्रसाद: माननीय मुलायम सिंह यादव जी अगर आज इस सवाल को गंभीरता से नहीं उठाते तो शायद चर्चा करने का मौका भी नहीं मिलता।...(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद पूर्व): इस मामले में पहला हमारा नोटिस था।

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये।

श्री लालू प्रसाद: आप लोगों की बात मैंने नहीं सुनी। मैंने इनकी बात सुनी और उस चर्चा कर रहा हूं।...(व्यवधान)

---

[*] Not recorded

मैडम सबसे खतरनाक बात यह है कि जिस दिन से इस देश में वायदा मार्केट इंट्रोड्यूस हुआ है, जिस दिन से वायदा मार्केट का जन्म हुआ है, उस दिन से किसानों के ऊपर आफ़त और तूफ़ान लागू हो गया। हर साल हम लोग इसी बात का रोना रो रहे हैं। सोना और चांदी की तरह गेंहू और चावल का दाम मुंबई में बैठक कर वायदा मार्केट वाले तय करते हैं। देश की जनता की थाली में दाल नहीं मिल रही है। हमारी दाल विदेश में चली गई है। जब मंत्री जी जवाब देंगे, तब बताएं कि क्या वायदा मार्केट एक साजिश नहीं है?

आज हमारा एफसीआई खरीद न कर के बोरा का बहाना कर रहा है। बोरा की रिक्यूज़िशन नवंबर में भारत सरकार को की जाती है। हर राज्य सरकार रिक्यूज़िशन करती है कि हमें इतने बैग चाहिए। स्टेटवाइज़, कौन से राज्य को नवंबर में आपने उपलब्ध कराया, किसने बोरा के लिए एप्लाई नहीं किया। गेहूं कहीं भी खुले आसमान में फेंका जा रहा है, चावल तो और भी नहीं लिया, गेहूं नहीं लिया, इससे किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। क्या यह साजिश नहीं है कि खुले आसमान के नीचे जब गेहूं फेंका जा रहा है और वायदा मार्केट किसानों से ले रहा है। फिर यही भाव बढ़ायेगा और आप विदेश से गेहूं लाने के लिए दौड़ेंगे। यह तो आपका ढोंग है, जो फूड गारंटी का आप वादा कर रहे हैं कि हम फूड गारंटी करेंगे, हम सिक्योरिटी कर देते हैं, हम गारंटी देते हैं कि हम किसी को भूख से मरने नहीं देंगे। आपका यह कहना हास्यास्पद होगा। क्या यह बात सच नहीं है कि इन्फीरियर क्वालिटी बताकर गेहूं और चावल, दारू माफिया, जो दारू बनाने वाले लोग हैं, यह उनकी साजिश है, यह समूचा माल उनके पास चला जाएगा? जून महीने में रेनी सीजन स्टार्ट हो जाता है, जो सरकारी और सब लोगों को मान्य है, फिर आप गेहूं कहां से लाएंगे? आप यह बताइए कि किन राज्यों ने समय पर गेहूं के बोरे का रिक्विजीशन किया और हर राज्य को कितना उपलब्ध कराया? वायदा मार्केट में बीच में बिचौलिया ले रहा है या नहीं, हमारे किसानों के गेहूं की लूट मची हुई है, कहीं भी उसके लाभ की बात नहीं हो रही है। जिस राज्य से हम लोग आते हैं, उस बिहार में भी कहीं कुछ नहीं हुआ। सबसे ज्यादा गेहूं पंजाब में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, यूपी में तो मुलायम सिंह यादव जी के पक्ष में अच्छा रिजल्ट भी दिया। ...(व्यवधान) इसलिए पहले से ही गेहूं के बारे में अच्छी व्यवस्था करें। ...(व्यवधान) सुनिये, यादव जी। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आसन की ओर बोलिए।

श्री लालू प्रसाद: मैडम, मैं इधर ही बोल रहा हूँ। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब आप आपनी बात समाप्त भी कीजिए।

श्री लालू प्रसाद: मैडम, यह पूरी साजिश है। आप बोरे की उपलब्धता कराइए। बोरे उपलब्ध करा कर गेहूं व चावल को खरीदकर फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित कीजिए, इसके लिए जो भी गोदाम बनाना है, उन्हें बनाइए। जगह-जगह ब्लॉक किया जा रहा है। स्टोरेज के नाम पर क्या हो रहा है? गेहूं को नीचे बोरा या बैग में रखकर चिमचिमी से ढका जा रहा है। चिमचिमी मतलब प्लास्टिक का जो ऊपर से ढकने के लिए लगाया जाता है।

अध्यक्ष महोदया : लालू जी, आपकी बात पूरी हो गयी है। अब आप समाप्त कीजिए।

श्री लालू प्रसाद: मंत्री जी, आप इसका जवाब साफ-साफ दीजिए कि किन राज्यों ने बोरे के लिए समय पर रिक्विजीशन दिया और आपने कितना उन्हें उपलब्ध कराया? यह जवाब आना चाहिए।

SHRI T.K.S. ELANGOVAN (CHENNAI NORTH): Thank you Madam Speaker for allowing me to speak on this important subject.

Madam, more and more State Governments have started procuring food grains from the farmers to ensure t;hat the farmers get the MSP because in the open market, the procurement price is very less. But my question is, whether procurement is for storage or for distribution? My view is that procurement should be for distribution. It means the distribution chain should be strengthened. For the APL family, the open market price of rice and wheat is more than Rs.25 and the MSP is Rs.11 or Rs.12 per kilogram.

I will suggest that the Food Corporation of India (FCI) itself can have a marketing division, open distribution chains and sell rice at the reasonable price, a little more than the Minimum Support Price (MSP) so that people will get rice at a cheaper price. We have been demanding for a universal Public Distribution System (PDS) in all States as it is happening in Tamil Nadu. We suggest that universal PDS should be there in every State. More and more States are going to procure more and more food grains. So, instead of thinking of storing these food grains, we must think to distribute it properly to the people so that the people will get rice at reasonable price. Thank you.

SHRI A. SAMPATH (ATTINGAL): Madam Speaker, I am also associating with the matter raised by Shri T.K.S. Elangovan.

डॉ. काकोली घोष दस्तिदार (बारासात): महोदया, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे इस गंभीर मुद्दे पर बोलने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी की ओर से और हमारी चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी की ओर से इस देश के किसानों को बधाई देना चाहती हूं कि उन्होंने गेहूं की इतनी पैदाइश की है, लेकिन आज गेहूं सड़ रहा है। मेरा यह कहना है कि कल हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जी ने कहा कि वह जो बोरा है, उसे इम्पोर्ट करना चाहते हैं, उसका बाहर के देश से आयात करना चाहते हैं। 80 परसेंट जो जूट की फैक्ट्रीज़ हैं, हेसियन बनाने की जो फैक्ट्रीज हैं, वे पश्चिम बंगाल में हैं। पिछले 34 साल में वे सारी फैक्ट्रीज, जो सरकार तब सत्ता में थी, उन लोगों ने उन्हें बंद करके रखा है।...(व्यवधान) हमारी इंडस्ट्री को सहायता देनी चाहिए। पुनरूत्थान के लिए ...(व्यवधान) गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमें सहायता देनी चाहिए।...(व्यवधान) वेस्ट बंगाल में इससे काफी लोगों को काम मिल सकता है। ...(व्यवधान) इससे हम इसे आगे ले जा सकते हैं। (व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record.

*(Interruptions)** ...

अध्यक्ष महोदया : आप क्यों खड़े हो गये हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : हर समय ऐसा करना ठीक नहीं है।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record.

*(Interruptions)** ...

डॉ. काकोली घोष दस्तिदार : यह भी शर्म की बात है कि हमारे किसान गेहूं पैदा करते हैं, लेकिन वह गेहूं सड़क पर सड़ रहा है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठिये, शोर नहीं करिए।

...(व्यवधान)

डॉ. काकोली घोष दस्तिदार: मैं आपसे यह विनती करती हूं कि उस गेहूं को प्रोसेसिंग के माध्यम से क्यों न आटा बनाकर, क्योंकि 6 महीने तक रहने से वह सड़ जायेगा, तो मिनिस्ट्री के जरिये यह एक हमारी विनती है। उसे अभी प्रोक्योर करके आटा बनाकर पैकिंग करके रख दीजिये तो वह आटा 10 महीने तक भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं।...(व्यवधान)

* Not recorded

मेरी दूसरी मांग यह है कि मध्य प्रदेश...(व्यवधान) जब नवंबर, 2011 में बोरा का ऑर्डर दिया था, तब सिर्फ 9 लाख बोरा का ऑर्डर दिया था...(व्यवधान) अभी 12 लाख बोरा का ऑर्डर है।

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, धन्यवाद।

श्री नामा नागेश्वर राव आप बोलिए।

डॉ. काकोली घोष दस्तिदार: 12 लाख बोरा मांगने से नहीं मिलेगा।...(व्यवधान) उसके लिए कुछ न कुछ वक्त देना चाहिए...(व्यवधान) पश्चिम बंगाल में जो फैक्ट्रीज हैं, वहां से 80 परसेंट बोरा बनता है, जून महीने के पहले हफ्ते तक यह सारा बोरा पश्चिम बंगाल से मिलेगा। इसे इम्पोर्ट मत कीजिये, पश्चिम बंगाल को सहायता दीजिये ताकि 12 लाख बोरा जून के पहले हफ्ते में मिल जाये।

अध्यक्ष महोदया : डॉ. रत्ना डे अपने आपको डॉ. काकोली घोष दस्तिदार जी के विषय के साथ सम्बद्ध करती हैं।

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): महोदया, पार्लियामेंट में चार दिन से बोरी के बारे में जिस तरह से बात चल रही है, हम सब जितने भी सांसद यहां बैठे हैं, we should feel shame. सुषमा जी ने इस बात को उठाया है, शरद यादव जी ने इस बात को उठाया है और आज मुलायम सिंह यादव जी ने यह बात उठायी है।

महोदय, इसमें मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि यह बोरी का विषय आज का नहीं है, पिछले साल आंध्र प्रदेश में बोरी नहीं मिली थीं, हमने किसानों के साथ रोड़ पर बैठकर धरना दिया था। पूरे देश में, आंध्र प्रदेश में चावल सड़ रहा था, चावल को स्कूलों में, मंदिरों में, मस्जिदों में स्टोर किया। This is the fact. हमारे पास फोटोग्राफ्स हैं, हम आपको उन्हें दिखा सकते हैं। इन लोगों की स्टोर करने की पोजीशन नहीं थी, पूरे का पूरा स्कूलों में स्टोर किया, मंदिरों में स्टोर किया। बोरी के बारे में पिछले साल भी यह प्रॉब्लम आयी थी और अभी भी यह प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट एकदम बेखबर है। समय-समय पर हम लोग जो प्रश्न लगाते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, इस साल का क्या प्रोडक्शन है, अगले साल का प्रोडक्शन क्या है, अपने रिप्लाई में आप लोग जो फिगर्स दे रहे हैं, इतनी फिगर्स के लिए आप लोग बोरी अरेंज नहीं कर पायेंगे, यह बहुत शर्मनाक है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : धन्यवाद।

डॉ. संजीव गणेश नाईक।

श्री नामा नागेश्वर राव: महोदया, मैं एक मिनट और लूंगा।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : नहीं, अब आप बैठ जाइये। संजीव गणेश नाईक जी आप खड़े हों और बोलिए।

…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record, except what Dr. Sanjeev Ganesh Naik said.

*(Interruptions)** …

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए। आप बहुत लंबा लिखकर लाए हैं। You have made your point.

…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record.

*(Interruptions)** …

डॉ. संजीव गणेश नाईक (ठाणे): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि पहली बार देश में सबसे ज्यादा रिकार्ड धान की उपज हुई है। …(व्यवधान) मैं समझता हूँ कि इसके लिए केन्द्र सरकार को आदरणीय कृषि मंत्री जी को धन्यवाद करना चाहिए कि इस बार हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा अनाज की पैदावार हुई है। …(व्यवधान) किसी भी प्रकार की फसल हो - धान हो या गेहूँ हो या गन्ना हो, हर चीज़ की पैदावार ज्यादा हुई है। मैं सरकार से विनती करूंगा कि इस साल किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस ज्यादा बढ़ाकर देने की आवश्यकता है, नहीं तो हमारा किसान दुख दर्द में जाएगा। …(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप क्या कर रहे हैं? Show some respect for time. Please sit down.

डॉ. संजीव गणेश नाईक: मैं अपनी पार्टी की ओर से आदरणीय मंत्री जी से मांग करूँगा कि इस पर सरकार ध्यान दे। जैसे इस सदन के सभी अनुभवी सदस्यों ने कहा कि पिछले तीन साल से हम देख रहे हैं कि अनाज का उत्पादन हर साल बढ़ रहा है। हमारे किसान सोच रहे हैं कि हर साल हमारी आबादी बढ़ रही है तो धान की आवश्यकता बढ़ेगी। इसके बारे में सरकार को भी बहुत गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। मैं अपनी ओर से तथा अपनी पार्टी की ओर से मांग करूंगा कि सरकार इस बारे में गंभीरता से सोचे और मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाने पर ध्यान दे।

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Madam Speaker, we are very proud of Indian farmers. As other hon. Members said, agricultural production has increased this year.

Madam, in Tamil Nadu, our hon. Chief Minister has taken all steps to protect the interests of the farmers. She has given a lot of incentives to the farmers. That is why, agricultural production has increased in Tamil Nadu. At the same

---

* Not recorded

time, we are requesting the Central Government to come forward to help the farmers.

As all other hon. Members mentioned, after procurement, we have to store the food grains. For that, we need proper godowns. That is what we are facing shortage of. Then, other hon. Members also mentioned about the shortage of gunny bags. Some other hon. Members also spoke about distribution. Then, we should also see how to distribute to the consumers whatever is procured. In that respect, Tamil Nadu is a pioneer now. We are giving free rice to all the family cardholders. We are still following that. That has to be followed because after production by farmers, it has to reach the consumers because the people of this country are very poor. For that, we require incentives from the Central Government. Our Chief Minister had also written a letter to the Central Government regarding Thane Cyclone. While the said cyclone had hit the State of Tamil Nadu last year, the Central Government has not yet given the money. The State Government solely went to the rescue of the farmers and started so many programmes. Therefore, I would request the Central Government to come forward to release urgently the money the Chief Minister has asked for in her letter written to the Central Government.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam, during the last four days including today, the issue that has been actually troubling all of us is relating to jute bags. We should also recollect the amount of neglect the jute crop has faced during the last four decades. Today, if the jute factories of West Bengal are suffering, it is because, what Shri Basu Deb Acharia has rightly mentioned, our attention has been shifted towards plastic commodities.

I also recollect that two or three days back, the Leader of this House, hon. Finance Minister, had very categorically mentioned that he is requesting the Left and also the Trinamool Congress to impress upon the jute factories to increase production. I would also request the Government to impress upon the Bangladesh

Government where jute production is very high in quantity and also of very high quality. We can import jute bags immediately to tide over the situation.

At the same time, I would also make a request to the Government. Invariably in every State, wheat and paddy production has increased manifold. Even in a State like Odisha, which was and is a surplus paddy growing State, the purchase of paddy is more than 30 lakh tonnes, but the storage capacity of the FCI there is hardly four lakh tonnes and that of the State Government is another five lakh tonnes to six lakh tonnes. Further, as it is called, with Private Entrepreneurship Guarantee Scheme, another three lakh metric tonnes capacity building or storage is now being developed.

Odisha has been entrusted with a specific procurement of rice that is called, custom-milled rice because we need that type of rice for the Eastern coast, which is actually being used by the people there. For this also, we have asked the Central Government to provide us with support so that respective State Governments can also have godowns for custom-milled rice. I am saying this because the problem today is lifting of food grains immediately, that is, once it is procured. But today, the concern is how to store it, and for storage, we need best quality gunny bags or jute bags. I think that we would have to look forward to it, and I think that the Central Government has to come up in a very big way.

MADAM SPEAKER: Thank you so much.

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Madam, please allow me for one minute. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: I think that this subject is over.

Yes, the Leader of the House.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Madam, I would just like to share a few points because the other day I had responded to Shri Sharad Yadav.

This morning, Shri Mulayam Singh and others raised this issue. The problem, which arose, as Shri Lalu has pointed out, that this is the practice that

every year in the month of November there is a meeting of the State Governments and the Food Ministry; their indents are placed; according to those indents requirement is placed it to DGS&D; and DGS&D supplies it from the jute mills and through their own procurement and supply arrangements.

This time, two distortions have taken place so far as Punjab and Haryana, the two major producing States, are concerned. I have the figures with me. Substantially, their indents have been fulfilled. Two types of problems arose substantially in Madhya Pradesh (MP) and also in Uttar Pradesh (UP).One is that the level of expectation of procurement by the State administration at that point of time was less, and the actual procurement was much more. For instance, in November, the MP Government projected that their procurement would be about 65 lakh tonnes, but their actual procurement has been more than 85 lakh tonnes. They had to procure it when the farmers produce it and bring it to the market. No State agency can refuse to buy it. So, the required quantity of jute bags, in terms of bales, has also increased substantially. They have made a revised programme and as per that revised programme, the supplies are being made.

श्री शरद यादवः अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से प्रणब बाबू से कहना चाहता हूं कि इस समस्या का निदान सम्पूर्ण तरीके से करना होगा। अनाज सरप्लस पैदा हो रहा है, लेकिन उसका रखरखाव न होने के कारण अनाज का नुकसान बड़े पैमाने पर हो रहा है। इस मामले में पेडी और व्हीट का सरप्लस उत्पादन हुआ है। यह 40 करोड़ लोगों का मामला है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जूट बैग तो पहला कदम है, Jute bag is the first step. लेकिन इसके बाद स्टोरेज आता है, जिसके लिए आपने वर्ष 2009 में सब्सिडी दी थी।

SHRI PRANAB MUKHERJEE : I am coming to that point.

श्री शरद यादवः इसलिए मैं सरप्लस अनाज के बारे में आपकी चिंता चाहता हूं, सरकार की चिंता चाहता हूं।

श्री प्रणब मुखर्जी : आपने जो सवाल उठाया था, यही सवाल दूसरे मैम्बर्स ने भी उठाया था। लालू जी ने भी यह सवाल उठाया कि किस स्टेट ने नवम्बर महीने में कितना इनडेंट दिया था? इसलिए उनको भी तो इस बारे में जवाब देना चाहिए! उन्होंने स्पेशली एक सवाल पूछा था।

13.00 hrs

As I have said, for construction of the godowns, banks will provide concessional rate of interest. We will also provide support even from the Viability Gap Fund. We have also made arrangements in this Budget that will allow you to have External Commercial Borrowings because the interest rate is lower there, of course with a ceiling, because I cannot increase the short term borrowings substantially. So, all these steps are taken but that does not mean that tomorrow the godown will come. If I announce the programme today, godowns will not come tomorrow. It will take some time. The problems which you posed, as I understood is that any moment rains may come and those grains are lying in the open area. Now, the main problem is how to protect it, how to make contingency arrangement for the immediate requirement. That is why, we sent our officers to Kolkata. Current production of the jute bags is 2 lakh and 50 thousand per month. We have asked them to produce more and they are actually producing now 25 thousand additional bags, and the production will become 2 lakh and 75 thousand bags. I hope there will be no strike in between and will not suspend the production. Sometimes, they put pressure as this is the procurement season. So, sometimes some trade union leaders also indulge in this type of activities. I am assured that this year there will be no strike. … (*Interruptions*) No, I myself had to deal with it. Then, your Minister was there. I had called him and told them that do not put pressure at the time of procurement season. In that case, I would be compelled to allow the plastic bags. Then, it was stopped.

Therefore, I have my own experiences. I am not speaking in vaccum. I requested them and fortunately, I also had a discussion with West Bengal Industries Minister, Mr. Partho Chatterjee. I requested him to ensure that the production continue uninterruptedly to solve the immediate problem of availability of the jute bags. I have also suggested in the morning after Mulayam Singh Ji raised the issue, I requested the Food Minister to come to my room. Shri Rewati Raman Ji was also there. For the solution, UP Government has made some

suggestions. We are complying with that and in the next 5 to 6 days, those problems will be resolved. But that is temporary. Even if I want to import and, today I decide to import, tomorrow, the imported goods do not come. It takes time. All these issues are to be addressed but I accept one suggestion of Shri Sharad Yadav Ji that this is a problem for which we require a medium to long term solution. How can we do this? I am ready to sit with the Leaders of the various political parties, get their inputs and to work out a mechanism. Every year, we are not confronted with this problem. Shortly, I would also like to add to resolve the immediate problem.

There is a provision, I do not want to resort to that provision. But if there is any requirement, then we will resort to it. Our target is to protect the crop, so that it is not destroyed and then, to go to the biodegradable packaging material. That is second thing. Therefore, there is a provision in the Jute Act itself that if adequate quantum of jute bag is not available, then substitute plastic bags for a temporary period could be used. We are exploring all those possibilities though I myself do not want plastic bags to be used for storing the grains.

You will recollect, in 1985 when Mr. Rajiv Gandhi was the Prime Minister, in order to protect the jute industry, he ensured that three commodities namely, cement, sugar and food grains were packed in biodegradable bags. Now, cement has gone out of jute packaging. Sugar and food grains are still there. We are ensuring that it is available. Three ministries are there. Only Food Ministry cannot do this. Their job is to coordinate. I am going to have a meeting with them. I will see that as early as possible, these problems are resolved. Thank you.

SHRI REWATI RAMAN SINGH (ALLAHABAD): What about godowns? … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record except what Shri Gopinath Munde says.

(Interruptions)[*] ...

SHRI PRANAB MUKHERJEE: I have already informed the House that the Rural Development Ministry has been asked to explore the possibilities of food for work through the MGNERGA and other programmes as to what can be done and how it should be tied up. But that cannot happen immediately because the State Governments will have to agree to this. They will have to be involved. They are the implementing agencies. So, it is not that today I say it and tomorrow it would start. But the Ministry has been sensitized and they are working on it.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: That is enough.

[*] Not recorded

MADAM SPEAKER: Shri Gopinath Munde.

श्री गोपीनाथ मुंडे (बीड): मैडम स्पीकर, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूं।

1972 में महाराष्ट्र में जैसा सूखा था, उससे भी ज्यादा सूखे की चपेट में पूरा महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र सरकार के पास जो साधन हैं, वे इस नैचुरल कैलेमिटी को मीट आउट नहीं कर सकते, ऐसी सिचुएशन है। इस सूखे के कारण पिछले तीन महीने में 100 किसानों ने आत्महत्या की है और और भी किसानों के आत्महत्या करने की सम्भावना है। वहां के लोग जानवर कत्लखाने को बेच रहे हैं। वहां चारा, रोजगार और पीने के पानी की समस्या भयंकर हो चुकी है और वहां 100-100 किलोमीटर में पीने का पानी नहीं है। इस हालत में महाराष्ट्र में केन्द्र सरकार को सहयोग करना चाहिए और ज्यादा फाइनेंस करना चाहिए।

वहां राज्य सरकार की तरफ से भी भेदभाव हो रहा है। वहां केवल 15 जिलों में सूखे की योजना बनाई गई है, जबकि विदर्भ और मराठवाड़ा में भी 7-8 जिले ऐसे हैं, जो सूखे की चपेट में हैं। अकाल और नैचुरल कैलेमिटी में इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसलिए यह योजना 23 जिलों में लागू करनी चाहिए।

मैं मांग करता हूं कि केन्द्र सरकार वहां इसके लिए अपनी टीम भेजे और सभी जिलों में क्या स्थिति है, उससे अवगत होकर किसानों को चारा, रोजगार और पीने के पानी का प्रबन्ध करने के लिए केन्द्र सरकार महाराष्ट्र सरकार को सहयोग करे और महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दे कि सूखे के मामले में राजनीति नहीं की जाये।

मेरा बीड़ डिस्ट्रिक्ट पूरा सूखे की चपेट में है, लेकिन वहां कोई भी योजना नहीं चल रही है। यह भेदभाव नहीं होना चाहिए। बीड़ जिला पूरा सूखाग्रस्त है, लेकिन उसके लिए टैंकर्स नहीं दिये जा रहे हैं, रोजगार नहीं दिया जा रहा है और मेरे जिले के लोग कर्नाटक में रोजगार के लिए स्थानान्तरित हो रहे हैं, यह स्थिति अपमानजनक है और इसके कारण वहां के किसानों में गुस्सा है, इसलिए केन्द्र सरकार इसमें सहयोग करे और सभी जिलों को और विशेषकर विदर्भ और मराठवाड़ा को भी मदद करने के लिए केन्द्र उनको निर्देश दे।

अध्यक्ष महोदया: श्री हंसराज गं. अहीर और श्री शिवराम गौड्डा को श्री गोपीनाथ मुंडे के साथ सम्बद्ध करने की अनुमति दी जाती है।

SHRI GURUDAS DASGUPTA (GHATAL): Madam, I am raising the issue of Air India, the strike of the pilots and dismissal of a number of pilots by the Government. I do not like to go into the merit of their demands. Neither do I say that catcall strike should be a part of normal tribunal agitation; neither should I ask the Government to be so aggressive as to take the course of dismissal.

Madam, the question is that Air India is being destroyed. Step by step, Air India is going to be destroyed. I appeal to the pilots to withdraw the strike. At the same time, I appeal to the Government to take back the pilots and call them for discussion. But the issue is a deep-rooted malady in Air India. For years together, Air India has been sought to be destroyed by the Governments, one after another. Payment of salary is being delayed for a month. Grievances of the workers and employees are not being looked into. At a point of time, the merger was the policy. Air India and Indian Airlines were merged despite opposition. Now they have changed their policy. Now they are going to split Air India. Engineers are being separated. Ground handling is being given to another company. After merger, there is a split. Wonderful change of policy by the Government! The point is, Madam, this wild change, wild decision-making process is creating a problem which will bring our national carrier to shame, absolute shame. The revival package is faulty. Private players are being given patronage. Air India is being discriminated against.

I appeal the Government to protect Air India and not to destroy it. Pilots should not go on strike; but the Government should listen to them. There should be a complete revival package. In no case private players should be promoted. In no case corruption should be indulged in. In no case the national carrier should come to a shameful end.

MADAM SPEAKER: Hon. Members Shri P.Lingam and Dr. Ram Chandra Dome associate with Shri Gurudas Dasgupta on this issue.

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : श्री रेवती रमण सिंह, बहुत संक्षेप में बोलिए। …(व्यवधान)

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Madam, I associate myself with this issue. The Minister is here. He should respond. There is a crisis. More than ten pilots have been dismissed.

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record.

(Interruptions)[*] ...

अध्यक्ष महोदया : प्लीज आप बैठ जाइए। रेवती रमण सिंह जी आप बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री रेवती रमण सिंह (इलाहाबाद): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतने महत्वपूर्ण सवाल पर मुझे बोलने की अनुज्ञा दी है। पूरे सदन में एक बार नहीं, अनेक बार इस पर चर्चा हुयी। कई माननीय सदस्यों ने इस महत्वपूर्ण सवाल को उठाया। यूपीए वन की सरकार से यूपीए टू की सरकार आ गयी, लेकिन आज तक तय नहीं हो पाया कि बीपीएल कार्डधारक कितने होने चाहिए? यह सवाल बार-बार उठता है। मुझे तब ताज्जुब हुआ, जब वाइस चेयरमैन प्लानिंग कमीशन आहलूवालिया जी ने कहा कि 22 रूपए गांव में और 26 रूपए शहर में जो मजदूरी पाएगा, वह गरीबी रेखा के नीचे नहीं रहेगा। मान्यवर, 22 या 26 रूपए में एक वक्त का भोजन नहीं हो सकता है। यह आपने कैसे मान लिया कि ये गरीबी रेखा के नीचे नहीं आएंगे? उस दिन मुलायम सिंह यादव जी बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि देश में साठ फीसदी से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। अर्जुन सेन कमीशन ने कहा कि अस्सी फीसदी लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, तेंदुलकर कमेटी ने कहा कि 28 फीसदी लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, सक्सेना कमेटी ने कहा कि पचास फीसदी लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। मैं सदन से मांग करता हूं कि यह मामला अब लंबित न किया जाए। अनाज सड़ रहा है, उसे रखने की जगह नहीं है और आप केवल 28 फीसदी लोगों को बीपीएल कार्डधारक मान रहे हैं। मैं आज सदन में मांग करूंगा कि यहां बैठे हुए जो बड़े-बड़े भिज्ञ लोग हैं, उनसे इसे न बनवाकर मेंबर आफ पार्लियामेंट, एमएलए और ब्लॉक प्रमुख लोगों से बीपीएल कार्डधारकों की लिस्ट ली जाए, जिस तरह से निगरानी कमेटी के द्वारा होता है और इसको बिना विलंब तय कर देना चाहिए। अभी पूरे देश में मात्र सवा छः करोड़ लोगों को बीपीएल कार्ड दिए गए हैं।

अध्यक्ष महोदया : अपनी बात समाप्त करिए।

[*] Not recorded

श्री रेवती रमण सिंह: मान्यवर, सक्सेना कमेटी ने कहा था कि देश में ग्यारह करोड़ बीपीएल कार्ड्स होने चाहिए। जो मुलायम सिंह जी ने कहा था कि कम से कम साठ फीसदी गरीबों को बीपीएल कार्ड बनाकर देना चाहिए और तत्काल देना चाहिए, मैं आपसे मांग करता हूं।

MADAM SPEAKER: The House stands adjourned for Lunch to meet again at 2 p.m.

13.14 hrs

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

____

<u>14.07 hrs</u>

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Seven Minutes Past Fourteen of the Clock.

(Shri Francisco Cosme Sardinha *in the Chair*)

MATTERS UNDER RULE 377*

MR. CHAIRMAN: Matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members, who have been permitted to raise matters under Rule 377 today and are desirous of laying them, may personally hand over slips at the Table of the House within 20 minutes. Only those matters shall be treated as laid for which slips have been received at the Table within the stipulated time and the rest will be treated as lapsed.

(i) Need to take steps for making Wayanad in Kerala a tourist destination of global standards

SHRI M.I. SHANAVAS (WAYANAD): Wayanad is a unique district in Kerala, with its diversity of wildlife and serene wildlife reserves and forests. The mainstay of Wayanad's economy is through agriculture which faces challenges of different kind and it's imperative to see the possibilities of providing additional avenues of employment for the populace. The rich repository of wildlife and forests in Wayanad present Wayanad with a unique opportunity to promote tourism in a significant manner as that would provide additional employment opportunities in direct and indirect manner.

However the concept of tourism in Wayanad district is still not taking shape as there is no tourism master plan by the State. The Central Government has a major role in turning around Wayanad as a tourism destination. The concept of archeological, wildlife adventure tourism offers great opportunities for the

---

* Treated as laid on the Table

progress of Wayanad and the Central Government must initiate a tourism master plan as these archeological sites and wildlife reserves come under the Central Government. There must also be efforts from the Central Government to create and exclusive tourism corridor between Mysore and Ooty as these places fall in the vicinity of Wayanad so that more revenue from tourism can be generated.

I would request the Central Government to take necessary steps in making Wayanad a tourist destination of global standards and assist it earn a prominent space in world tourism map.

(ii)Need to realign the Kollam-Theni National Highway as per the proposal submitted by the Government of Kerala

SHRI KODIKKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): The Kollam-Theni National Highway was announced during the tenure of the last Central Government. The alignment was from Kollam, Kottarakara, Chengannur, Kottayam, Kanjirappally, Mundakkayam, Peerunude, Kunnili, Theni. But, this alignment was not acceptable to the Government of Kerala. From Kottayam to Theni alignment, there was no dispute with the National Highway Authority of India. But, at the same time, there is a dispute over Kollam-Kottayam alignment. The people of Kollam and other areas have demanded change from Kollam to Kottayam via Kottarakara and Chengannur. The reason is that Kollam to Kottayam has already been covered by the National Highway running through Kollam-Theni-Mangalam National Highway. From Kottarakara to Chengannur, the World Bank funded State Highway has been undertaken by the KSTP. The State Government has requested the Union Government to change the alignment of the Kollam-Theni National Highway from Kollam to Kottayam. The State has submitted a fresh alignment proposal to the Union Government. The Ministry of Road Transport and Highways has been raising questions after questions which have already been answered by the State Government. The Government of Kerala has proposed alignment from Kollam, Anchalummoodu, Chittumala, Bharamikavu, Sooranadu, Charummoddu, Kollakadavu, Chengannur, Thiruvala, Changanacherry, Kottayam and Theni. But, the NHAI is yet to take a final decision. The condition of this road is very bad. The Kerala PWD did not take up any work on this section. The annual maintenance work has also not been taken up by the PWD.

Therefore, I would like to request the Union Government to finalize the alignment immediately and start the work at the earliest.

(iii) Need to continue the Technology Upgradation Fund Scheme in the interest of cotton thread mills and farmers in Maharashtra

श्री दत्ता मेघे (वर्धा): मैं सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र सरकार ने नई वस्त्र नीति घोषित की है । महाराष्ट्र देश के कपास का उत्पादन करने वाला प्रमुख राज्य है, मराठवाड़ा और विदर्भ में कपास को कैश क्रॉप माना जाता है । यहां के किसानों की सारी अर्थव्यवस्था कपास से जुड़ी हुई है । किंतु उत्पादित कपास में केवल 20 प्रतिशत कपास ही राज्य में प्रक्रिया होती है, बची हुई 80 प्रतिशत कपास दूसरे राज्यों में भेजी जाती है या अन्य देशों में निर्यात की जाती है । इसी कारण महाराष्ट्र सरकार ने इस वर्ष नई वस्त्र नीति घोषित की है । इस नीति में राज्य की सभी वस्त्रोद्योग इकाई को ज़ीरो प्रतिशत ब्याज पर राशि उपलब्ध की जाएगी और नए वस्त्रोद्योग लगाने के लिए दस प्रतिशत भाग भांडवल दिया जाएगा जिसका उद्योग जगत ने भी स्वागत किया है । किंतु यह नीति केन्द्र सरकार के टेक्नॉलॉजी अपग्रेडेशन फंड से जुड़ी हुई है । मुझे महाराष्ट्र सरकार से ऐसी सूचना मिली है कि केन्द्र सरकार टेक्नॉलॉजी अपग्रेडेशन फंड को अगले वर्ष से बंद करने जा रही है । मेरा मानना है कि टेक्नॉलॉजी अपग्रेडेशन फंड के अंतर्गत सूत धागा मिलों को मिलने वाली आर्थिक मदद बंद करना वस्त्रोद्योग और किसानों के हित में नहीं होगा । महाराष्ट्र सरकार ने जो नई वस्त्र नीति घोषित की है उसका महत्व भी खत्म हो जाएगा । इतना ही नहीं चल रही सूती धागा मिलों को भी टेक्नॉलॉजी अपग्रेडेशन फंड न होने के कारण अपना अपग्रेडेशन करना संभव नहीं होगा और किसानों को कपास का उचित मूल्य भी नहीं मिलेगा। सन् 2010 में टेक्नॉलॉजी अपग्रेडेशन फंड की समीक्षा के लिए सीआरआईएसआईएल समिति बनाई गई थी। सीआरआईएसआईएल समिति ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कहा है कि टेक्नॉलॉजी अपग्रेडेशन फंड को बंद नहीं करना चाहिए । महाराष्ट्र सरकार ने भी टेक्नॉलॉजी अपग्रेडेशन फंड को चालू रखने की केन्द्र सरकार को सिफारिश की है, मेरा सरकार से निवेदन है कि वह सर्वप्रथम सूत धागा मिलों और किसानों के हित की रक्षा करे और टेक्नॉलॉजी अपग्रेडेशन फंड को बंद न करे ।

(iv) Need to simplify the procedure for issuance of Kisan Credit Card to farmers particularly in Kota Parliamentary Constituency, Rajasthan

श्री इज्यराज सिंह (कोटा): मेरे संसदीय क्षेत्र कोटा में किसान क्रेडिट कार्ड को बनाने एवं उन्हें प्राप्त करने में कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है । वैसे किसानों को क्रेडिट कार्ड जारी किए जा रहे हैं परंतु उसमें नाहक देरी की जाती है जो किसानों के हित में नहीं है । किसान क्रेडिट कार्ड भारत सरकार ने किसानों को वित्त एवं ऋण सुविधा दिलाने के लिए शुरू की है और इससे किसान बीज, खाद एवं कृषि से संबंधित उपकरणों को खरीदता है । किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड लेने के लिए अपने क्षेत्र में स्थित बैंकों से 'नो ड्यूस सर्टिफिकेट' लेने का नियम बना रखा है । अगर उस क्षेत्र में कोई नगर निगम या नगरपालिका हो तो किसानों को सभी बैंकों से 'नो ड्यूस सर्टिफिकेट' लेना पड़ता है । दूसरी दिक्कत यह आती है कि यह सर्टिफिकेट बैंक का मैनेजर ही जारी करता है अगर वह सीट पर नहीं है तो सर्टिफिकेट के लिए चक्कर काटने पड़ते हैं । जहां तक जानकारी है किसानों को जब क्रेडिट कार्ड जारी किया जाता है उसके लिए सिक्यूरिटी के रूप में किसी सम्पत्ति को बंधक रखा जाता है तो 'नो ड्यूस' का औचित्य किसलिए है । इस तरह से किसानों को वित्त सुविधा प्राप्त करने में कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ।

सरकार से अनुरोध है कि किसानों को क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए जो प्रावधान है उनका सरलीकरण किया जाए जिससे किसानों को क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने में कोई कठिनाई न हो ।

(v) Need to construct Over Bridges and Under Bridges by Railways from their own funds without State's share and to construct the ROB/RUB in Dewas and Shujalpur city in Madhya Pradesh

श्री सज्जन वर्मा (देवास): भारत के विभिन्न शहरों के मध्य से गुजरने वाली रेलवे लाइन की वजह से कई घण्टे रेलवे क्रासिंग बंद रहते हैं जिसकी वजह से उन शहरों का जनजीवन असामान्य हो जाता है ।

इन रेलवे क्रासिंगों पर रेलवे ओवर ब्रिज अथवा रेलवे अंडर ब्रिज बनाने की प्रक्रिया का रेल मंत्रालय द्वारा पुर्नावलोकन करने की मांग वर्षों से कई सांसदों द्वारा की जा रही है, क्योंकि वर्तमान में यह प्रक्रिया अत्यंत जटिल है, इसमें राज्य सरकारों से निर्माण राशि का 50 प्रतिशत देने का प्रावधान है लेकिन कई राज्य सरकारें इस कार्य को विशेष महत्व का नहीं मानती है ।

अतः मेरा केन्द्र सरकार व रेल मंत्रालय से अनुरोध है कि राज्य सरकारों द्वारा 50 प्रतिशत राशि मिलाने के वर्षों पुराने इस नियम में बदलाव लाएं एवं मेरे लोक सभा क्षेत्र के देवास शहर व शुजालपुर शहर में आर.ओ.बी. अथवा आर.यू.बी. बनाने की शीघ्रता से पहल करें ।

(vi) Need to inspect the works carried out under Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana in Sultanpur Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh and complete the electrification works as per norms

डॉ. संजय सिंह (सुल्तानपुर): नियम 377 के अंतर्गत मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत किए गए कार्यों की तरफ दिलाना चाहता हूं । इस योजना के तहत कागजों पर सभी गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है । परंतु हकीकत यह है कि अभी भी कई पुरवे विद्युतीकरण से वंचित है । जहां विद्युतीकरण हुआ है वहां पर भी अनेकों विसंगतियां हैं । कहीं तार की कमी तो कहीं खम्भों की कमी । अनेकों स्थलों पर ट्रांसफारमर पर्याप्त क्षमता के न होने की शिकायत है, जिसके कारण लोगों को लो-वोल्टेज की समस्या से जूझना पड़ रहा है । स्थिति तो और भी बदतर तब हो जाती है जब ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफारमर जल जाने पर उसे बदलने के लिए 48 घण्टे का नियम होने के बावजूद कभी-कभी महीनों लग जाते हैं । मेरे संसदीय क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में बमुश्किल 6-7 घण्टे की ही विद्युत आपूर्ति हो पा रही है जबकि उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में 14 घण्टे की विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने का सर्कुलर दिनांक 20.6.2011 को जारी किया गया है ।

मेरा अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना द्वारा कराए गए कार्य का निरीक्षण कराया जाए तथा उसकी रिपोर्ट के आधार पर छूटे हुए गांवों/पुरवों में विद्युतीकरण कराया जाए तथा ट्रांसफारमर, तार, खम्भों आदि की कमी को दूर किया जाए एवं न्यूनतम 14 घण्टे की विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए ।

(vii) Need to include Periyar, Chalakkudy and Kadambrayar rivers in Kerala in the National River Conservation Plan

SHRI K. P. DHANAPALAN (CHALAKUDY): Periyar river is a famous river which flows through Kerala. The total length of the river is 244 Kms. At Aluva, The river bifurcates into the Marthanaadavarma and the Mangalapuzha branches. The Mangalapuzha branch joins Chalakkudy river and empties into the sea at Munambam, and the Marthandavarma branch flows southwards, through the Udhyagamandal areaand joins the Cochin backwater (part of Vembanad Lake) at Varapuzha. The famous Aluva Manalpuram and Siva temple is on the banks of river Periyar, where lakhs of people joins during Sivarathri festival. Besides, world famous piligrim centres like Malayattoor St. Thomas Church and Kalady, the birth place of Aadhi Sree Sankaracharya are also situated on the banks of Periyar. Periyar is a valuable source of drinking water, where a number of projects are functioning at Aluva, to meet the drinking water needs of major parts of Kochi, Kakkanad, Kalamassery, Aluva, Vypin etc. which comprises the industrial capital of Kerala. Agricultural purposes of Ankamali, Perumbavoor assembly constituency area are also met by Periyar river water. Besides, Periyar valley irrigation project based on periyar river meets the irrigation purposes of thousands of people.

Besides, Chalakudypuzha, famous for Athirappilly, Vazhachal and Thoompoormuzhy waterfalls carry hundreds of lift irrigation schemes and 30 Government operated drinking water supply schemes and lakhs of people including Kodungallur constituency directly depend on the river for various uses. Chalakkudy river joins with a tributary of river Periyar and falls into the sea at Kodungallur near the Muzris which is the ancient port of South India. In Muvattupuzha river there is Choondy drinking water project which supply water to Thrippunithura area, Kochin Refinery, FACT, and other firms in Ambalamugal industrial area. Besides, thousands of people in Kunnathunadu assembly

constituency also depend on this river for drinking water and agricultural purposes. These rivers are under the threat of heavy pollution to which Lakhs of people depend for their agricultural and drinking water requirements. There is another river Kadambrayar, which is included in the list of most polluted 150 rivers in the country. The Special Economic Zone which include Cochin Smart city and Info Park are situated on the banks of Kadambrayar. Chithrapuzha is still another river facing severe pollution. The pollution also adversely affects the fish resources in these rivers. Hence necessary action may be taken for the protection of these rivers from pollution.

I request that these rivers may be protected by including in the National River Conservation Programme (NRCP) and pollution abatement works may be under taken immediately.

(viii) Need to establish an Indian Institute of Management in Jalgaon, Maharashtra

SHRI HARIBHAU JAWALE (RAVER): The Indian Institute of Management (IIM) is a group of public autonomous Institutes of Management education in the country. The establishment of IIM was envisioned and initiated by the first Prime Minister of India Late Jawaharlal Nehru based on the recommendation of the Planning Commission.

There are 13 IIMs established in the country covering almost all major states of the country but only Maharashtra State do not have such an IIM.

As we know Maharashtra State is considered to be an educational hub, there is tremendous potential and need for expert management personnel in the State.

Looking to the industrial growth in Maharashtra state and headquarters of almost all national and international companies, I request Minister of HRD to initiate action to establish the 14th IIM in Maharashtra State preferably at Jalgaon, which is conveniently approachable from Mumbai, Pune, Nagpur, Aurangabad and Nasik.

(ix) Need to construct a bridge each at Gosaibigha and Ohari Ghat on river Sakri in Nawada, Bihar

डॉ. भोला सिंह (नवादा): बिहार का नवादा जिलान्तर्गत रोह प्रखंड में गोसाईबीघा ओहारी घाट के मध्य अपर सकरी नदी झारखंड के पहाड़ी जंगलों से बहती हुई बरसात में बहुत ही विकराल रूप धारण करती है । इसके चलते प्रतिवर्ष लाखों की क्षति होती है, कटाव होते हैं और महिलाएँ, बच्चे, पुरूष प्रतिवर्ष दर्जनों की संख्या में डूबते-उतराते रहते हैं । यह नदी प्रतिवर्ष शोक नदी बनकर रह जाती है । इस नदी के दोनों किनारों के छोरों पर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क संपर्क योजना की सड़क है, पर इसे जोड़ने के लिए अपर सकरी नदी में पुल अभी तक नहीं बना है । बिहार सरकार हजारों की संख्या में पुल और पुलिया, हजारों करोड़ रूपए की लागत लगाकर बना रही है पर अभी तक इस पुल का निर्माण शुरू भी नहीं किया गया है । इस पुल की लागत 31 करोड़ रूपये हैं । डीपीआर तैयार है । तकनीकी स्वीकृति प्राप्त है, पर कार्यान्वयन अभी शुरू नहीं हुआ है । प्रति वर्ष इस नदी की बाढ़ के कारण महीनों दारूण क्रंदन, बच्चों और महिलाओं के डूबने से इसकी आर्तनाद सुनाइ देती है । राज्य सरकार पुल बनने के मामले में निधि की कमी को कारण बताती है । यह चिंताजनक है और असहज स्थिति है । सैकड़ों बार पुल बनाने के लिए धरना-प्रदर्शन हुए पर कार्यान्वयन की स्थिति नहीं बनी । मैं इस दुःखद परिस्थिति में केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास विभाग से आग्रह करता हूँ कि वह अपर सकरी नदी पर गोसाई बीघा और ओहारी घाट पर पुल बनाने का निर्णय करें, इसे कार्यान्वित करे और इसके बनने से जिले के तमाम प्रखंडों की दूरी 15 से 20 कि0मी0 कम हो जाएगी । मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करता हूं ।

(x) Need to regularize the services of employees working on daily wages under Archaeological Survey of India, Goa

श्री श्रीपाद येसो नाईक (उत्तर गोवा): देशभर में स्थित पुरातत्व विभाग, सर्वे ऑफ इंडिया के कार्यालयों में विशेषकर गोवा स्थित पुरातत्व विभाग में बड़ी संख्या में लोग 15-15 , 20-20 वर्षों से दैनिक दिहाड़ी पर इस आशा के साथ् काम कर रहे हैं कि एक न एक दिन उनको स्थायी कर दिया जायेगा परंतु इन विभागों में बड़ी संख्या में पद रिक्त होने के बावजूद इन विभागों में दैनिक दिहाड़ी में कार्यरत लोगों को स्थायी नहीं किया जा रहा है । यह ऐसे लोगों के साथ भारी अन्याय है ।

अतः मेरी केंद्र सरकार से मांग है कि सरकार एक नीति बनाये और यह सुनिश्चित करें कि इन रिक्त पड़े पदों से वर्षों दैनिक दिहाड़ी पर कार्य कर रहे इन लोगों को वरिष्ठता क्रम के अनुसार नियमित किया जाये जिससे कि ये अपने तथा अपने परिवार का जीवनयापन ठीक प्रकार से कर सके ।

(xi) Need to celebrate the birthday of Sri Basaveshwara, a great saint of Karnataka

SHRI SHIVARAMA GOUDA (KOPPAL): I would like to draw the attention of the Union government towards a long pending demand of the people of Karnataka to celebrate the birth day of Sri Basaveshwara on the lines of Great Personalities of the country like Lord Buddha, Swami Vivekananda etc.,

In the history of Karnataka, Basavanna's is a very great name. Basavanna (or Basaveshwara) was bom in 1134. He was a Philosopher, Statesman and a social reformer. He was the founder of Lingayatism that is Lingayat Dharma. A true visionary with ideas ahead of his time. He was the Prime Minister of the Southern Kalachuri empire in South India. He was a man of letters by taste, a humanist by sympathy, and a social reformer by conviction. Basavanna spread social awareness through his poetry known as ***Vachanaas.*** His teachings and preachings are universal and go beyond all boundaries of belief systems. He was a great humanitarian and preached a new way of life wherein the divine experience being the center of life regardless of gender, belief, tradition, religion, caste or social status.

Basavanna, like Gautama Buddha, taught people how to live happily in a rational social order later came to be known as Sharana movement. Basava fought against the inhuman practice of caste system, which discriminated people based on their birth.

The Anubhava Mantapa established by Basava laid down the foundation of social democracy. Basava believed that man becomes great not by his birth but by his conduct in the society. He taught the dignity of manual labour by insisting on work as worship.

Father of our nation Mahatma Gandhi had said during Belgaum session of the Indian National Congress in 1924 - "It has not been possible for me to practise all the precepts of Basaveswara which he taught 800 years ago and which he also practiced... Eradication of untouchability and dignity of labour were among his core precepts. One does not find even shades of casteism in him. Had he lived during our times, he would have been a saint worthy of worship."

Hence, I urge upon the Union Government to take all necessary steps to celebrate the birth day of Sri Basaveshwara on the lines of great personalities (saints) of the country like Gautama Buddha, Swami Vivekananda etc.,

(xii) Need to ensure free treatment of economically poor people in private hospitals in Delhi which have been allotted land on subsidized rates

श्रीमती सुशीला सरोज (मोहनलालगंज): स्वास्थ्य पर 11वीं पंचवर्षीय योजना में सकल घरेलू उत्पाद का खच मात्र 1.09 प्रतिशत था जबकि विकसित देशों में इलाज पर यह लगभग 11 प्रतिशत तक है । सर्वविदित है कि देश में महंगे निजी अस्पतालों से गरीबों के लिए इलाज कराना उनके वश की बात नहीं है और खस्ताहाल सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं और महंगे निजी अस्पतालों से सबसे ज्यादा नुकसान गरीबों का ही होता है । इसी को ध्यान में रखकर दिल्ली के अस्पतालों को सस्ती दरों पर जमीन मुहैया करवाई गयी थी और शर्त यह थी कि निजी अस्पताल गरीबों का इलाज रियायती दरों पर करेंगे परंतु खबरों की माने तो दिल्ली के अस्पतालों में गरीबों के इलाज के लिए निर्धारित ज्यादातर बेड खाली होती हैं । वे गरीब मरीजों के इलाज में कोताही बरत रहे हैं और उनका तर्क होता है कि गरीब मरीज अस्पताल में इलाज के लिऐ आते ही नहीं । यह बात अस्पतालों के एक औचक निरीक्षण में सामने आई है ।

संसद की लोक लेखा समिति ने भी यही बात कही है कि रियायती दर जमीन लेने वाले अस्पताल शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं । सवाल है कि जिन नियमों के पालन की शर्त पर प्राइवेट अस्पतालों को सस्ती दरों पर जमीन दिया गया है यदि वे उन शर्तों और नियमों का पालन नहीं करते तो ऐसे में पुनर्विचार करने की आवश्यकता है कि जमीन का आवंटन बरकरार रखा जाए या निरस्त कर दिया जाए ।

मेरी मांग है कि जिन प्राइवेट अस्पतालों को रियायती दरों पर जमीन सरकार द्वारा आवंटित की गइ है, गरीबों के इलाज में यदि वे कोताही बरतते हैं तो ऐसे निजी अस्पतालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाए ।

(xii) Need to provide electricity in district Balia, Uttar Pradesh by Power Grid Corporation of India

श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर): उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया में पॉवर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इब्राहिम पट्टी में पूर्व प्रधानमंत्री स्व. चंद्रशेखर जी के प्रयास से खोला गया था । जिसमें पॉवर ग्रिड हेतु सैंकड़ों एकड़ जमीन इब्राहिम पट्टी के लिए किसानों से ली गई थी । पॉवर ग्रिड की स्थापना होते समय यह कहा गया था कि यह ग्रिड जहां दूसरे प्रांतों को बिजली देगा वहीं जनपद बलिया को भी बिजली देगा, पॉवर ग्रिड से 30 कि.मी0. तक की रेंज में 24 घंटे अतिरिक्त बिजली तथा इसका सौन्दर्यीकरण भी किया जायेगा, परंतु दुर्भाग्य है कि पॉवर ग्रिड से सारे कार्य तो लाभ से संचालित हैं, परंतु यहां पर न तो बिजली आपूर्ति और न ही सौन्दर्यीकरण किया गया । मैं मांग करता हूं कि विभाग इस पर पहल कर सौन्दर्यीकरण व विद्युत देना सुनिश्चित करें, और इस दिशा में की गई प्रगति से मुझे अवगत करायें ।

(xiv) Need to connect roads in border districts of Bihar with National Highways

श्री महेश्वर हज़ारी (समस्तीपुर): सामरिक दृष्टि से बिहार के कुछ जनपद अत्यंत महत्वपूर्ण है जो नेपाल और बांग्लादेश की सीमाओं को जोड़ते हैं । समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया एवं कटिहार ये सभी जिले बिहार के पिछड़े क्षेत्रों में आते हैं । इन जिलों में राष्ट्रीय राजमार्गों से राज्य की सड़कों को जोड़ा जाना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि देश की सीमा से जुड़े ये जिले राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़े न होने के कारण सीमा पर असमाजिक तत्वों के अचानक गतिविधि की रोकथाम के लिए देश की विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों को समय पर सीमाओं पर पहुंचने में बाधा आती है जिसका फायदा उठाकर असामाजिक तत्व सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रवेश कर जाते हैं जो राष्ट्र औरह स्थानीय नागरिकों के लिए खतरा पैदा करते हैं ।

मेरी मांग है कि राष्ट्रीय राजमार्ग से बिहार राज्य की सीमावर्ती सड़कों को जोड़ने के लिए मंत्रालय हर संभव संसाधन उपलब्ध कराए जिससे सीमा पर किसी भी गतिविधि से निपटने के लिए समय पर हमारे सुरक्षा एजेंसियों को पहुंचने में किसी प्रकार की बाधा न आए ।

(xv) Need to expedite construction work of hydro-electric projects on Krishnarajasagar dam at Sivasamudram and Mettur dam at Hogenakkal in Tamil Nadu

SHRI R. THAMARAISELVAN (DHARMAPURI): I would like to bring to the notice of the Government that the National Hydro Power Corporation had mooted erection of hydroelectric power stations between Krishnaraja Sagar and Mettur Dam at Sivasamudram and Hogenakkal. The Central Government has submitted a proposal to the State Governments concerned in 1999. The Tamil Nadu Government gave its consent for the projects on certain conditions. The conditions were that the work for the hydropower projects at Sivasamudram and Hogenakkal should be started simultaneously after getting permission. Since the State of Tamil Nadu is already reeling under acute power shortage, the commissioning of these projects would help the State to tide over its power requirement. Therefore, I urge upon the Government to commence immediately the work on these two projects at the earliest.

(xvi) Need to take necessary steps for setting up of more Food Parks in Punjab.

SHRIMATI PARAMJIT KAUR GULSHAN (FARIDKOT): There is an urgent need to set up more food Parks to the State of Punjab. The matter has already been taken by the Hon'ble CM, Punjab with the Union Government at the appropriate level. So far, only one Food Park has been set up at Ferozepur in Punjab. Setting up of more food parks to Punjab would give a push to agro industry in the State and will also benefit farmers. The State Government of Punjab in consultation with the representatives of the food processing industry has already prepared a blueprint inviting suggestions from them to be incorporated in the upcoming scheme of the Agriculture Ministry for boosting investment in this sector. Moreover, the State Government has announced major concessions for such projects. I hope an early decision would be taken in the matter in the larger interest of Punjab.

(xviii) Need to declare Calcutta Medical College in West Bengal as an institute of national importance and excellence and to allocate funds for the purpose

DR. TARUN MANDAL (JAYNAGAR): Calcutta Medical College at Kolkata is the first medical college in Asia established in the year 1835 during the British rule. As a part and parcel of Indian Renaissance overcoming superstitions and social prejudices medical students dissected human body for learning Antomy and first woman doctor of India was also produced from this premier institute of the east. Doyens of medical practices and education in India like Sir Nil Ratan Sircar, Dr. B.C. Roy, Dr.K.S. Roy, Dr. U.N. Bramhachari were products of this glorious medical institute.

I would, therefore, request the Union Government and the Ministry of Health and Family Welfare to declare this prestigious institute of learning as an institute of national importance and excellence and to allocate financial package for the purpose.

14.07 hrs

RIGHT OF CHILDREN TO FREE AND COMPULSORY EDUCATION (AMENDMENT) BILL, 2012 - Contd.

MR. CHAIRMAN: The House shall now take up Item No.16. The hon. Minister to continue.

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT AND MINISTER OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI KAPIL SIBAL): Sir, as we are all aware, the Right of Children to Free and Compulsory Education Act was passed by the hon. Members of this House way back in 2009. It was brought into effect on 1st April, 2010.

Every legislation has its complexities and when any legislation is implemented on the ground, naturally concerns arise on aspects that were not addressed as and when the legislation was framed. So, when this legislation was passed we received several representations, especially from groups, NGOs who were espousing the cause of children suffering from disabilities. They wanted the definition of disadvantaged children to also incorporate children suffering from multiple disabilities and other ailments. As we have indicated in the Bill, this could have been done through executive action by issuance of notification, but naturally we thought it would be more appropriate to incorporate in the definition of disadvantaged children an additional clause through which children suffering from disabilities could also be protected. The intent was that the children suffering from disabilities are as much entitled to free education and have a right to education just as any other child.

So, it was one set of suggestions which was made to us and we are ready to accept this. The other set of objections was raised by distinguished members of the minority community. They had said that the Act did not have any article and any clause which indicated that this Act was subject to the rights of the minority

communities under Articles 29 and 30 of the Constitution. Though, I believe that this is implicit because the Constitution of India and the provisions therein overwrite any legislation as also it is a constitutional provision. So, any legislation passed by Parliament is subject to Articles 29 and 30 of the Constitution. It is given. Yet, the Committee thought that it should be prescribed for and incorporated in the Act. This suggestion was also accepted by us. Therefore, we moved an amendment Bill. It was referred to the Standing Committee on 16th April, 2010.

The Standing Committee while going through the Bill widened the definition of 'disadvantaged children' and included many other disabilities which were not originally incorporated by us in the amendment that we have sought. They have also made some other suggestions and, of course, accepted the suggestion that the Act is subject to Articles 29 and 30 of the Constitution as also it should be incorporated in the amendment Bill itself. So, they made several amendments and by and large we have accepted all those amendments. We moved the Bill for consideration in the other House and it was passed in the other House. All these amendments were taken into account and passed. That is how, we are here before this House.

I would like to just mention that the amendments that were sought and as the Bill passed by the Rajya Sabha which is before this House can fall into four separate categories. The first category relates to enlarging the definition of 'disadvantaged children'. Therefore, the definition now means 'also a child with disability'. We have been incorporated Clause (ee) in Section 2 after clause (e) which reads as under:

> "(ee) "child with disability" includes,—
> (A) a child with "disability" as defined in clause (i) of section 2 of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995;
> (B) a child, being a person with disability as defined in clause (j) of

> section 2 of the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999;
> (C) a child with "severe disability" as defined in clause (o) of section 2 of the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999. "

So, what is sought is the enlargement of this 'disadvantaged children'; children belonging to the disadvantaged community so that these children who are suffering from disabilities should also get the benefit of the 25 per cent. I think it is very important and that they are integrated into the school system.

There is a big debate in this country that when children of disabilities are there, what kind of education should they get? Should we segregate them from the rest of the community, should we segregate them from the rest of the children or should they be integrated in the classroom? We in Government fiercely believe that all children must be sensitized to the fact that there are children who are differently-abled. That sensitivity can only be understood only when they are in the midst of it. Their difficulties and challenges must be understood by all children. Therefore, we believe that integration of children suffering from disabilities in the same class room as other children is very important not just for the children suffering from disabilities but also for those who do not suffer from such disabilities. Therefore, that is really the intent of this amendment.

The consequential amendment that was required pursuant to this was an amendment of Section 3 of the principal Act in which for sub-section (1) we have made a substitution which is consequential to the enlargement of definition. It says now:

> "Every child of the age of six to fourteen years, including a child referred to in clause (d) or clause (e) of section 2, shall have the right to free and compulsory education in a neighbourhood school till the completion of his or her elementary education."

Clause (e) of section 2 is about children with disabilities. Therefore, they have the same fundamental right as any other child to free and compulsory education. That is why, that consequential amendment had to be made to section 3. The proviso in section 2(b) has been omitted and after section 2(c) the following sub-section has been added and I will read that. The sub-section 3 says:

> "A child with disability referred to in sub-section (A) of clause (ee) of section 2 shall, without prejudice to the provisions of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995, and a child referred to in sub-clauses (B) and (C) of clause (ee) of section 2, have the same rights to pursue free and compulsory elementary education which children with disabilities have under the provisions of Chapter V of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995."

We have added a proviso to that. It says:

> "Provided that a child with "multiple disabilities" referred to in clause (h) and a child with "sever disability" referred to in clause (o) of section 2 of the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 may also have the right to opt for home-based education."

हम सभी को मालूम है कि खासतौर पर देहात में कई ऐसे स्कूल हैं, जहां यह सुविधा उपलब्ध है ही नहीं, जहां ऐसे कोई अध्यापक हैं ही नहीं जिनको चिल्ड्रेन विद डिसएबिल्टी के बारे में जानकारी हो, न ट्रेनिंग है। अगर स्कूल में बच्चा जा ही नहीं पाएगा, तो उसके कुछ अधिकार तो होने चाहिए। हम मानते हैं कि वे अधिकार उसको उसके घर में मिलने चाहिए और यह ऑप्शन उनकी है, यह ऑप्शन पेरेंट्स की है। लेकिन इस बारे में भी चर्चा सारे देश में हो रही है कि कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि होम-बेस्ड एजुकेशन होनी ही नहीं चाहिए। कोई भी बच्चा किसी भी हालत में हो, उसको स्कूल जाना चाहिए। हम मानते हैं कि वह व्यवस्था भी हिन्दुस्तान में पैदा होनी चाहिए कि कोई ऐसा बच्चा न हो जो स्कूल न जा सके। जहां स्कूल जाने में उसे दिक्कत हो क्योंकि अध्यापक को इस बारे में जानकारी नहीं है। ऐसे अध्यापक भी हमें तैयार करने पड़ेंगे, ऐसे शिक्षक भी तैयार करने पड़ेंगे ताकि बच्चा किसी भी डिसएबिल्टी से सफर क्यों न करता हो, उसको यह हक होना चाहिए कि उसके मां-बाप कहें और बच्चा स्कूल जाना चाहे, तो यह सुविधा उसे उपलब्ध होनी चाहिए। In the other House also, I clarified that this cannot be

used as a provision to keep children out of school. ऐसा न हो कि स्कूल का मैनेजमेंट कहे कि आपके बच्चे की पढ़ाई यहां हो नही सकती, इसलिए आप घर ही बैठिए। यह सेक्शन वह साधन भी नहीं बनना चाहिए कि किसी बच्चे को स्कूल जाने से डिनाई किया जाए। लेकिन यह चॉइस पेरेंट्स को होनी चाहिए, यह चॉइस बच्चे को होनी चाहिए कि जहां यह सुविधा नहीं है, वहां होम बेस्ड एजुकेशन भी होनी चाहिए।

This of course is consistent with the convention on rights of the child also because the Convention says and I quote:

> "Until such time that as per the ETE neighbourhood schools are available within one kilometer radius and until there are requisite number of teachers in all schools and all teachers are trained in ICE, I suggest that the multi-option be continued."

कंवेंशन ऑफ राइट्स में भी यही है।

"recognizing that the varsity of the persons with disabilities; recognizing the rights of all persons with disabilities including those who require more intensive support; recognizing the importance of individual autonomy in independence, including freedom to make their own choices. Children with disabilities best interest laws to be provided appropriate assistance to realize that right and right of living independently and being included in the community to ensure that persons with disabilities have access to a range of in-home residential and other community support systems, including personal assistance necessary to support living and being included in the community'.

Sir, this is one set of amendments that I seek the approval of the distinguished Members of this august House from. The other, of course, is the demand of the minority community who suggested that we should incorporate in this amendment Bill specific references to articles 29 and 30 of the Constitution. We have, therefore, added in Section 1(a), clause 4 and 5 and I will read those. Clause 4 says:

"Subject to the provisions of articles 29 and 30 of the Constitution, the provisions of this Act shall apply to conferment of rights on children to free and compulsory education."

Clause 5 says:

"Nothing contained in this Act shall apply to *Madrasas, Vedic Pathshalas* educational institutions primarily imparting religious instructions."

This also came about because many of the *Madrasas* do not impart religious instructions and there was also a demand from the *Vedic Pathshalas* as well as *Madrasas* that we should keep both *Madrasas and Vedic Pathshalas* out of the ambit of this Act and then, of course, incorporate articles 29 and 30 specifically in the amendment provisions. This is what we have done.

In the context of that we have made another amendment in Section 21. As you know that under the original Act School Management Committees were to be set up and the School Management Committees were to decide on the developmental plans of the school. The decision making was in the School Management Committees. माइनोरटीज़ की तरफ से यह भी मांग आई कि जो माइनोरटीज इंस्टीट्यशंस हैं, आर्टिकल 29 और 30 के अंतर्गत उन्हें अख्तियार नहीं होना चाहिए कि वे निर्णय लें, चाहे वह डवलपमेंट प्लान में निर्णय हो या कोई और हो, इसलिए माइनोरटीज इंस्टीट्यूशंस को इसके बाहर रखना चाहिए। हमने समझा कि यह मांग सही है और वह हमने मान ली। अब तो सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ गया है। On the 12th of April, 2012 the Supreme Court also rendered a decision in which the Supreme Court said that no provisions of this Act will apply to unaided minority educational institutions. So, to that extent, the Supreme Court clarified and severed those provisions of the Act which apply to unaided minority institutions. But the Supreme Court also said that as far as aided institutions are concerned, it will have full application. In that context, I might just mention to the distinguished Members of this House that I had already moved an amendment in Section 21 where I have said, proviso to sub-Section (ii), provided that the School Management Committee constituted under sub-Section 1(a) a school established

and administered by minority whether based on religion or language and all other aided schools as defined in sub-Section (2) shall perform advisory function only.

So, what we have said is that, as far as minority institutions which are aided or even otherwise aided institutions are concerned, the School Management Committee shall only perform advisory functions. But the management will be in the hands of the private people because most of these institutions are privately run but are aided by the Government and we want the private enterprise to continue and therefore, we have given this protection. That is the second amendment in respect of minority communities.

The third is about the anomaly which has arisen in the context of Section 19(2) and Section 25 of the Act. In Section 19(2) as it originally stood, there was a provision which suggested that the pupil-teacher ratio, as defined in the Schedule, should be set right in six months time. In Section 25, it was prescribed that certain provisions of the Act shall come into force during the period of three years. So, there was a mismatch between Section 19(2) and Section 25 of the Act. We have removed that anomaly and given a period of three years even under Section 19(2) and made it consistent with Section 25. That is the third set of amendment that I have brought.

The last one is that we have added Section 39 after Section 38 which is about the powers of the Central Government to remove difficulties. This is a very important provision because a complex Act like this will raise a lot of difficulties as and when we implement them. Many States, schools and individuals will come to us and ask as to what extent the provisions of this Act apply to them and we will have to then give our decisions from time to time. So, we thought that we would include omnibus clause which is Section 39 which says that if any difficulty arises in giving effect to the provisions of the Act, the Central Government may by order publish in the public Gazette make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as may appear to it to be necessary for removing the difficulties provided that no order shall be made under this Section after expiry of

three years from the commencement of the Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Act, 2012 and every order made under this Section shall be laid as soon as may be after it is made before each House of Parliament. This is the last set of amendments that I have proposed.

I just want to make one point clear. Some Members may talk of some disabilities which are not included in the present definition of disabilities. For example, dyslexia. This disability is not included here. I might just inform the distinguished Members that there is going to be a complete relook and the Social Welfare Ministry is having a relook at the Disabilities (Equal Opportunities, Protection and Full Participation) Act, 1995 and the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999. They are carrying a full scale amendment of this Act and once that is done, it will be automatically incorporated in this Bill by virtue of the definitions here. So, distinguished Members need not worry. All forms of disabilities will be included and we shall protect children suffering from these disabilities under the provisions of this Act.

Having said all this, the only concern that I have as a Minister and which I want to share with the distinguished Members of this House is that we can have an Act but the most important journey that is yet to be made is how to ensure that it is implemented in spirit on the ground. I need the collaboration of the distinguished Members of the House, distinguished political parties and State Governments.

Sir, the stakeholders in education is not just the Central Government. The Central Government can enact a law and especially in the context of education, you know that education is in the Concurrent List. The ultimate responsibility of implementation of that law is with the State Governments. It is not just to do with the State Governments only. It is concerned with the individual school management, the School Management Committee, the parents of children who go to schools, the civil society and the NGOs who espouse the cause of the disadvantaged members of the community. It is, of course, the students

themselves. There are multi stakeholders who are deeply, deeply involved in the success of this Act. We need the support of all those stakeholders. Unless that happens, we will not be able to implement the Act both in its language as well as in its spirit.

Sir, it is with this that I appeal to distinguished Members of this House. It is the responsibility of every member of civil society to ensure that all the children in India go to school. It is the responsibility of every member of civil society to ensure that if there is any discrimination done against a child, it should be brought to the notice of the authorities – first to the management, then to the State Government and then, of course, to the Central Government. There has to be a national concern, a national commitment, a passion for the children of our country; a passion to ensure that India becomes an empowered nation. We are now giving a framework for that passion to be made a reality, and how it is made a reality depends on distinguished Members of this House and distinguished members of the civil society. We, in UPA-II, are committed to ensure that it is implemented both in letter and spirit.

MR. CHAIRMAN : Motion moved:

> "That the Bill to amend the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम): सभापति महोदय, शिक्षा के निशुल्क अधिनियम पर चर्चा करने के लिए आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं विशेष आभारी अपने श्रद्धेय नेता श्री आडवाणी जी एवं नेता प्रतिपक्ष श्रीमती सुषमा स्वराज का हूं कि उन्होंने चर्चा को प्रारम्भ करने की अनुमति दी है।

महोदय, वर्षों से भारत शिक्षा में एक गुरु के रूप में प्रतिस्थापित हुआ है। सदियों पहले भारत की संस्कृति की, तक्षशिला और नालंदा विद्यालय की एक रीति थी। लोग विदेशों से यहां शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। भारत की जो परम्परा और विरासत है, जो हमारी गौरवगाथा है, उसके कारण हम शिक्षा को केवल शिक्षा की तरह नहीं देखते हैं, बल्कि हम शिक्षा को भगवान और पूज्यनीय दृष्टि से देखते हैं। हम माँ सरस्वती की उपासना के रूप में शिक्षा को देखते हैं। मैं गौरव के साथ कहना चाहता हूं कि ऐसी परम्परा किसी दूसरे देश में नहीं है, जैसी भारत में है। मैं माँ सरस्वती के रूप में शिक्षा की वंदना करता हूं। शिक्षा का हमारे दिल में क्या स्थान है, इसके लिए मैं एक दृष्टांत आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरी पोती दूसरी कक्षा में पढ़ती है। एक दिन मैं बैठा था और वह मेरे पास बैठी अपना होमवर्क कर रही थी। गलती से उसका पैर उसकी पुस्तक को छू गया। वह छोटी बालिका एकदम चौंक गई और उसने दोनों हाथ जोड़ कर पुस्तिका को नमन किया तथा सिर पर पुस्तक को लगाया। इस तरह उसने अपनी गलती का एहसास किया। यह परम्परा सिर्फ भारतीय मूल्यों में ही है। यह परम्परा भारतीय नसों में बह रही है और ऐसी शिक्षा के अधिनियम पर जब वर्ष 2009 में हमारे विद्वान एचआरडी मिनिस्टर श्री कपिल सिब्बल, जो नामी वकील भी हैं, उन्होंने शिक्षा के माध्यम में जो भी नवीन काम किए हैं, उनके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने शिक्षा में नए आयाम स्थापित किए हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सिब्बल साहब बहुत उत्साही भी हैं, लेकिन कभी-कभी शिक्षा के लिए काम करते समय कुछ ऐसा कर जाते हैं, जिससे जमीनी स्तर पर उसका कोई रिजल्ट नहीं आता है। राइट टू एजुकेशन एक्ट में ऐसा ही हुआ है। हमने बड़े-बड़े मापदंड रख दिए हैं। हमने बड़ी बड़ी ऊंचाइयां बना रखी हैं। मगर इन ऊंचाइयों पर कैसे हम समस्याओं को सॉल्व कर पाएं, उनके लिए हमने कोई व्यवस्था नहीं की है। मैं मंत्री जी से विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि आपने जो विधेयक बनाया है, 135 देशों की सूची में फ्री एजुकेशन देने वालों की सूची में भारत शामिल हुआ है और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन जब हम इसके कानून को इम्पलीमेंट करते हैं तो इस प्रक्रिया में मुझे कहीं एक अभाव दिख रहा है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस बारे में कुछ सोचें। हमारे संविधान की धारा 45 में शिक्षा को फंडामेंटल राइट दिया गया है और हमारे संविधान के निर्माताओं ने

जो परिकल्पना उस वक्त की थी कि दस साल के अंदर शिक्षा को कम्पलसरी और फ्री एजुकेशन देने का जो गोल अचीव करना था,

> "The State shall endeavour to provide, within a period of ten years from the commencement of this Constitution, for free and compulsory education for all children until they complete the age of fourteen years. "

मगर इतने साल बीत गये हैं, हम इस बारे में ज्यादा प्रगति नहीं कर सके। 1964 में बहुत विद्वान शिक्षा मंत्री श्री एम.सी.चागला ने उस वक्त कहा था:

> "Our Founding Fathers of the Constitution did not intend that we just set up the hovels, put the students there, give the untrained teachers, give them bad textbooks, no playgrounds and say we have complied with Article 45 and primary education is expanding…They meant that real education should be given to our children at the age of 6 and 14 years. "

महोदय, निशुल्क और् अनिवार्य बाल शिक्षा का जो अधिकार संशोधन है, इसमें मंत्री जी ने जो अमेंडमेंट रखा है, मैं माननीय मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि डैमोक्रेसी का कोई विकल्प ही नहीं है। लेकिन हमारे स्टेट के ही दिनशा पटेल साहब यहां बैठे हैं। हमारे देश के आजाद होने से पहले हमारे वहां बड़ुआ स्टेट हुआ करता था और वे राजा इतने विद्या प्रेमी और प्रजा वत्सल थे कि उस जमाने में उन्होंने शिक्षा को कमपलसरी एजुकेशन बनाया था और न केवल एक्ट बनाया था बल्कि गायकवाड़ ने उसको इम्पलीमेंट भी किया था।

मैं ओल्ड बड़ुआ स्टेट के चाड़स्पार एरिया से आता हूं और मुझे गर्व है कि हमारे ओल्ड बड़ुआ स्टेट के सभी प्रदेशों में आज शिक्षा का क्षेत्र इतना बड़ा है कि वहां डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ऑफिसर्स हैं। अगर उसका श्रेय किसी को देना है तो शाहजीराव गायकवाड़ को हमें देना चाहिए क्योंकि वे एक राजनीतिज्ञ थे लेकिन फिर भी एक लोकशाही से भी अधिक आगे जाकर काम करते थे। उनको मैं स्मरण करता हूं। मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान बनाया और संसद उसी के तहत चलती है और पूरा देश चलता है, उनको शिक्षा के लिए विदेश भेजा गया था। अगर बाबा साहब को बाबा अम्बेडकर साहब बनाया था तो वह शाहजीराव गायकवाड़ थे। इस अधिनियम में अभी अभी मंत्री जी ने कहा कि जो अधिनियम में अमेंडमेंट रखा है, वह वैदिक पाठशालाओं और मुख्यत:धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाली शैक्षणिक संस्थाओं पर लागू नहीं होगा। मैं आपको विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि अभी

अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है। हमारी न्यायपालिका हमेशा तटस्थ मुद्दों पर न्याय देती है। अभी अभी जो न्याय प्रणालिका ने फैसला सुनाया है, मुझे लगता है कि इसमें प्रावधान करने की जरुरत नहीं है। मैं किसी माइनोरिटी के खिलाफ नहीं हूं। प्राइवेट माइनोरिटी इंस्टीट्यूट मुख्यतः प्राइवेट ट्रस्ट चलाते हैं। प्राइवेट ट्रस्ट होने के कारण कमर्शियल बेस पर चलाये जाते हैं। मेरी मांग है कि ऐसी संस्थाओं को इसके दायरे में लाया जाना चाहिए।

महोदय, वैदिक पाठशाला, मदरसा या धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं में गरीब लोगों को शिक्षा देने का प्रावधान होना चाहिए। मैं सरकार को निजी शिक्षा संस्थाओं में 50 फीसदी गरीब तबके के बच्चों को आरक्षण देने के लिए बधाई देता हूं। यह बहुत अच्छा कदम है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर मोहर लगाई है। ऐसी 34 प्राइवेट संस्थाएं हैं जो इसके दायरे में आएंगी और गरीब बच्चों को पढ़ने का मौका मिलेगा। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब दिल्ली में बड़ी संस्थाओं, बड़े स्कूलों या पब्लिक स्कूलों में दलित, वनवासी, गरीब और श्रमजीवी बच्चे जाएं तो उनके प्रति सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए। हमें निश्चित तौर पर प्रावधान करना चाहिए ताकि उनके प्रति अन्याय न हो, भेदभाव न हो, सौतेला व्यवहार न हो। हमारे देश में अमीर और गरीब बच्चे साथ पढ़ते थे। मैं आपको भगवान कृष्ण और सुदामा का उदाहरण देना चाहता हूं और हमें इस तरह का ही माहौल तैयार करना होगा।

महोदय, मैं मंत्री जी को आरटीआई की धारा 2 के संशोधन में डिसएबिलिटी को शामिल करने के लिए बधाई देता हूं। मंत्री जी ने अभी सदन में घोषणा की है कि सभी प्रकार की डिसएबिलिटी को इसमें शामिल किया जाएगा। डिसएबिलिटी में वही व्यक्ति डिफिकल्टी नहीं झेलता है बल्कि पूरा परिवार झेलता है। आपने उनके लिए होम वेज एजुकेशन का प्रावधान किया है, मैं मानता हूं कि शिक्षा की मूल धारणा और उद्देश्य इस बात से मारा जाएगा। अगर बच्चों को होम वेज एजुकेशन में रखने का प्रावधान करेंगे तो बच्चों को एटमॉसफेयर नहीं मिलेगा, वे आइसोलेशन में रहेंगे और यह उनके विकास के लिए भी ठीक नहीं होगा। मैं नहीं समझता कि इस तरह से उनका कोई विकास होगा।

महोदय, आपने अभी जिक्र भी किया है कि संस्थाओं और स्कूलों को एक प्रकार से रिजेक्ट करने लेजिटिमाइज रीजन का मिल जाएगा कि इन्हें घर पर पढ़ाओ। अगर आप स्कूलों में ह्यूमेन रिसोर्स डिप्लाए नहीं कर सकते हैं तो होम वेज एजुकेशन में कैसे कर पाएंगे? But this provision is also in contradiction of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities and the recent Supreme Court's judgement in April, 2012. मैं मंत्री जी से गुजारिश करता हूं कि होम वेज एजुकेशन के प्रावधान को हटाकर नजदीकी स्कूलों का प्रावधान किया जाए।

मंत्री जी ने अभी स्वीकार किया है कि हमारे पास ऐसा कोई इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई शिक्षक नहीं हैं, संस्थाएं नहीं हैं जो डिसएबल्ड को टीच कर सकें। हमें इसके लिए उपार्जन करना होगा, प्रावधान करना होगा।

महोदय, ऐसे बच्चों को नजदीकी स्कूल में भेजा जाए तो वह बैटर इक्विप्ड होना चाहिए। वहां साइन लैंग्वेज होनी चाहिए, एडीक्वेट लर्निंग मैटीरियल होना चाहिए। डिसएबल्ड के लिए करीकुलम में कोई यूनिफार्मिटी नहीं है। डिसएबिलिटी फ्रैंडली करीकुलम का निर्माण किया जाए, ताकि देश में सभी जगह पर डिसएबल बच्चों को पढ़ने के लिए एक प्रकार की यूनिफार्मिटी होनी चाहिए।

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, you have made your points. I will give you one more minute. Please conclude within that time. Otherwise, I will call the next Member.

डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी : मेरे ख्याल में यह बिल कुछ जल्दबाजी में बनाया गया है, इसमें कई त्रुटियां हैं। इसमें शिक्षा में यूनिफार्मिटी का अभाव है। छः साल से नीचे के बच्चों का इसमें समावेश नहीं किया गया है। मातृभाषा में शिक्षा का जो प्रावधान है, जैसा गांधी जी कह गये हैं कि शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए, उसका यहां कोई जिक्र नहीं किया गया है। धार्मिक संस्थाओं को इसके दायरे से बाहर रखा गया है, उन्हें अंदर लाना चाहिए। अनाथ बच्चों के साथ इसमें अन्याय किया गया है, क्योंकि इस विधेयक के जरिये आपको इंकम टैक्स सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, बीपीएल कार्ड की जरूरत होती है, बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। मुझे हैरानी इस बात की है कि अनाथ और ऑर्फन बच्चे ऐसे सर्टिफिकेट कहां से लायेंगे, मैं समझता हूं कि उनके लिए इसमें कोई स्पेशल प्रावधान करना चाहिए।

सभापति जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI KODIKKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on this important piece of legislation which provides that children with disabilities and children belonging to the disadvantaged groups will be considered as part of the 25 per cent who are entitled representation in schools. This is a welcome step on the part of the Union Government to have given due consideration to these groups.

Sir, after the Right of Children to Free and Compulsory Education Act came into force, there was widespread opposition to this Act, particularly from the private schools. They even went to courts, and finally, the Supreme Court gave a final verdict upholding the provisions of this Act. With inclusion of children with disabilities and children from the disadvantaged groups, the Government has been able to make a comprehensive legislation. So, I congratulate the hon. Minister for bringing this important amendment before the Parliament.

In a democratic system of Government, the priority of the Government is to ensure that best quality elementary education is imparted to all groups, particularly to the disadvantaged groups. Unequal access to education brings inequality in the country and by bringing such a legislation, the Government has ensured that inequality in the society is reduced to some extent. Children with disabilities require special education and special attention. We do not have enough trained teachers to look after the needs of the children with disabilities. The Government should make an honest effort to ensure that teachers with specialized training to teach disabled children are recruited in Government schools. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please maintain silence in the House.

SHRI KODIKKUNNIL SURESH: Now, I come to the most important aspect of education. As all hon. Members are aware, even after more than 60 years of our Independence, the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other disadvantaged groups have been deprived of quality education. Since these groups received unequal treatment in every area, naturally they could not get education. Even today, there are children belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and

other disadvantaged groups of our society who do not go to schools. Even if they are able to get admission in schools, they drop out after receiving only formal education. I would like to know from the Government whether it has the figures available with it as to the drop out rate of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other disadvantaged groups. How many students belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other disadvantaged groups are able to receive education in our higher educational institutions?

Sir, there is an apprehension in the minds of the people belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes that even if the private schools admit the SC/ST students after this Act, they will be forced to sit separately and there will be untrained teachers. How is the Government going to ensure that children, who are admitted in private schools under 25 per cent quota and whose school fee is paid by the Government, get quality education that is being received by other children in these schools? Has the Government prepared any action plan? I would like the hon. Minister to clear this apprehension while replying.

The condition of the schools is very bad and pathetic. The total conditions of the Government schools and aided schools are very bad. There are no proper buildings; majority of the school are functioning in unfit buildings. So, there is a dangerous situation in such schools. The parents are very much afraid, the students are very much afraid of going to such schools. There is no money for construction of new building.

The Government of India has released crores and crores of rupees under Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) for the development of infrastructure. But the SSA fund is being spent in a different way. The State Governments are spending this SSA fund in their own way. There is no control over that, nobody is looking after that. The local MPs are not aware how much has been spent under Sarva Shiksha Abhiyan and even in our constituencies we are not aware of how much money has been released under SSA.

Sir, there is no mechanism in the State Governments ruled by the Regional Parties. There is a lot of corruption going on. Nobody is looking after that. There is no evaluation of any kind. This is happening in some of the States. There are no play grounds, there are no libraries, there are no laboratories, there are no compound walls, there are no toilets, etc. in the schools, whereas we are releasing crores and crores of rupees under SSA. Many of the school managements and many of the PTAs are approaching the MPs for funds to be released under MPLAD Fund. How much money can we give to all the schools, in a parliamentary constituency, especially, in Kerala where there are thousands of Government and aided schools? We cannot give such amount because they want school buildings, play grounds, computer laboratories, libraries and such infrastructure. We cannot give all the amount under MPLAD for such infrastructure. I would like to know where is the amount released under Sarva Shiksha Abhiyan. This is a very important question on which I would like to have a reply from the hon. Minister.

Another important issue is that most of the students are suffering from diseases like, obesity, diabetes, etc. which were unheard of earlier. Why has such a situation come? The schools do not have play grounds for the children to play and that is why they suffer. I would not like to go into the details.

The other important issue is the quality education. We have to take quality education with all seriousness. In the Government aided schools, especially, in rural areas, the quality of education is coming down. The students can not even read fluently in their local languages, not to speak of English. They are also not good in Mathematics. So, the quality of education is coming down, especially, in the rural areas. Why has it happened? So, the Government has to ensure quality education for all the students.

Sir, not only the private schools but many of the Government aided schools are facing closure. Why? The number of students enrolled in the schools is coming down every year. The parents are interested to send their children to CBSE

affiliated schools and the parents do not want their children to be admitted in Government schools because of the quality of the education. The ranks of the students in Government and Government aided schools are falling down every year. What is the reason? It is because of lack of quality education. So the Government should take appropriate steps. Then only we can impart quality education.

In Kerala, 80 per cent of the educational institutions are run by the minority communities. Majority communities are in minority and minority communities are in majority in Kerala. Majority communities run only 20 per cent of the educational institutions in Kerala. There is a disparity. Earlier when this Bill was going to be introduced, we approached the hon. Minister and we conveyed to him the opinions of the majority communities of Kerala. The Minister agreed to our suggestions. After that, when the Bill was introduced in Rajya Sabha, that provision was also included in it. I would like to thank the hon. Minister for including that provision also.

We are giving so many advantages to the minority institutions. But, at the same time, institutions run by majority communities in Kerala are facing a lot of problems. That is why, institutions run by majority communities expressed their problems. We, the MPs from Kerala met the hon. Minister Kapil Sibal *ji* and we had a detailed discussion with him. After that, he included this clause also in this Bill. Rajya Sabha has passed this Bill. Lok Sabha is also going to pass this Bill. This is a very important Bill. I congratulate the hon. Minister of Human Resource Development for introducing this Amendment Bill. I support this Bill. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Shri Shailendra Kumar. Hon. Members, please maintain silence and allow the hon. Member to be explicit with his views.

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): महोदय, आपने मुझे राइट टू एजुकेशन, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2012 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

महोदय, इस बात को सब सत्य मानते हैं कि शिक्षा जीवन में सफलता के द्वार खोलती है, लेकिन देखा गया है कि वर्ष 2009 का निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है, उसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए आपने व्यवस्था की है। जो आपने इसमें व्यवस्था की है, वह कार्य आसान नहीं है, इसकी राह बहुत कठिन है। आपने यह कहा कि केंद्र 45,000 करोड़ रूपये इस पर खर्च करेगा, 65 परसेंट केंद्र सरकार देगी और 35 परसेंट राज्य सरकार खर्च करेगी। आज तक केवल 15 राज्यों ने इसे लागू किया है। देश के अगर आंकड़े देखें तो आज प्राइमरी पाठशालाओं की संख्या 2.85 लाख है, 10.35 लाख सरकारी स्कूल हैं और 2.5 लाख निजी स्कूल हैं। इसमें आपने यह भी व्यवस्था दी है कि हम इन्हें मिड डे मील के दायरे में लेंगे, जिसमें 9वीं से 10वीं कक्षा तक के बच्चों पर भी आप विचार कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी समस्या है और इस पर मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। जिस प्रकार से कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में बच्चों के खाने-पीने और रहने की व्यवस्था है, अगर इसमें इसी प्रकार से व्यवस्था करें तो मेरे ख्याल से उपयुक्त होगा, नहीं तो यह चल नहीं पायेगा। प्राइमरी विद्यालयों में आपने मिड डे मील लागू किया है, उसकी स्थिति सबके सामने है, समय-समय पर यहां पर चर्चा हुई है, उसकी बहुत दयनीय स्थिति है। केंद्र, राज्यों के साथ बैठकर आपको कम से कम दो-तीन राउंड बात करनी पड़ेगी, तब जाकर इस समस्या का हल हो सकेगा। आज भी आपने यह घोषणा की कि निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए 25 परसेंट सीटें आरक्षित होंगी। आपने कृष्ण-सुदामा के जैसे एक व्यवस्था बनायी है, लेकिन यह अभी तक नहीं हो पायी है। आज भी हम लोगों को सिफारिश करनी पड़ती है, तमाम अभिभावक हम लोगों के पास आते हैं कि साहब हमारे बच्चे का एडमिशन आप करवा दीजिये। यह समस्या है, एडमिशन नहीं हो पाती है।...(व्यवधान) सरकारी विद्यालय में, सेंट्रल स्कूल में दाखिले के लिए आते हैं, हम लोग उनकी सिफारिश नहीं कर पाते हैं और न ही दाखिले होते हैं। यह स्थिति है। जहां तक राज्यों की स्थिति की बात है, उनकी स्थिति बहुत खस्ताहाल है। आपने निःशक्त, विक्लांग बच्चों को घर में शिक्षा दिलाने का प्रावधान किया है, यह बहुत अच्छी बात है। राज्य सभा से आपने इसे पास भी करा लिया है। शैक्षणिक विषयों के लिए, आपने 9 से 12वीं तक के बच्चों के लिए वोकेशनल शिक्षा की व्यवस्था की है।

15.00 hrs

यह कैसे हो पाएगा, मैं चाहूँगा कि इसको आप अपने उत्तर में ज़रूर बताएँ। आज भी अगर देखा जाए तो पूरे देश में 81.50 लाख बच्चे हैं जो शिक्षा से वंचित हैं। यह आँकड़े बताते हैं। अगर गणना देखें तो 2009 से 2010 में 48.46 और प्राथमिक स्तर पर 48.12 परसेंट और उच्च प्राथमिक स्तर पर दाखिला नामांकन दर 19.81 परसेंट है। एस.सी. वर्ग के बच्चों का नामांकन केवल 10.93 परसेंट है जबकि उन बच्चों की आबादी बहुत ज्यादा है। इसके लिए आपको उचित व्यवस्था देखनी पड़ेगी। आपने यह भी किया कि 2013 तक सभी स्कूलों में अध्यापक होंगे। कैसे होंगे, इसके लिए बजट का प्रावधान आपको करना पड़ेगा। 60 बच्चों पर आपने दो या तीन अध्यापक देने की बात कही है लेकिन आज की स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाइए तो बहुत असंतुलन है। मानक पूरा नहीं है। जहाँ कम बच्चे हैं, वहाँ ज्यादा अध्यापक हैं। जहाँ ज्यादा बच्चे हैं, वहाँ अध्यापक नहीं हैं। कहीं कहीं पर तो सौ बच्चों पर एक अध्यापक है। इसमें आपको सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान आदि सब विषयों के लिए आपको विशेषज्ञ अध्यापकों को नियुक्त करना पड़ेगा। …(व्यवधान) लालू जी शिक्षा मित्र की बात कह रहे हैं। यह बात सही है कि प्राइमरी विद्यालय में आज शिक्षा मित्र सबसे ज्यादा मेहनत करता है। उसी के भरोसे अध्यापक लोग बच्चों को छोड़कर चले जाते हैं। वही बच्चों को पढ़ाता है और उसको आप मानदेय दे रहे हैं। आप उसको वहीं एब्ज़ॉर्ब कर लीजिए, उसी में उसको एकोमोडेट कर लीजिए, उसको वेतन दीजिए क्योंकि वे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। यह मांग समय-समय पर उठाई गई है।

महोदय, पिछले दस वर्षों में देखा जाए तो महिला साक्षरता दर 11.8 परसेंट बढ़ी है। पुरुषों की देखा जाए तो 6.9 परसेंट बढ़ी है और इस एक्ट के लागू होने के एक वर्ष बाद 81,50,619 बच्चे स्कूल की शिक्षा के दायरे से बाहर हैं अगर यह एक्ट लागू होगा। पिछले बजट में आपने घोषणा की थी कि 6000 मॉडल स्कूल खोले जाएँगे। 1200 करोड़ रुपये के बजट का आपने प्रावधान किया था और 6000 में से अब तक केवल 438 ही शुरू हो पाए हैं। यह बहुत पीछे है। आप इसको कैसे कर पाएँगे, यह आपके सामने बहुत बड़ी चुनौती है और बुनियादी ढाँचा खड़ा करने में आपको कम से कम तीन-चार साल लगेंगे। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश आपसे लगातार बजट की मांग कर रहे हैं। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहूँगा लेकिन कहना चाहूँगा कि जो बड़े राज्य या पिछड़े राज्य हैं, इनकी तरफ आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा और इनके लिए ज्यादा से ज्यादा बजट की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। दूसरी बात आपने कही कि हमारी केन्द्र सरकार सहयोग करेगी, स्कूल के मैनेजमैंट सहयोग करें, पंचायतें सहयोग करें, तभी हम इस सामूहिक जिम्मेदारी का निर्वाह कर सकते हैं। आज सब करने के लिए तैयार हैं लेकिन सरकार की नीति और नीयत में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। भरपूर तरीके से अगर हिन्दुस्तान की तरक्की और विकास करना है तो

आपको बजट का प्रावधान करना पड़ेगा और यह पहली बार है। मैं इसका स्वागत करता हूँ कि आपने कम से कम प्राथमिक स्तर पर बजट देने की व्यवस्था की है।

महोदय, अभी उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की है कि तपती दुपहरी और कड़कड़ाती ठंड में पेयजल की सुविधा नहीं है, शौचालय नहीं हैं। स्कूल निर्माण में कम से कम 0.4 हैक्टेयर जमीन चाहिए। रोशनी की व्यवस्था नहीं है। तमाम जगह पर हमारे यहाँ विद्युतीकरण हो गया, लेकिन आज भी वहाँ पर बिजली की व्यवस्था नहीं है। वाहन पार्किंग, 12 मीटर चौड़ी सड़क, भवन की छत आरसीसी की होनी चाहिए। कभी कभी तो ऐसी कैज़ुएल्टी आई है कि बेचारे भवन की छत गिरे तो वहीं पर बच्चे खुले में पढ़ रहे हैं। इसलिए यह व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। आज भी देश के दो-तिहाई स्कूलों में न्यूनतम कमरे नहीं हैं। खेल के मैदान आधे से ज्यादा स्कूलों में नहीं हैं जहाँ से बच्चों का बौद्धिक और फिज़िकल विकास होता है। ...(व्यवधान) अगर बाथरूम है तो उसमें किवाड़ ही नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है।

MR. CHAIRMAN : Hon. Member, no cross talks. Please address the Chair; otherwise I will call the next speaker.

(Interruption)....

श्री शैलेन्द्र कुमार : 40 परसेंट स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय नहीं हैं। 20 परसेंट शिक्षक पढ़ाने योग्य न्यूनतम डिग्री वाले हैं।

15.04 hrs (Shri Arjun Charan Sethi *in the Chair*)

पाँचवीं कक्षा में पढ़ने वाले 50 फीसदी से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जो दूसरी कक्षा की किताबें भी नहीं पढ़ पाते। दो-तिहाई बच्चे जोड़-घटाना, गुणा-भाग के प्रश्न भी हल नहीं कर पाते और 25 परसेंट स्कूलों में पेयजल और टॉइलैट की सुविधाएँ न होने के कारण आज भी लड़कियाँ स्कूल छोड़ने के लिए विवश हैं। इसलिए आपको ये व्यवस्थाएँ करनी पड़ेंगी। 1.61 लाख प्राइमरी स्कूल कुछ अर्से पूर्व स्वीकृत हुए थे। जिसमें से 12530 अभी तक नहीं खोले गए हैं। आंकड़ो के अनुसार 14 करोड़ बच्चे हर वर्ष दाखिला ले रहे हैं, जिनमें से चार करोड़ बच्चे हर वर्ष स्कूल छोड़कर चले जाते हैं और प्राइमरी शिक्षा तक नहीं ले पाते हैं। यह बहुत बड़ी चुनौती आपके सामने है।

महोदय, अंतिम बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि आप परीक्षा को अनिवार्य कीजिए। आपने हाई स्कूल तक ग्रेडिंग की व्यवस्था की है। यदि परीक्षा नहीं लेंगे तो बच्चे पढ़कर परीक्षा नहीं देंगे। इसलिए मेरी आपसे मांग है कि ग्रेडिंग व्यवस्था को आपको समाप्त करना चाहिए। आप एक तरह से इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी एडमिशन की बात कही गई थी और यह बात सत्य है कि आपने यह व्यवस्था की है कि जिन-जिन सांसद सदस्यों के एरिया में एडमिशन करवा सकते हैं।

लेकिन हमारे यहां सैन्ट्रल स्कूल नहीं है तो हम क्या करें? हमारे पास भी लोग आते हैं, जो शहरों और कस्बों में रहते हैं। आपको इसमें संशोधन करना पड़ेगा, चाहे इसके लिए आपको स्पेशल बिल लाना पड़े तो इसके लिए बिल लाइए। यह नहीं कि इस पर सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय ने रोक लगायी है और इस पर पीआईएल दाखिल है। आज यदि आप अनिवार्य शिक्षा या निशुल्क शिक्षा पर आप ज़ोर दे रहे हैं तो इसके लिए अलग बिल लाकर विधान सभा स्तर पर सैन्ट्रल स्कूल खोलें, तभी अनिवार्य शिक्षा का आपका मकसद पूरा हो सकेगा।

इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डॉ. बलीराम (लालगंज): सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे राइट टू एजुकेशन बिल पर बोलने का मौका दिया।

महोदय, लोकतन्त्र की मजबूती के लिए लोगों का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। इसी को ध्यान में रखकर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में पहले ही 6 से14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था की थी। लेकिन आज़ादी के 62 साल बाद आज यह बिल लाया गया है, जिसका हम स्वागत करते हैं। हमारे देश में शिक्षा के ऊपर तमाम तरह के कमीशन बनाए गए, जिनमें राधाकृष्णन कमीशन, मुदालीयर कमीशन, कोठारी आयोग और यशपाल कमीशन इत्यादि हैं। इन आयोगों ने शिक्षा के लिए अपनी जो रिपोर्ट्स दीं, उनके आधार पर कभी भी सरकार ने काम नहीं किया। इन आयोगों की रिपोर्ट के अनुसार पूरे बजट का 12 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करने की सिफारिश की गई थी। आज आप इस तरह का बिल लाए हैं, हम यह कैसे मान लें कि आजादी के 62 साल बाद भी संविधान में बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो व्यवस्था की थी और अब तक भी 14 वर्ष तक के बालकों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा नहीं मिल पायी है तो आपके इस विधेयक से उनको शिक्षा मिल पाएगी! हमने इस संबंध में एक सवाल पूछा था तो उसके उत्तर में आपने कहा था कि 81.5 लाख बच्चे ऐसे हैं जो शिक्षा से वंचित हैं। लेकिन यह आंकड़ा बिलकुल गलत है। आज भी देश के 35-40 प्रतिशत लोग शिक्षा से वंचित हैं। आज गांवों में इसकी जरूरत है। इसलिए हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहेंगे कि बहुत ही सोच-समझकर विचार करने की जरूरत है कि क्या हम इसको इतना बजट दे पाएंगे, जिससे कि लोग शिक्षित हो पाएं!

आपने इसमें अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की बात भी की है। जब आपने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सम्मेलन में अपना भाषण दिया, उसमें आपने कहा था कि इस बिल में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों का खास ध्यान रखा जाएगा। एक तरफ आप यह कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस तरह के आदेश हैं कि जो मदरसे हैं, उन मदरसों को उस कैटेगेरी से बाहर रखा जाएगा और दूसरी तरफ आपने दिनांक 19.10.2008 को सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फोर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसा, उसमें आपने यह प्रावधान किया कि ऐसे मदरसों में अब आधुनिक शिक्षा दी जानी चाहिए। वहां अंग्रेजी पढ़ायी जानी चाहिए, साइंस पढ़ायी जानी चाहिए, मैथेमेटिक्स पढ़ायी जानी चाहिए। आपने कह दिया कि मानदेय के आधार पर लोग वहां पर शिक्षक रख लें। उसमें आपने क्राइटेरिया रख दिया कि इंटरमीडियट योग्यताधारी को तीन हजार रुपए, स्नातक योग्यताधारी को छः हजार रुपए, और जो एम.ए. और बी.एड. हैं, उनको बारह हजार रुपए मानदेय दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद भी आज तीस महीनों से जो इस तरह के अध्यापक पढ़ा रहे हैं, विशेषकर उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर का मैं ज़िक्र करना चाहता हूं, वे आज आत्महत्या

करने को तैयार हैं। एक एकरामुल हक़ स्कूल है, विश्व साक्षरता दिवस के अवसर पर गाज़ीपुर में वहां के एक अध्यापक ने आत्महत्या कर लिया।

मैं कहना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती बसपा की सरकार थी, उस समय जो ग्यारह माह का मानदेय पाने वाले लोग थे, ऐसे 1,00,024 लोगों को वहां बी.टी.सी. का दो साल का प्रशिक्षण देकर उन्होंने उनको रेगुलर करने का काम किया था। हम आपसे भी यह जानने चाहते हैं कि क्या आप इस तरह की व्यवस्था करने जा रहे हैं? ऐसे तमाम हमारे छात्र जो शिक्षा मित्र हैं, क्या आप उनको भी स्थायी करने की कोई व्यवस्था करने वाले हैं? हम यह भी कहना चाहेंगे कि जो हमारे मदरसे हैं, उन तमाम लोगों की यह मांग है कि मदरसों का आधुनिकीकरण किया जाए, मदरसा अध्यापक-अध्यापिकाओं की सेवा को स्थायी किया जाए, मदरसा अध्यापक-अध्यापिकाओं की सेवा नियमावली यथाशीघ्र बनायी जाए, मदरसा अध्यापक-अध्यापिकाओं का मानदेय, वेतन प्रति माह उनके खाते में स्थानांतरित किया जाए, केन्द्रीय कर्मचारियों को दी जाने वाली समस्त सुविधाएं मदरसा आधुनिकीकरण अध्यापक-अध्यापिकाओं को दी जाएं, और वर्ष 2007 में भेजी गयी मदरसा आधुनिकीकरण अध्यापक-अध्यापिकाओं की पत्रावलियां यथाशीघ्र स्वीकृत करायी जाएं। ये तमाम मदरसे के लोगों की डिमांड है। इसलिए माननीय मंत्री जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसे जो तमाम अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थान हैं, जहां पर इस तरह से पढ़ाई हो रही है, वहां जो अध्यापक हैं, उनको भी सुविधाएं देनी चाहिए।

अभी हमारे भाई शैलेन्द्र जी ने यहां कहा कि जो केन्द्रीय विद्यालय हैं, इसकी भी उन्होंने चर्चा की है कि जहां पर हमारे एम.पी. जिनके क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय है, उनको दो सीट की सुविधा दी गयी है, लेकिन यह बहुत ही कम है। ये दो सीट नहीं, कम से कम आपको इसे दस सीट करना चाहिए। जिन सांसदों के क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय नहीं हैं, उनके लिए भी यह प्रावधान करना चाहिए कि वे किसी भी स्कूल में उस सुविधा का उपयोग कर सकें।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Nothing else will go on record, except what Dr. Baliram said.

*(Interruptions)** ...

MR. CHAIRMAN: Please sit down.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except the speech of Dr. Baliram.

*(Interruptions)** ...

---

* Not recorded

डॉ. बलीराम : सभापति महोदय जी, इसीलिए हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहेंगे कि जो आप यह राइट टू एजुकेशन विधेयक लाये हैं कि हम सभी बच्चों को एजुकेट करेंगे। अभी वोकेशनल शिक्षा की बात हुई है, आप विकलांग बच्चों को, जो मानसिक रुप से विकलांग हैं, शारीरिक रूप से विकलांग हैं, अंधे हैं, ऐसे लोगों को घर पर ही शिक्षा देने की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं यह जानना चाहूंगा कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको घर पर कौन पढ़ायेगा और उसकी क्वालिटी को कौन मेनटेन करेगा। क्या घर पर पढ़ने वाले बच्चे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का मुकाबला कर पाएंगे?

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

डॉ. बलीराम : इनको पढ़ायेगा कौन? इसलिए हम आपसे यह मांग करते हैं कि कम से कम 10-15 किलोमीटर की रेंज में एक आश्रम टाइप के विकलांग विद्यालय खोले जायें, उनमें हॉस्टल की व्यवस्था की जाये, खाने की व्यवस्था की जाये, कपड़े की व्यवस्था की जाये, ताकि उनको घर पर रहने की जरूरत न पड़े। इसी बात के साथ आपके इस बिल का हम समर्थन करते हैं।

जो सुझाव दिये गये हैं, उनको इस बिल में शामिल किया जाये।

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, there are 30 speakers. So, I request all of you to please confine your speeches to five minutes or six minutes.

---

* Not recorded

श्रीमती मीना सिंह (आरा): सभापति महोदय, मैं सबसे पहले आपका आभार प्रकट करती हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर हो रही चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया है। माननीय मंत्री जी द्वारा लाये गये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार विधेयक, 2012 एक सराहनीय कदम है। मैं अपनी ओर से तथा अपने दल जनता दल (यूनाइटिड) की ओर से इस संशोधन विधेयक का समर्थन करती हूं।

सबसे पहले यह विधेयक, 2009 में लाया गया था, जो वर्ष 2010 से प्रभावी है। इस कानून के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है। इस कानून को बने लगभग तीन साल हो गये, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि यू.पी.ए. सरकार इस कानून को लागू करने में पूर्णतः विफल रही है। सिर्फ कानून बना देने से किसी समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। सही मायने में किसी भी कानून के लागू करने के लिए सरकार की इच्छाशक्ति की जरूरत होती है। मैं समझती हूं कि कहीं न कहीं सरकार में तथा माननीय मंत्री जी के अन्दर कुछ इच्छाशक्ति की कमी है, जिस कारण यह कानून हमारे देश में प्रभावी नहीं है। इस कानून के तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात की गई है। मैं जब इस विषय पर सोचती हूं तो दो प्रश्न मेरे दिमाग में आते हैं। क्या हम इस एजुकेशन ग्रुप के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दे पा रहे हैं? दूसरी बात कि क्या हम इस एक ग्रुप के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे पा रहे हैं, नहीं। प्रश्न जहां तक सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा देने का है तो आज के समय में जब कभी माता-पिता अपने बच्चे का नामांकन नर्सरी में कराने जाते हैं तो विद्यालयों में उन्हें किन-किन समस्याओं से गुजरना पड़ता है, इसका वर्णन करना मुश्किल है। माता-पिता का नामांकन से पूर्व मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक शोषण किया जाता है। इन सबसे गुजरने के बाद जब उनके बच्चे का नामांकन हो जाता है तो माता-पिता को ऐसा लगता है कि जैसे हमने जग जीत लिया होहो।

महोदय, मुझे ऐसा लगता हे कि किसी भी मां-बाप को अपने बेटे या बेटी की शादी में जितनी मशक्कत करनी पड़ती है उससे ज्यादा अपने बच्चे का नर्सरी में नामांकन कराने के लिए मेहनत करनी पड़ती है।

महोदय, किसी प्रकार नामांकन हो जाए तो उसके बाद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करना बेमानी लगता है। "प्रथम" नामक एक स्वयंसेवी संस्था के सर्वे के अनुसार इस देश के पांचवीं क्लास के छात्रों को दूसरी कक्षा की किताब पढ़ना भी नहीं आता है। पांचवीं कक्षा के दो तिहाई बच्चे साधारण गुना-भाग तथा जोड़ घटाव भी नहीं कर पाते हैं। हमारे देश के दो तिहाई स्कूलों में न्यूनतम से भी कम कमरे हैं। इस देश

के चालीस प्रतिशत स्कूलों में बालिकाओं के लिए शौचालय तक नहीं है। इतना ही नहीं हमारे देश के बीस प्रतिशत शिक्षकों के पास शिक्षक होने के लिए न्यूनतम योग्यता भी नहीं है।

महोदय, मेरी समझ में नहीं आता है कि इन परिस्थितियों में इस प्रकार के कानून बनाने का क्या फायदा है? जो शिक्षक खुद अज्ञानी हो वह बच्चे को क्या ज्ञान देंगे। खुले आकाश के नीचे गर्मी-बरसात और ठंड कोई भी मौसम हो आखिर कौन सी पढ़ाई हो सकती है?

आज स्कूली शिक्षा पाने के लिए धन की कमी है। यह सरकार बड़े जोर-शोर से सर्व-शिक्षा अभियान का प्रचार और प्रसार कर रही है। विगत वर्ष के बजट में इस योजना के लिए 40 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई थी जिसे इस वर्ष प्रणब दादा ने 21.7 प्रतिशत ही बढ़ाया है।

महोदय, बिहार एवं उत्तर प्रदेश जैसे पिछड़े राज्य जो अपने आपको विकसित राज्य की श्रेणी में लाने के लिए दिन-रात काम कर रहे हैं उन्होंने इस योजना को लागू करने के लिए सौ प्रतिशत केन्द्रीय सहायता की मांग की है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगी कि बिहार जैसे पिछड़े राज्य को विशेष तौर पर इस कानून को लागू करने के लिए पूर्ण मदद की जाए।

महोदय, एक बात का जिक्र मैं और करना चाहूंगी कि सरकार ने तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत गरीब बच्चों के प्रवेश के लिए निर्देश दिया है। मैं इसका स्वागत करती हूं। परन्तु एक बात मैं माननीय मंत्री जी से जरूर करना चाहूंगी कि आखिर क्या कारण है कि सरकारी विद्यालयों में जगह होने के बावजूद भी अभिभावक अपने बच्चों का नामांकन निजी विद्यालयों में कराना चाहते हैं? माननीय मंत्री जी को इस बात पर गौर करना चाहिए।

महोदय, अभी तक की शिक्षा पद्धति को देखेने से ऐसा लगता है कि शिक्षा की स्थिति सुधारने के लिए जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं उनका उद्देश्य सिर्फ साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाने तक सीमित है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह होगा कि सिर्फ साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाने के लिए योजनाएं नहीं चलाई जाएं वरन् सचमुच शिक्षित करने के लिए सरकारी योजनाएं चलाई जाएं।

महोदय, अंत में मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि माननीय मंत्री जी ने चौदह वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने के लिए तो कानून बना दिया परन्तु उसके बाद के शिक्षा के लिए बच्चे कहां जाएंगे? खासकर बिहार जैसे राज्य में जहां उच्च शिक्षा की स्थिति बेहद चिन्ताजनक है।

अतएव मैं माननीय मंत्री जी से मांग करती हूं कि आप बिहार के पिछड़ेपन को देखते हुए यथाशीघ्र महात्मा गांधी की कर्म भूमि मोतिहारी में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए पहल करें। बिहार के

लोग इसके लिए आपको आजीवन याद रखेंगे। वैसे भी बिहारियों का आप पर सबसे ज्यादा अधिकार है, क्योंकि सबसे पहले आप वहीं से देश के सर्वोच्च सदन के लिए चुनकर आये थे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपनी बात समाप्त करती हूं।

DR. RATNA DE (HOOGHLY): Sir, Parliament has enacted a legislation making free and compulsory education a right of every child in the age group of 6-14 years which came into force from 1st April, 2010. With this, elementary education has become a fundamental right for all children in the 6-14 age group.

This is a revolutionary Act. Equally revolutionary is the recent verdict of the Supreme Court which has upheld the constitutional validity of the RTE Act, which mandated that even unaided schools have to provide 25 per cent free seats to children between 6 and 14 years of age who are from economically backward families.

I appreciate the hon. Minister for bringing this Amendment Bill to include disabled children under this Act. With this attempt, children can be brought to mainstream and we should also ensure the specific needs of the disabled children are met.

There cannot be two opinions that a child who is disabled has every right to pursue free and compulsory elementary education like an ordinary child. Children with disabilities have been defined under the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995. A comprehensive National Policy for Persons with Disabilities has been announced in February, 2006 which recognized that disabled people are valuable human resources for the country.

To implement this Bill, we have to make special infrastructure in schools and also good, trained teachers are needed. The Government's recent data shows that out of the total number of schools in the country, only 40.39 per cent of the schools imparting elementary education have ramps for children. Another point is that the unaided schools which are not receiving any kind of grants from the appropriate Government or local bodies should not be exempted from constituting School Management Committees, although their activities should be restricted to advisory status only.

Without taking care of or nurturing and patronizing elementary education, we cannot give much needed fillip to the growth and development of our country. The Nobel Laureate Prof. Amartya Sen pointed out last year, “The system remains deeply unjust. Access to excellence is open to those who can afford it, while the less affluent majority is left behind without even full schooling.”

In reply to an Unstarred Question dated 16th December, 2011, the Minister has replied: “The overall elementary level enrollment has increased from 19 crores in 2008-09 to 19.5 crores in 2009-10.” But what is the learning outcome? It was reported in print media dated 18th March, 2012, “At the international level, 15-uyear old Indian students who were put for first time on a global stage, stood only second last, only beating Kyrgyzstan. When tested on their reading, maths and science abilities, India thus ranked second last among 73 countries that participated in the programme for the international standard assessment conducted annually by OECD to evaluate education system world wide. The survey was based on a two-hour test that half-a-million students put through.”

Of course, we have challenges ahead. It is not an easy task to implement the RTE Act across the country. Both the Centre and the States have to sacrifice a lot. First of all, funds are required to run this mammoth scheme.

We all know that effectiveness of universalization of education is the State’s responsibility. Fund sharing pattern is 65:35. Our State, West Bengal, is a debt-stressed State. So, insufficiency of money would make hindrances in the proper implementation of the educational programme in the remote villages across the country.

We need your help. We need good teachers, schools, class rooms, basic infrastructure like toilets, roads etc. There is an urgent need to concentrate on this basic infrastructure before we visualise the success of RTE and Sarva Shiksha Abhiyan in the country.

I hope and trust that the hon. Minister would ensure free and compulsory education for the disabled children becomes a reality. I would also urge the

Government to lay emphasis on quality and standard of education that is being imparted and also to bring in reforms in the education sector where we should draft not only experts, intellectuals from all fields, bureaucrats from State and Central Governments but also teachers from primary school, secondary school and higher secondary school. There should also be representative from the students because students have no say in these reforms.

Special efforts and drive should be initiated by the Ministry to ensure that free and compulsory education is provided to differently abled children. Only then we can think of rendering social justice to the vulnerable section of the society with the intention to bring them to the mainstream. Again, I appreciate and thank the hon. Minister for bringing this Amendment Bill.

श्री लालू प्रसाद (सारण): सभापति जी, मुझे मौका मिल गया क्योंकि आपको आसन पर बैठा दिया गया है। पहले आपको बोलना था, अब आपको वहां आसन पर बैठा दिया गया है।

सरकार का यह जो विधेयक है, लगता है कि बहुत प्रगतिशील है और रेडिकल है। आप 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा के लिए जो संकल्प और कानून बनाने जा रहे हैं, इस पर मुझे बहुत ज्यादा बहस नहीं करनी है। इस देश में भारत निर्माण के तहत सर्वशिक्षा अभियान के कंपोनेंट में "सभी पढ़े-सभी बढ़े" योजना चलाई जा रही है, जिसमें पूरे देश में घपला हो रहा है। इस योजना के तहत साइकिल, पोशाक और मानदेय दिया जा रहा है बच्चों को, शिक्षकों को। जो टीचर्स बहाल हो रहे हैं, वे ट्रेन्ड नहीं हैं। बेरोजगार लोगों से हमें नफरत नहीं है। जो टीचर्स बहाल हो रहे हैं, उन टीचर्स को कौन बहाल कर रहे हैं? मुखिया और बीडीओ बहाल कर रहे हैं। दो लाख-तीन लाख रुपये लेकर वे बहाल कर रहे हैं। भारत सरकार ने यह निदेश दिया, आदेश दिया कि वर्ष 2012 तक हम मानदेय में हिस्सा देंगे, भारत सरकार देगी पैसा सर्वशिक्षा अभियान में। वर्ष 2012 के बाद राज्य सरकार समझे कि कराएगी या नहीं कराएगी या पैसे देगी, इसे आपको स्पष्ट करना पड़ेगा कि वर्ष 2012 के बाद आप उसको वहन कीजिएगा या नहीं। यह जो आप बनाने जा रहे हैं, यहां से सरकार के अफसरान या जो थिंक टैंक लोग हैं, जो आपको सुझाव देते हैं, क्या आपने सर्वेक्षण कराया है कि 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देने के लिए हमें कितने भवन चाहिए, कितने ट्रेन्ड शिक्षक चाहिए, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए? इसका आकलन किया गया है या नहीं किया गया है या केवल अंदाज पर हम काम कर रहे हैं? आपको इन सभी मामलों को मुल्क को बताना पड़ेगा।

सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो अभी पढ़ाई-लिखाई हो रही है, हमने उसमें देखा है कि जो सुविधा मिल रही है, उसमें जालसाजी भी हो रही है। बिहार राज्य में जांच हुई तो पता चला एक ही लड़के का दस स्कूल्स में दाखिला दिखाया गया है और पैसा उठा लिया गया। अभी महाराष्ट्र के सांसद भी बता रहे थे कि उनके यहां भी इस तरह के घपले हुए हैं। आपको बताना होगा कि छः से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो आप अनिवार्य शिक्षा कर रहे हैं, अगर ऐसी बातें होती हैं, योग्य शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं तो क्या वह कॉग्नीजेबल ऑफेंस बनाया है या नहीं, कोई दंडात्मक कार्रवाई करेंगे या नहीं, या फिर ऐसे ही सारी योजना राम भरोसे छोड़ दी है और खाली डंका पीटने के लिए ही आप यह कानून बना रहे हैं? इसलिए आपको इन सब बातों को स्पष्ट करना चाहिए।

आप कहेंगे कि हमने तो पैसे दे दिए, पैसे का अमुक राज्य में वितरण भी हो गया और वह डाइवर्ट भी हो गया, लेकिन सही हाथों में नहीं पहुंचा, तो क्या करेंगे? आप कह रहे हैं कि 65 प्रतिशत मदद केन्द्र

करेगा और 35 प्रतिशत शेयर राज्य को देना होगा। इसके लिए आपने राज्य सरकारों से राय ली है या नहीं? एक तरफ सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है और दूसरी तरफ इनमें ट्रेंड टीचर्स की भी जरूरत है, उसके लिए क्या करेंगे?

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि एक साज़िश के तहत पूरे देश के ग्रामीण लोगों के बच्चों को गुमराह किया जा रहा है और मैं इसके लिए सभी सांसदों को एलर्ट करना चाहता हूं। हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं और हायर एजुकेशन में आरक्षण का प्रावधान हमने किया है। उसके लिए हमने लड़ाई भी लड़ी। पहले उसमें बीजेपी शामिल नहीं थी, लेकिन अब इन्होंने भी लड़ना शुरू किया है।...(व्यवधान) अगर हम लोगों ने इसके लिए लड़ाई नहीं लड़ी होती, तो शायद ये लोग पिछड़े वर्ग के लोगों को यहां जगह ही नहीं देते।...(व्यवधान) हुक्मदेव जी जैसे लोग वहां बहाल नहीं होते, क्योंकि आप तो कमंडल वाले हैं। मेघवाल जी अच्छे आदमी हैं और मुंडे जी तो काफी दमदार व्यक्ति हैं, हम उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। वह केवल पिछड़े वर्ग से ही नहीं, बल्कि मजबूत नेता भी है और वहां बाल ठाकरे जी को भी चुनौती देते रहते हैं।

गांव और वहां के बच्चों को एक साज़िश के तहत दसवीं और मैट्रिक की परीक्षा नहीं हो रही है। जो अभी इस स्तर पर पढ़ाई हो रही है, उसमें परीक्षा नहीं होगी, ग्रेडिंग होगी, ए, बी, सी ग्रेड मिलेगा। अगर कोई बच्चा 33 प्रतिशत लेकर भी ग्रेडिंग में आ गया तो उसके अभिभावक को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि उसे रोका नहीं जाएगा। यह इसलिए है क्योंकि मैट्रिक तक कोई परीक्षा कम्प्लसरी नहीं होगी। इस तरह से अगले दस साल में भारत का गांव निरक्षर हो जाएगा। ये चाहते हैं कि कोई आगे बढ़े ही नहीं, जबकि आज प्रतिस्पर्धा का, टेक्नोलॉजी का और इंटरनेट का ज़माना है।

हायर एजुकेशन में आरक्षण की बात करते हैं, तो हाय-तौबा मचाते हैं। राज्य सरकारों को क्या आपके अधिकारियों ने कोई राय दी है और क्यों आप परीक्षा की जगह ग्रेडिंग व्यवस्था लागू कर रहे हैं? पहले क्या होता था कि जब परीक्षा का समय आता था और यह ग्रेडिंग सिस्टम नहीं था तो हम बच्चे को डांटकर या थप्पड़ मार कर भी परीक्षा के लिए भेजते थे और तैयारी करने के लिए कहते थे कि तुम्हें अवश्य जाना है, भले ही वह रूठ जाता था। लेकिन अब एक साज़िश के तहत परीक्षा को बंद किया जा रहा है। गांव के लोगों को मालूम नहीं है, जब उन्हें मालूम होगा तो इस सरकार के खिलाफ एक आंदोलन और जेहाद होगा। यह एनार्की है, शिक्षा चौपट हो चुकी है, डेट्रोरिएट कर चुकी है और आप परीक्षा नहीं ले रहे हैं।

आप बोलियेगा कि हम पैसा देंगे, कौनसी राज्य सरकार पैसा देगी? कह देंगे कि हमारे पास पैसा नहीं है। इसलिए आप हमें बताइये कि ट्रेंड टीचर्स कहां से आयेंगे? जब आप आंकलन करेंगे कि इतने टीचर्स चाहिए, इतने भवन चाहिए तो आपके पास बजट का प्रावधान कहां है? कितना बजट लगेगा

यह आपको पता होना चाहिए। एक तरफ लोग रोना रो रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, वित्तीय स्थिति खराब है। ...(व्यवधान) आंकलन करने वाले लोग, जो इसका बजट बना रहे हैं वे नाम नहीं बताएंगे।

माननीय मंत्री जी हमें आपकी नीयत पर संदेह नहीं है, आप बहुत तेजी से काम करना चाहते हैं लेकिन आप जितनी तेजी दिखाते हैं उतना ही मामला आगे जाकर पलट जाता है। आप चाहते हैं कि इतिहास में आपका नाम रहे कि हमने 6 वर्ष से 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया।

यहां एक वर्ल्ड लेवल पर सम्मिट हुई और उसमें चिंता जताई गयी कि जिन-जिन देशों में जनसंख्या ज्यादा है वहां लड़कियों की शिक्षा नदारद है, कम है। उसमें बंगला देश, पाकिस्तान, चीन और भारत तथा जितने मुस्लिम देश हैं वहां लड़कियों की शिक्षा कम पाई गयी और उस पर चिंता जताई गयी और कहा गया कि मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए। वर्ल्ड बैंक से लेकर सब लोगों ने उसमें फंडिंग किया था और यह सम्मिट जब स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी शिक्षा मंत्री थे, तब हुई थी। उसमें मुझे भी बुलाया गया था क्योंकि चरवाहा विद्यालय का कंसेप्ट हमने दिया था, उस सम्मिट के हम गवाह हैं।

मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा की बात आती है तो हम दरकिनार हो जाते हैं, अलग-थलग हो जाते हैं। उनकी बेटियों की पढ़ाई-लिखाई के लिए मदरसा है तो संस्कृत विद्यालय भी है। हमें किसी से नफरत नहीं है लेकिन जब तक भारत की नारी, भारत की बेटियां साक्षर नहीं होंगी तब तक भारत कैसे साक्षर होगा? मुस्लिम लड़कियों के लिए आपको स्पेशल इंतजाम करना पड़ेगा। माननीय शैलेन्द्र कुमार जी ने ठीक कहा कि चाहे कानून बनाना पड़े, आप कानून बनाइये लेकिन उन्हें आप मेन-स्ट्रीम में लाइये।

मुस्लिम इस देश के नागरिक हैं, उनका जितना योगदान इस देश के लिए है उतना ही हिंदुओं भाइयों और दूसरों का है। हमें उन्हें नफरत की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, उन्हें अलग-थलग करके नहीं देखना चाहिए। उन्हें हर तरह से आगे बढ़ने में हिस्सा मिलना चाहिए और हमें उन्हें मेनस्ट्रीम में लाना चाहिए।

शिक्षा से अंधकार मिटता है। हमारी जो मुस्लिम बेटियां हैं उन्हें साक्षर बनाने के लिए आप क्या गारंटी दे रहे हैं, क्या प्रॉविजन कर रहे न्हे? उनके मौहल्लों में आपको विद्यालय देने पड़ेंगे ताकि उन बच्चियों को दूसरी जगह न जाना पड़े। आप इस तरह की योजना बनाइये और जल्दी-जल्दी में इस बिल को आप पास मत कीजिए। आप पास कराना चाहते हैं तो हम इसे पास कर देते हैं लेकिन इसमें अच्छी और संपूर्ण व्यवस्था आप कीजिए। नहीं तो यह बिल्कुल अधूरा बिल रह जाएगा।

वर्ष 2012 तक यह बात थी कि हम शिक्षा-मित्रों को जब तक ट्रेंड टीचर नहीं आ जाते हैं मदद करेंगे, बाद में राज्य सरकारें करेंगी। आपका स्टेंड इस पर क्या है यह भी क्लीयर कीजिए क्योंकि वर्ष 2012 तो जा रहा है। आज नहीं बताना है तो किसी दूसरे दिन बता दीजिएगा।

सर्व-शिक्षा-अभियान में आप कह रहे हैं कि हम इसमें मिड-डे-मील भी देंगे। अच्छा है आप भोजन दीजिएगा लेकिन क्या आपका एक भी स्कूल सही चल रहा है। आपका टीचर दिन-भर भोजन बना रहा है, आपके स्कूल में पढ़ाई बंद हैं। आपको वहां टीम भेजकर पता करना चाहिए। दिन-भर बच्चा कटोरा लेकर खड़ा है और शिक्षक वहां भोजन बना रहा है। यह भोजन खाने के लिए है कि पढ़ने के लिए है। इसलिए भोजन बनाने के लिए आपको अलग से आदमी रखना चाहिए। आपके सब स्कूल बंद हैं और दिन भर भोजन-भोजन-भोजन चलता रहता है।

आप एक भी बच्चे से दर्खास्त लिखवा कर देख लीजिए, वह नहीं लिख सकेगा। वहां टीचर्स से खाना मत बनवाइए, बल्कि इसके लिए भोजन बनाने वाला रखिए। बच्चों की देखभाल के लिए दाई रखिए। इसके साथ यह भी कहना चाहता हूं कि मिड डे मील में सबसे खराब खाना दिया जा रहा है, चाहे जो भी भिजवा रहा है और अच्छा माल कहीं और जा रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप बच्चों के अभिभावकों को नकद पैसा दीजिए। साबुन और शैंपू का पैसा दीजिए। उसके एकाउंट में पैसा दीजिए और सभी जगह सर्वे कराइए। बिहार सरकार ने जांच कराया, तो वहां एक ही लड़के का नाम दस-दस स्कूलों में लिखा पाया गया। पहले फेज में पांच लाख आदमी पकड़े गए। आप एक तरफ अच्छा काम करें और दूसरी तरफ जालसाजी हो, इसलिए आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। आप बहुत गम्भीरता के साथ इस तरफ ध्यान दीजिए। हर तरफ घोटाला ही घोटाला है। सीएजी से आप इसकी आडिट कराइए। मनरेगा की आडिट होने जा रही है। आप इसके लिए अच्छा प्लान बनाइए कि कितने स्कूल चाहिए या कितने टीचर्स चाहिए और आधी पढ़ाने वाली महिलाएं होनी चाहिए तथा एकदम ट्रेंड टीचर्स हों।

महोदय, परीक्षा को खत्म कर दिया गया है, तो गांव का लड़का गांव में रह जाएगा। उसके आगे आने का कोई चांस नहीं होगा। गार्जियन तो जानता है कि उसका लड़का पास, उसकी लड़की पास, लेकिन कोई कम्पीटिशन में नहीं आ पाएगा। यह बहुत बड़ी साजिश गांवों में रहने वाले लोगों के साथ की जा रही है। किसान और गरीब आदमी के बच्चों को परीक्षा नहीं देने के नाम पर कम्पीटिशन से दूर किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि किस आदमी के सुझाव पर ऐसा काम किया गया है? आप ग्रेडिंग सिस्टम चला रहे हैं। हाई स्कूलों में पढ़ाई को छोड़ कर दिन भर ग्रेडिंग का काम चल रहा है। एसी में बैठ कर कानून बनाया जा रहा है। इन्हें फील्ड में जा कर देखना चाहिए कि कहां क्या हो रहा है। चारों तरफ एनार्की-एनार्की है। अनिवार्य एवं कम्पल्सरी शिक्षा हैडिंग बहुत अच्छा है। हम जब मुख्यमंत्री थी, हम इसे तब

लागू नहीं कर पाए। एक रुपया हम बच्चों को देते थे, ताकि लालच से स्कूल आ जाएं। आप उनके एकाउंट में पैसा दीजिए। खाने का पैसा दें, ताकि लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजें। शैलेन्द्र जी ने सही कहा है कि बाथरूम कच्चे हैं। इनका कनसेप्ट वही है, बाथरूम के नाम पर पैसा ले लेते हैं। बाथरूम और टायलेट दिल्ली में हैं, गांवों में तो पुराने तौर-तरीकों को ही अपनाया जाता है। इस बिल को पास करने में हमें कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन अगर जमीनी स्तर पर लागू नहीं करेंगे, तो आपकी बदनामी होगी। आप आकलन करके इसे पूरी तरह से समझ लीजिए। जैसे फूड गारंटी बिल है। अगर सारा फूड सड़ जाएगा, तो गारंटी कहां रह जाएगी। सबको खाना और सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, यह बहुत अच्छा विचार है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत बूढ़े लोगों का भी नाम लिखाया गया है, कई जगह जाली काम हुआ है। आप कमियों को दूर कीजिए। पैसा खैरात में तो नहीं बांट सकते हैं।

इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRIMATI J. HELEN DAVIDSON (KANYAKUMARI): Sir, I express my sincere thanks for giving me an opportunity to speak on this important Bill. I support the amendments to the Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Bill, 2012.

The Act describes the modalities of the provision of free and compulsory education for children between 6 and 14 years in India under Article 21A of Indian Constitution. India has become one of the 135 countries to make education a Fundamental Right of every child. I appreciate and congratulate the Government for bringing important amendment in this Bill for the welfare of children with disabilities.

I would suggest that the Government should make suitable arrangements for easy transportation of such students with disabilities to reach schools from their homes and seating arrangements must be provided for children with disabilities. These children should be given special care during their studies in the classrooms. I would also like to request the Government to assist the children with childhood disabilities according to their disabilities.

The amendment of Section 21 and 22 were very much required which is on the School Management Committee constitution. The amendment in this regard is quite correct as also the amendment of Section 3 of the Principal Act is a welcome step.

Every child of the age of 6 to 14 years, including a child referred to in clause (d) of Section 2 shall have the right to free and compulsory education in a neighbourhood school till the completion of his or her elementary education.

Among several other features in this earlier Bill, one of the most important features is the 25 per cent of the seats in the schools aided by the Government and even in the privately-managed schools aided by the Government have been reserved for the weaker sections of the society. This is the most revolutionary step. But it is learnt that some public or private schools are not following this provision

of the legislation properly. Hence, proper monitoring of the school admission system is very much required.

Our education system should reach to the poorest of the poor, who are living in the remotest rural areas of our country. Most of the people are living in utter poverty without any basic facilities. Their parents are not much bothered about their children's education or their future. In such circumstances, awareness and enlightenment among parents are very essential. There should be a massive awareness campaign among the parents and guardians in the areas where the growth of literacy is very weak. There should be all out efforts to encourage the children of these areas and also to the parents or guardians of these children to send their kids to schools to get proper education. Serious and fruitful efforts are absolutely essential for the better future of these children.

I would like to draw the attention of the House about the street children. We have seen that children are roaming in the towns and cities as also begging in the streets. Attention should be diverted towards them with a result-oriented motive. If, those unnoticed innocent children can be picked and given proper care, nutrition and education, then I think that we could consider that this Act become highly successful and fruitful.

I would like to emphasize on the quality of education. The quality of education provided by the Government system remains in question. It is noted that 54 per cent of urban children attend private schools and this rate is growing at three per cent every year. Even, the poor children are abandoning the Government schools. It is because of shortage of teachers, infrastructural gaps in schools and several habitations continue to lack schools altogether.

Education is the movement from darkness to light. People who have proper education always prosper and so does the nation. Every one knows that a nation's growth depends on literacy. Therefore, our Government is making high and sincere efforts in improving and standardizing school education throughout the country, which is a welcome and appreciable step.

Once again, I thank you for giving me an opportunity to speak on such an important Bill which has a major role in building and strengthening the future of our nation.

SHRI P.K. BIJU (ALATHUR): Sir, several years have passed from the year 1960 when Kothari Commission recommendations were made for fulfilling the dream that we have. In December, 2002, we had passed the 86th constitutional amendment which instituted article 21A which stated that the State shall provide free and compulsory education to all children between the age group of 6 years and 14 years. In 2009, we had passed a historic legislation called the Right to Education Act and we entered in the list of 135 countries to make education as a fundamental right of every child.

Sir, I appeal the Government to consider a request from all corners and particularly from the Members of Parliament. I noticed in 2009, during the course of discussion on the Bill, several hon. Members highlighted this issue. But at that time the Ministry did not take up this issue seriously. The RTE (Amendment) Bill, 2010, included the children with disabilities in clause 2(d) which said that a child with disability within the definition of child belonging to disadvantaged group. I welcome this step to include the disability in the purview of this Bill. But in Clause 2, it is stated:

> "Provided that a child with multiple disabilities referred to in clause (h) of section 2 of the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 and a child with severe disability referred to in clause (o) of section 2 of the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 may also have the right to opt for home-based education."

Sir, I oppose this amendment and would like to point out that providing home-based education as an option to school education for children with multiple and severe disabilities is an extremely retrogressive step which will have huge negative repercussions on the rights of children in education. It is watering down of the fundamental right to education that every child has in our country and goes

against the very spirit of the RTE Act which is formalizing education and building standards for quality.

I urge upon the hon. Minister of Human Resource to reconsider this amendment to the Act.

In the light of amendment Nos. 21 and 22 regarding the Management Committee, this is not a necessary amendment. The welfare of the school and the welfare of some particular area are the primary concerns of all groups. But this particular view of the Government will curtail the right of the minority which has been given to them under article 30 in our Constitution.

Sir, I have some more questions to ask. We are going to implement the RTE Act. There are so many unanswered questions. Have you ensured 25 per cent reservation of seats in the minority and self-financing schools? It is possible that it will conflict with article 30 of the Constitution, which allows the minorities to set up and administer educational institutions. I think the Minister will answer these questions.

As regards monitoring and implementation of RTE Act, it is not with the Government but it has been assigned to the National Council for the Protection of Child Rights (NCPCR) which is an autonomous body set up in March 2007.

Considering the scale of the implementation work, how a less experienced authoritarian centralized body could ensure the rights of children without the active cooperation of civil society and coordination between various Government Departments?

The third question is regarding the mechanisms to prevent capture of reserved 25 per cent or more seats in high schools by certain sections of the society.

16.00 hrs

What is the institutional mechanism for identifying of neighbourhood schools and disadvantaged and weaker sections? It has been mentioned that

Government make reimbursement to unaided schools for per child expenditure and to provide for school infrastructure, teachers training, additional teachers and school resources etc. Which Government would bear this expenditure – the Central Government, or the State Governments? The hon. Minister may clarify this point.

16.01 hrs (Dr. Girija Vyas *in the Chair*)

Madam, as a signatory to the United Nations Child Right Convention, India has accepted the national definition of child as someone who is under the age group of 18 years. But this Act covers only the children who are in the age group of six to fourteen years. Clearly, it violates the rights of children in the age groupof zero to six and 14 to 18 years. I think, the Government must also clarify this point also.

Madam, apart from the implementation of the provisions of the Right to Education Act, our educational system is facing so many problems. First of all, there is a lot of shortage of teachers in our country. Now, in our country, the teacher-student ratio is 1:42 and 1:60 in some parts of the country. We seek to achieve the ratio of 1:30.

We are facing a shortage of 6.89 lakhs primary school teachers in the country, and we need more than 5 lakhs teachers to implement the provisions of the Right to Education Act. How does the Government propose to recruit teachers and fill up these vacancies? In 2011, the Central Government directed the States to hire about 18.89 lakhs teachers in the country and only about 12 lakhs teachers were hired. They were employed on a daily wage basis. So, that is the kind of shortage that we are facing. In the State of Uttar Pradesh, there are vacancies for about 1.40 lakhs teachers; in the State of Bihar, there are about 2.11 lakhs vacancies for teachers; in the State of Madhya Pradesh, there are about 72,980 vacancies for teachers; in the State of West Bengal, there are about 86,116 lakhs vacancies for teachers; in the State of Jharkhand, there are about 20,745 vacancies for teachers; and in the State of Maharashtra, there are about 26,123 vacancies for

teachers. How does the Government propose to fill these vacancies of teachers? The Chairman of the National Council of Teachers Education had to resign for reasons taking bribe from some educational Trust and is facing a CBI enquiry.

The second point is about the mid-day meal scheme. The price of rice today is in the range of Rs. 40 to Rs. 45; the price of Dal is in the range of Rs. 95 to Rs. 100 and Tomato cost is in the range of Rs. 60 and potato is in the range of Rs. 20 to Rs. 30 and LPG is about Rs. 650/-. I am referring to these prices because the Ministry is spending only Rs. 2.89 per day per student in a lower primary school and in upper Primary it is Rs. 4.03 per student per day. How will a school offer nutritious food to students under the mid-day meal scheme? The Government should consider this issue.

Funding is a constraint. But funds keep on lapsing allocated under the Sarva Siksha Abhiyan. The CAG report presented in 2006 shows that 1.36 crore students still remain out of school in the age group of six to fourteen in our country.

This is the situation in spite of having spent Rs. 11, 133.57 crore from the exchequer. So, the Government should review the implementation the Sarva Siksha Abhyan and it should be implemented in a proper manner. That will benefit a large mass of students.

I think the Government must consider my requests.

With these words, I conclude my speech.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam Chairperson, I stand here today to deliberate on the Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Bill, 2012.

The basic purpose of education is to make sense of the world around us. As a freedom fighter and as a scholar of acclaim, Maulana Abul Kalam believed that universal education is the only way to achieve social cohesion. Ideas and utterances have a lasting value. His birthday, 11th November, I doubt whether many of us remember that, is celebrated as National Education Day. True education should help us make conscious and informed choices about our life.

The Right to Free and Compulsory Education Act was passed in August, 2009. It was a momentous decision though it is too late. Amendments to the Constitution are not unusual but a change in the fundamental right, that too, in the fundamental rights section, is a rare occasion. In August, 2002, the basic character of the Constitution was amended to make free and compulsory education a fundamental right of every child. It took seven long years for the Parliament to adopt the Right to Education legislation.

Recently, the Government released a Report on the progress that has been made. However, very little is known about how the law takes tangible shape at the ground level in schools and classrooms. We have not discussed about that Report. I hope this Parliament should discuss that Report which has been released by the Ministry.

This Act empowers all children to demand eight years of schooling and everything must be done to encourage people to exercise this fundamental right. Meaningful use of law requires new infrastructure. But that is the easier way. It is the lack of human resources that is more worrying. But I may come to this aspect a bit later and it is important also.

Let me first deal with the amendments that are before us for consideration. The other House has passed the amendment to Right to Education Act which will widen the beneficiary net for disabled children and provide those with severe disability the option of receiving education at home. While going through the 73 line amendment that is before us for consideration, there are basically three aspects that need to be considered.

The first one is that the disability clause is being included. The second part deals with the management and the schools established and administered by minorities, whether based on religion or language, are to be kept out. It includes aided schools and others. Number two is the school management takes on advisory role and the third amendment deals with the enhancement. It is a pupil-teacher ratio from six months to three years, "within three years" that is the wise way of putting it, within three years. So, here I would like to deal with these three major issues.

It will give school management committees an advisory role in minority schools both aided and unaided and will put Madrasas and Vedic schools out of the mandate of RTE. It is because these are schools which impart religious teachings. … (*Interruptions*) I support that. You cannot segregate one minority with other minority and Vedic schools basically impart religious teachings.

The hon. Minister has very rightly said that we can have a very good legislation. I hope the hon. Minister will expand it today while he will be replying to the debate. We can have a very good legislation, but it needs to be implemented. Please do not tell us that it is the States responsibility. It is a joint responsibility and everybody who is sitting inside this august House and those who are conscious citizens of this country; it is also our responsibility to make this happen. The key holders should be involved.

Madam, several countries like ours have made education a fundamental right, but have failed to ensure that it is granted to children with disability. It is a challenge today for us. In reality, no single teacher or school would be averse to

the idea of including children with disability. Madam, I hope you also hold the same view. Still there is a clear lack of awareness about the thought process and the technology that would enable them to accommodate children with disability.

It has been demonstrated in the last few years that technology can adequately compensate for the limitations posed by disability. The blind have their screen reader software to operate computers, the deaf have sign language, the orthopaedic challenged have means of finding access to places they have never been before. This profusion of technology and thought process has opened up newer awareness that disability is not a sin or a stigma, but merely a condition that can be overcome with positive changes to the system. … (*Interruptions*) That needs to be done in the Bill. I think the DMK Member can move the amendment.

The hon. Minister has said earlier that there are nearly 70 million differently able people in India, but are there any official record of their whereabouts. The hon. Minister had made a commitment earlier to create a data base of the differently able persons. We would be happy if he shares it with us.

Today, wherever there is discussion on Right to Education, we discuss about private schools and it has become a fashion today. But let us not forget that even if all private schools become optimally RTE compliant, it will not mean much. Across India, 93 per cent of school-going children go to Government or Government-aided institutions. To succeed, the RTE mission must focus on augmenting the Government school system.

Today, between the States and the Union, over Rs. 2,00,000 crore is spent annually on school education but the results are poor and getting worse. The Right to Education imposes a further burden of Rs.2,00,000 crore. Where is that money? The Union Government is passing its responsibility on the States. Across the country, the State Governments are demanding to increase the Union's share to 90 per cent; from 65:35 to 90:10.

Under Section 6 of the Right to Education Act, every State is supposed to establish primary schools within one kilometre radius and upper primary

schools within three kilometres radius and high schools within 5 kilometres radius.… (*Interruptions*)

MADAM CHAIRMAN: Shri Mahtab, I am sorry to interrupt you. Twenty more hon. Members have to speak on this subject.

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर): मैडम, यह बड़ा इंपॉर्टैन्ट विषय है। इनको कुछ और समय दे दें।

सभापति महोदया: आप अपना टाइम उधर ट्रांसफर कर दीजिए।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन: माननीय सदस्य बहुत अच्छा बोल रहे हैं।

सभापति महोदय : मैंने इसीलिए डिसटर्ब नहीं किया।

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Madam, he is making important points. Let him take time.… (*Interruptions*)

MADAM CHAIRMAN: That is why, I did not disturb him. I just reminded him that 20 more Members are there to speak.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Also, high schools must be there within five kilometers radius but Panchayat is one of the major issues. The Act has left it to the States to definite "neighbourhoods." We would like to be educated. Madam, which are those States which are yet to notify the neighbourhoods? I am told the States like Gujarat – I would be happy if I stand corrected – and Karnataka, States like West Bengal and Goa are yet to notify the State Right to Education Rules which is essential, for the law to roll out.… (*Interruptions*)

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL (BIKANER): It is only for two States – Karnataka and Goa.… (*Interruptions*)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: I would be happy to know about that. That is what I said.

Last January, the HRD Ministry threatened them but still these two are withstanding it. What is the position today? I would be happy to know about that. A number of unopened schools are prevalent. They were sanctioned by the Centre. In West Bengal, it is 60 per cent; in Bihar – I think Shri Biju should get the numbers correct – and Jammu and Kashmir, it is 25 per cent each. Odisha also has 22 per cent. Regarding Uttar Pradesh, it is 6 per cent and about Rajasthan, it is 5 per cent. The major problem is to be effective, the Right to Education must focus on outcomes rather than inputs.

There has been tremendous development in the rural and also in the urban areas. I have seen it myself. Many hon. Members, while going through their constituencies, must have witnessed that there is tremendous improvement in infrastructure. Now, the time has come to improve the quality of education. That has to be looked into.

Madam, in its present form, Right to Education is more a guarantee of schooling rather than of education or learning. Enrolment is the first step. But does it translate into attendance and learning? It is lack of human resources that is more worrying, as I had said earlier. The Planning Commission has identified the twin problems. Around half-a-million teacher vacancies exist today in the country. And there is a need to have another half-a-million teachers with requisite qualifications to meet the Right to Education Act's pupil-teacher ratio.… (*Interruptions*) Therefore, priority must be accorded to start as many accredited teacher training institutions as possible.

When we are bringing the disability clause into the Right to Education Act, no one should fail to appoint special teachers for the disabled children in State-run schools. My question is this. I would be happy to understand about it. Are the Kendriya Vidyalayas equipped to hire such teachers today? Do you have provisions for that? The Delhi High Court has pulled up the Government. I do not know whether Shri Sandeep Dikshit is present here today or not.

Already the Delhi High Court, of course, the Minister himself is representing a part of Delhi, has pulled up the Government. Your responsibility, therefore, is to create posts across the country. I welcome the provision to keep Madrasas out of the Right to Education Act. It is good that ambiguity has ended. With these words, I conclude, Madam.

MADAM CHAIRMAN : Hon. Minister *Saheb,* I also request that while replying, please address about the children with disabilities. The whole House is concerned about that.

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): I stand here in defence of the Right to Education Bill. I would like to compliment the hon. Minister for all the interventions that he made and the focus of this entire Bill and amendment today has been disabilities in learning, actually children with special needs. That is really the focus of today's Bill. I think, while introducing his amendments, he has categorically clarified most of the things that we were really looking for. So, he has left really very little for us to ask him.

But there were a few issues that it would like to flag, and maybe you would like to clarify during your reply. There are about 30 lakh children in this country, we are aware of, with children with special needs. The Government through either *Sarva Shiksha Abhiyan* or through the Right to Education has tried to make a lot of intervention by making corrective surgeries, supplying of various aids, running awareness campaign all over the country either through television or media to make people aware about autism, Hyperactivity Disorder (HD), Learning Disability (LD). Even in his reply, in introduction, he has talked extensively about HD, LD going to be inclusive in the next year to come as this entire programme unfolds. The NCERT, and the Rehabilitation Council of India together have formulated this entire programme in RTE. So, I am sure, this implementation is not going to be as big a challenge as we all are concerned about.

I have two or three points which we really are concerned about. One is home based education. Where are we really going to draw the line of: Who decides? The hon. Minister clarified that the parents will decide. But there are at times where children with severe disabilities, the parents cannot bring them to a school but the child is probably capable of coming there especially in cerebral palsy, the child can easily come but the parents will have to walk an extra mile because an adult will have to bring the child to school and back. Actually, the child does deserve to come to a normal school. The whole principle behind the Right to Education and *Sarva Shiksha Abhiyan* is inclusive education. So, if we are talking about every

caste and creed, I think, every differently-abled child also has the right to come to a normal school. There have been a lot of schools where different methodologies have been tried where children with different kind of disabilities or differently-abled children have been very successful. We see them working for various multinationals. I am sure, if we all put our energies together, it is not going to be such a big challenge.

Mahtab*ji* talked about special teachers. The hon. Supreme Court has talked about it. But I am not sure whether the Government would really be able to have so many teachers which will be like counsellors. Today, it has become fashionable that all the elite schools have counselors. The fact that these schools have counsellors means that every school can address these issues of children with special needs. But I don't think that is really a requirement. A counsellor is not a solution. There are a lot of classroom management programmes which are run. If we just talk about HD or LD children or a child with any kind of LD, say, if the child is extremely restless and has HD or LD, he does not need to sit near the window. We can just manage the classroom and make him sit in the middle of the class, in front of two children who are probably little focused. There is a solution. So, actually if there are 25 per cent of children who are with special needs; and there are only five per cent need one to one attention, there are 20 per cent who do not need the attention and need classroom management, does the normal teacher trained to do that, we see a huge change and a good solution for all this without spending too much money. I think, our entire focus in this disability programme will be training teachers, specialized creating awareness with small solutions which really cost no money.

The other one is occupational therapy because most of these programmes which are the Sensory Processing Disorders (SPDs) because we talked about cerebral palsy, polio, visually impaired children, all these are known to us. Children with SPD are only children who need occupational therapy. So, maybe, if we can't have an occupation therapies in every school, we could do it either by a

block or put 10 or 15 schools together and have these children in that type of Sensory Integration Therapy - that is going to be very critical while implementation of this programme.

But I think the modalities of development and evaluation are going to be the most important aspects of this particular amendment which the hon. Minister has brought about. Skill development is defined as acquisition of new skills. I think Laluji talked extensively about examinations and how the children drop out from schools after the 8th standard. The drop out ratio after the 8th standard is much higher because a lot of children are pushed up. Talking about dyslexia, I think, pushing them ahead will not be a solution. So, the hon. Minister has to address this issue because today most children are aware that they can go up to 8th standard without studying and even if they fail in Mathematics or in a language subject, they can still reach up to 8th standard. So, the intent of doing this is very good, but it has repercussions because the children are aware that even if they do not study, they are going to reach up to 8th standard. So, what will happen after that? Therefore, I think, we all have to make an intervention to provide good quality education and have some sort of grading system whether it is a normal child or a child with special needs. We have to have some bench mark. Otherwise, it will be a futile exercise.

The same thing applies to alphabets and Mathematics because these are really the weaknesses with children. So, I think we have to assess our weaknesses. As the hon. Minister said, if we all pool our energies together, I am sure slowly we can make a change. It is going to take a lot of time because it is a game of patience. Every teacher may not be able to resolve all the issues because there is a strength of 60 or 70 children in every section and if there are many children who need special attention, it is physically not possible for one teacher to address all these issues. So, we will have to look at that.

But I would request the hon. Minister to reconsider home-based education and clarify it a little more because there are a lot of agencies involved. …

(*Interruptions*) Every normal teacher can make 20 per cent intervention and the teachers do not have to be specially qualified for that.

Then, section 39 is a very general section. I would just like to flag three issues which concern my State. In Maharashtra, we have 5+3+2 system while the rest of the country has 4+3+3 system. So, we will, probably, need some more time to bring ourselves to 4+3+3 system. Even in all our Zilla Parishad schools, every child goes to the first standard when the child is 5 plus. But under this Act, every child goes into the first standard when the child is 6 plus. This is another big change for which we will need some more time. There will be one level of the first standard which may go empty for a while, at least till we bring this change. So far as the academic authority is concerned, there is still a little bit of grey area. Like the NCERT, we have SCERT in Maharashtra and we have a Text Book Bureau. The States like Punjab and West Bengal also have this. So, if the States get a little more power in tune with what the curriculum is going to be, that would be good. Therefore, on this section 39, the hon. Minister will have to throw some light because we have these three issues in our State. I am sure each State, in their own Board, will have these issues. I think the School Management Committees have shown very good response to whatever changes that the hon. Minister has suggested.

Then, we support the measure to keep the minority schools and other religious schools out of the purview of this Act. We fully support it. I would like to inform the hon. Minister that we will do everything to support the measures to make this RTE, which is a dream project under our Constitution, successful and I am sure every child in this country will get good quality education.

SHRI C. RAJENDRAN (CHENNAI SOUTH): Madam Chairman, I rise to participate in the discussion on the Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Bill, 2012. This Bill seeks to amend the definition of the Act to include children with disabilities. This Bill would bring about a change in the fundamental rights of the children which is a very essential one. The implementation of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act has already started. But still it is having some problems. …(व्यवधान)

सभापति महोदया: आप भी बातचीत मत करिये, इधर भी बातचीत नहीं हो रही है।

SHRI C. RAJENDRAN: Until now only a dozen of the State Governments have created Commissions for Child Protection and also Grievance Redressal Mechanisms. If the Act has to be meaningful and beneficial then all the States in the country have to create such mechanism for the protection of children's rights.

There is no doubt that the subject of Education is in the Concurrent List. But, there is an urgent need to have a clear cut division of responsibilities between the Centre and the States in implementing schemes with regard to education. The Centre and the States should have to agree to a definite role and implement the Act in a productive manner. Without the active participation of the State Governments, this will not have the required effect. Hence, the Centre should have wider consultations with the State Governments and see that this is implemented in right earnest.

For the full implementation of this Act, we are left with only four more years. I feel that there is a greater urgency now on the part of both the Centre and the States to act faster.

Coming back to the provision of Grievance Redressal Mechanism, there are many complaints, even from the Capital of India, Delhi, stating that this Act does not make any provision for Grievance Redressal Mechanism and that the parents do not know how to get their problems sorted out. The Government should pay serious attention to this.

This Act will cover children from the age of six years to 14 years. Now-a-days, children start going to school or pre-school from the age of four years. Hence, I request the hon. Minister to consider bringing those pre-school children also within the ambit of this Act as was suggested by the National Advisory Council. Necessary amendments to the Act in this regard may be brought forward as soon as possible, keeping in view the situation existing as of now. If the Government brings forth such an amendment, then additionally another four crore children will get benefit out of this.

When Dr. MGR was the Chief Minister of Tamil Nadu, he initiated a lot of steps for educating poor children – one such step being nutritious Noon-Meal Scheme, which saw a huge enrolment of many children of poor families into schools. It retained them in schools and also it ensured that there was no dropout from schools.

The present Chief Minister of Tamil Nadu is also following those schemes for the betterment of children’s education. Hon. Amma is encouraging poor children to attend schools by giving them four sets of free uniform, free books, free note-books, free Atlas, free geometry box, etc. To encourage poor students to pursue higher studies, hon. Dr. Amma, Chief Minister of Tamil Nadu, is giving computers/laptops and free bicycles to students. All such efforts of AIADMK Government make Tamil Nadu to be on top in the field of education in India.

The Union Government can also try and emulate such efforts for the welfare of students from the poor and downtrodden communities. The Government has a responsibility to provide quality education in all the Government schools and Government aided schools across the country. It also

should see that the student-teacher ratio in the schools is strengthened for imparting quality education.

With these words, I once again urge the Government to bring another amendment so that the pre-school children are also brought within this Act.

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Thank you, Madam. I can recollect that during the discussion on Right of Children to Free and Compulsory Education Bill, 2012 several Members in this august House raised very important questions. Those very important aspects have been left out. So, what is needed is a comprehensive legislation for free and compulsory education of the children. One of the important aspects which have been left out is the question of disability. I welcome this Amendment Bill as this Bill touches upon this point.

But before going to that, my another question is with relation to the definition of 'children'. The United Nations Convention on the Right of Children defines 'children' as human beings below the age of 18 years under the law applicable to the child. That had been ratified by 192 countries out of 194 countries. So my first point is this. Why the Ministry, why the Government is not taking this matter for amendment of the Constitution? Even Article 21A of the Constitution says that the State shall provide free and compulsory education to all children of the age of six to fourteen years in such manner as the State may, by law, determine. So, I think the Minister should think over it as it has been ratified and it has been accepted in the UN Convention. So, up to the age of 18, any human being, any child should be attributed. The Government should take responsibility for those children.

Madam, much has been told about the disability. I thank the hon. Minister that he has defined a 'child with disability' in a specific manner in the Bill. He has already made it clear in this House that it will cover all forms of disabilities. It is good. It is good in saying but the question is how it will be implemented in practice. Particularly regarding children with severe disability, how it will be implemented? There is no adequate infrastructure. There is lack of teachers. We are talking about the home-based education. It is only a talking term. But how it will be implemented? So, this is a serious matter.

As you have come out with such an amendment, so please make all these things clear. Though education is in the Concurrent List and much has to be done by the State Governments, but, even then, when we are going to amend the Act and we are going to touch upon this matter, we should make clear all these things, particularly in the case of providing infrastructure, providing able teachers and providing other matters.

Now, it is not clear to me, though I am not against this; this is in the amendment that nothing contained in this Act shall apply to Madrasas, Vedic Pathsalas and educational institutions primarily imparting religious instructions. How does it apply with the main spirit of the Constitution? The Constitution does not mean that some areas should be left out in the name of religion, in the name of other things. So the point is how it is related with the provisions of the Constitution. It should be clarified. The Minister may kindly tell us.

Now, we are talking about mid day meal. Much has been said on mid day meal. This point has been raised by several hon. Members. But I am mentioning about providing fund in the mid day meal. It is very meagre. In fact, this is not adequate for providing sufficient mid day meal to the children. So, please, enhance it; increase the funds.

I would like to know as to what is the responsibility of the Union Government, State Government and the Local Self-Government. That has to be sorted out. The fact is that this meagre amount is nothing but a mockery, a jock.

My last point is about sharing of funds, which is 65:35. You should think over it. This is not sufficient and this should not be confined only for a few years.

These are my points. I am supporting this Bill. I think, in the coming days, the hon. Minister will come with a comprehensive legislation so that all other points, which have been left out, will be covered and addressed properly.

With these words, I thank you, Madam.

*DR. RATTAN SINGH AJNALA (KHADOOR SAHIB): : Hon. Madam Chairman, I am thankful to you for giving me the opportunity to speak on a very important bill, "The Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Bill, 2012".

Madam, who are the children who are eligible to get free education? Are they the children of poor parents or rich parents? The children of the rich study in pre-nursery, followed by nursery, lower KG, upper KG, class I and so on. But, the children of the poor go to Anganwadi schools. These Anganwadi schools have no buildings, no rooms, no toilet facilities etc.

Madam Chairman, the Hon.Minister has taken a bold step. It is a major step. However, a lot of hard work is needed for the effective implementation of the step taken by him. The ground reality is bleak and dismal in rural areas. The poor children study in government schools. The children of the rich, on the other hand, study in private, English medium schools. The poor children cannot afford to study in private schools. They also have to help their parents in doing various works. So, I request you to see to it that school holidays coincide with days when harvesting etc. is in full swing, as the poor children are busy helping their parents in these works.

Madam Chairman, provision for home based education for 'disabled' children has been provided in the bill. This is a major step. A lot of qualified teachers will have to be recruited for teaching these differently-abled children at home. Is it feasible or possible? It would be better if special schools are opened at sub-divisional level for these challenged children to cater to their special needs. Such children could be housed in these schools, as commuting daily from home to school and vice-versa would be difficult for such disabled children.

Madam, schools in rural areas face an acute shortage of teachers. The Government has fixed the student-teacher ratio at 30:1. However, as there is

* English translation of the speech originally delivered in Punjabi

dearth of teacher in rural primary schools, the same teacher has to teach all the classes from class I to class V. Can he do justice? What kind of system is this?

Madam, the Government has done away with the exams. Shortage of teachers means that the syllabus will never be completed. Education is bound to be a casualty in such circumstances. What is the fun of giving 'free and compulsory education' rights to children of 6 to 14 years age in such a scenario? The standard of education has to be uplifted.

MADAM CHAIRMAN : Please wind up now.

DR. RATTAN SINGH AJNALA : Children are not supposed to go to school just for attendance purpose. Until and unless qualified teachers are there, how will we ensure the standard of education. Hence, I urge upon the Hon. Minister to first provide at least 5 teachers at the primary level for a government school in rural area. Trained and highly qualified teachers need to be recruited.

Also, ensuring quality education for minorities is very important. Especially, every girl child of the poor must be educated. Schools in the vicinity of poor people will be helpful in this process. I am happy that several states like Punjab and Bihar have done good work as far as providing education to girl-child is concerned. The Punjab Government has provided free cycles to girl students of class X and XI. Free laptops have also been provided to them. All this has been done to give a boost to free education for poor girls.

Madam, the Hon. Minister is too busy. He has many responsibilities. His hands are full. He is busy with the Planning Commission. He also makes himself busy trying to rein in Baba Ram Dev. Education needs single-minded devotion and dedication. I advise him to give up all his other responsibilities. Only then can he provide justice to the education sector.

MADAM CHAIRMAN: Thank you.

DR. RATTAN SINGH AJNALA : Ma'm, the Hon. Minister is doing a lot of hard work. He got passed the RTE bill in 2009. Actually this bill should have been brought in 1952. Had this been the case, the entire scenario would have been

different. It should have been passed on 13th May, 1952. Things would have been far better by now.

MADAM CHAIRMAN : Please conclude.

DR. RATTAN SINGH AJNALA : Ma'm, religious education is the bedrock of our society. All schools should impart this. We must give our children religious moorings so that their religious development takes place properly. This is very important. Along with religious education, giving an impetus to sports in schools is also the need of the hour.

MADAM CHAIRMAN : Thank you. Ajnala ji.

DR. RATTAN SINGH AJNALA : Ma'm, I'm raising very pertinent points. I am only voicing the agony and aspirations of the poor rural people on this issue.

MADAM CHAIRMAN : Please speak your last point. There is paucity of time.

DR. RATTAN SINGH AJNALA: Ma'm, I am in favour of the Mid-day Meal scheme. We can induce and bring to school the children of the poor by this scheme. However, the standard of the 'Mid-day Meal' must be improved. This system needs to be streamlined.

MADAM CHAIRMAN: Please cooperate. Kindly conclude. There is a long list of 15 more members. Ajanla ji, you have spoken well.

DR. RATTAN SINGH AJNALA : Ma'm, I'm raising very valid points…

MADAM CHAIRMAN : Nothing else will go in the record now.

श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): महोदया, निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन विधेयक लाया गया हैं, मैं इसका स्वागत करता हूं और इससे निश्चित रूप से निःशक्त एवं विकलांग छात्रों के शैक्षणिक क्षेत्र में विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि बड़ी संजीदगी से समाज के उस तबके को शिक्षा के अधिकार में शामिल करने के लिए यह जो बिल लाया गया है, वह स्वागत योग्य है। हमने 2010 में इस संबंध में बिल पारित किया था, लेकिन आज मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि अगर हम शैक्षणिक संस्थानों पर नजर डालें, आज देश में 15 करोड़ बच्चे ऐसे हैं, जिनमें से लगभग 80 लाख बच्चे शैक्षणिक संस्थानों से दूर हैं। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 50-60 लाख श्रमिक हैं और अगर गैर-सरकारी आंकड़ों की बात करें, तो 6 करोड़ बाल श्रमिक हैं, जो आज भी स्कूलों से दूर हैं, शिक्षा से वंचित हैं। इनको जब तक हम स्कूलों में नहीं ले जाते हैं, तब तक हमारा सर्वशिक्षा अभियान अधूरा भर रहता है। इसके अंतर्गत हमने स्कूलों के भवन बनाए, कमरे बना दिए, लेकिन उनमें काफी विसंगितयां देखने को मिलती हैं। मैं एक स्थान पर गया, वहां मैंने देखा कि मात्र 45 बच्चे हैं, पांच शिक्षक है और पांच कमरे हैं। दूसरे स्थान पर मैंने देखा कि 267 छात्र हैं, वहां भी पांच कमरे हैं लेकिन शिक्षक वहां पर मात्र दो हैं। जब इस तरह की विसंगतियां रहेंगी, तो हम सर्वशिक्षा अभियान के लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर पाएंगे? पूरे देश में शिक्षकों की कमी है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, असम, छत्तीसगढ़ और जम्मू-कश्मीर में छः लाख अनट्रेन्ड टीचर्स हैं, जहां पर कम से कम पांच लाख ट्रेन्ड टीचर्स की आवश्यकता है। हमारे सर्वशिक्षा अभियान में जो प्रावधान किया गया था, बहुत से माननीय सदस्यों से जिसकी ओर ध्यान आकर्षित किया है, गरीब विद्यार्थियों को स्कूल एडमिशन में 25 प्रतिशत आरक्षण की बात की गयी थी, उसका पालन नहीं हो रहा है। अकेले दिल्ली के स्कूलों में 10 हजार स्थान रिक्त पड़े हैं, जो गरीब विद्यार्थियों के कोटे से नहीं भरे गए हैं। इस पर बहुत सख्ती से कदम उठाने की आवश्यकता है। घुमन्तू जातियों के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं।

निःशक्त बालकों के लिए कानून की जो बात कही गयी है, इसकी भी स्थिति कहीं हमारे पूर्व विधेयक जैसी न हो जाए। इसके लिए नौकरशाही दृष्टिकोण को छोड़कर नई सोच अपनानी होगी। विकलांगता सामान्य रूप से चार प्रकार की होती है- मानसिक विकलांग, अस्थिबाधित, मूक-बधिर और दृष्टिबाधित। पिछले बिल में जो विकलांगता की सात कैटेगरीज शामिल की गयी थीं और नए बिल में इनकी संख्या बढ़ाकर 20 कर दी गयी है। केन्द्र सरकार के द्वारा विकलांगों के चार नेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाए जा रहे हैं - देहरादून, कोलकाता, सिकन्दराबाद और मुंबई। इनके अतिरिक्त 17 आवासीय, रोजगारोन्मुखी केन्द्र विकलांगों के लिए संचालिए किए जा रहे हैं। यह संख्या हमारे देश में विकलांग बच्चों की संख्या को

देखते हुए काफी कम है। इसके साथ ही विकलांग बच्चों के लिए चलाए जाने वाले आवासीय विद्यालयों एवं विद्यालयों की संख्या भी बहुत कम है। कितने जिलों में प्राथमिक विद्यालय हैं, कितने में मिडिल स्कूल तक शिक्षा दी जा रही है, कितने संभागीय मुख्यालयों में आवासीय विद्यालय 12वीं कक्षा तक दिए जा रहे हैं? सर्वशिक्षा अभियान के तहत 30.82 लाख विकलांग बालकों की पहचान की गयी। 2001 की जनगणना के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के बालक 2.1 प्रतिशत विकलांग बालकों में से मात्र 1.5 प्रतिशत को ही दर्शाता है। इनमें से नियमित स्थल और घर पर आधारित शिक्षा के तहत अब तक केवल 27.80 लाख छात्रों को ही शामिल किया गया है। हमारा देश ज्यादातर गांवों में रहता है और 81 प्रतिशत विकलांग भी ग्रामीण क्षेत्रों में ही हैं। 55 प्रतिशत विकलांग पूरी तरह से अशिक्षित हैं, मात्र 9 प्रतिशत ही मिडिल तक शिक्षा ले सके हैं क्योंकि विकलांगों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले विद्यालयों की पूरे देश में कमी है। सरकार अगर जागरूक होती, तो ये आंकड़े 50 प्रतिशत तक जा सकते हैं। आप स्वयं यह बात कह रहे हैं कि सरकार द्वारा संचालित विद्यालय कम हैं।

सामाजिक संस्थाएं, एनजीओज सरकार से लाभ लेकर केवल कुछ बड़े शहरों में केन्द्र चला रही हैं, छोटे शहरों एवं कस्बों को सरकार एवं एनजीओज, दोनों द्वारा अनदेखा किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जानकारी नहीं होती है, हर जिला स्तर पर कम से कम हाईस्कूल एवं संभागीय मुख्यालय पर हायर सेकेंडरी निःशक्त बालकों के लिए आवासीय एवं रोजगारपरक विकलांग विद्यालय बनना चाहिए। सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए प्रति बालक 3000 रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया गया है, जिसमें से 1000 रुपये समर्थ शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अलग रखा जाएगा। यह सार्थक कदम है, लेकिन ऊंट के मुहं में जीरे के समान है। गरीब परिवार का बच्चा प्राथमिक स्कूल में पढ़ता है, 200 रुपये प्रतिमाह लॉजिंग-बोर्डिंग के लिए दिए जाएंगे, हॉस्टल में आया की आवश्यकता होने पर आया को 50 रुपये दिए जाएंगे। आप बताएं कि 50 रुपये में कौन आया काम करने के लिए तैयार होगी। स्थायी समिति की रिपोर्ट में भी बताया गया है कि अभी तक विकलांग बालकों में से सिर्फ 75099 बालकों को ही नियमित स्कूल में शिक्षा दी जा रही है। अतः सर्व सुविधायुक्त स्कूलों को बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारी स्थायी समिति की रिपोर्ट के प्वाइंट 4.8 में कहा गया है कि निःशक्त बालकों को सहायता प्रदान करने के लिए कुल 10014 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की गयी है। 58.78 प्रतिशत स्कूल्स को रैम्प और हैंडरेल उपलब्ध कराए गए हैं, अपने आपमें ये कहते हैं कि यह संख्या बहुत कम है। हमारी तैयारी पूरी नहीं है, कितने प्रकार के विक्लांग बच्चे हैं। सभी राज्यो में एक अभियान चलाकर सरकार को इस कानून के अंतर्गत सेम्पल सर्वे नहीं, बल्कि पूर्ण सर्वे कराना चाहिए। कितने विकलांग हैं, कितने प्रकार की विकलांगता है, कितने मूक-बधिर हैं, कितने दृष्टिहीन हैं, कितने मंदबुद्धि हैं, उन्हें किस तरह से शिक्षा देने की आवश्यकता

है, यह देखना चाहिए। क्या पास के गांव में या जिले में पुनर्वास केन्द्र में रहकर उन्हें शिक्षा दी जा सकती है, यह भी देखना चाहिए।

सभापति महोदया: अब आप अपनी बात समाप्त करें, क्योंकि आपके दल से दूसरे सदस्यों को भी बोलना है इसलिए केवल पाइंट्स बता दें।

श्री वीरेन्द्र कुमार: मैं सिर्फ पाइंट्स ही बता रहा हूं। सेंट्रल स्कूल्स में ट्रेंड टीचर्स नहीं हैं। विक्लांगों में किसी तरह की कमी नहीं होती। इनकी विकलांगता किसी तरह से प्रगति में बाधक नहीं होती। इसका उदाहरण है हमारे ही सदन में माननीय जयपाल रेड्डी, मैं उनका सम्मान करता हूं। ऐसे ही रविन्द्र जैन संगीत की दुनिया में जाना-पहचाना नाम है। उन्होंने नई-नई रचनाएं रचकर आकाश की ऊंचाइयों को छुआ है। यमुना प्रसाद शास्त्री जी 1977 में हमारी इसी सदन के माननीय सदस्य रह चुके हैं। अगर देखना है इनकी उड़ान को तो ऊंचा कर दो आसमान को।

हमें अपने बजट में इनके लिए रखे गए एलोकेशन को बढ़ाना होगा। हम उनके हक का आसमान खुला रखें तो देखेंगे कि तारे ज़मीन पर भी आएंगे। इन विक्लांग बच्चों को शिक्षा के अच्छे अवसर उपलब्ध कराने चाहिए, ट्रेंड टीचर्स की व्यवस्था कराई जाए। अगर ऐसा होगा तो हमारे देश में किसी भी तरह के हमारे विद्यार्थी अपनी योग्यता प्रमाणित करने में पीछे नहीं रहने वाले हैं।

मैंने अभी एक मैगज़ीन में पढ़ा था 16 विद्यार्थियों के बारे में और वे विक्लांग थे। हर विद्यार्थी में कुछ न कुछ प्रतिभा थी। कोई अपने पैरों से ही कम्प्युटर को अच्छी तरह से चलाकर मास्टर बन गया। कोई बहुत अच्छी पेंटिंग पैरों से बना रहा था। वह लेख पढ़कर मुझे लगा कि वास्तव में अगर इन्हें सही मायनों में सुविधाएं, संसाधन उपलब्ध कराए जाएं, तो हमारा देश विक्लांगों के लिए बहुत कुछ कर सकता है।

इस बिल में क्रियान्वयन की जहां तक बात है, इनकी क्षमताओं को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। इनकी क्षमताओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आप देखते हैं अक्सर रेलवे स्टेशंस पर, कहीं आप बैठे हुए हैं तो आपकी बगल में विक्लांग बच्चा बैठा होता है। अगर उसके मुंह से लार बह रही होती है, उसकी माता अपने पल्लू से पोंछती है। लेकिन साथ में जो महिला अपने बच्चे को लेकर बैठी होती है, वह चली जाती है। इसी तरह अगर वह स्कूल में खाने की मेज़ पर जाता है, तो बगल में बैठे हुए बच्चे उसे मंदबुद्धि कहकर वहां से उठ कर चले जाते हैं। जब वह स्कूल से बस में घर जाता है, तो बच्चे उसके साथ नहीं चलते हैं। इस तरह अगर इन बच्चों के साथ भेदभाव खत्म नहीं होगा, तब तक कैसे इस बिल की सार्थकता होगी। इस सम्बन्ध में हमें दिल से काम करना होगा, दिल से क्रियान्वयन करना होगा, तब ही सही मायनो में इस बिल की सार्थकता सिद्ध होगी।

ज़िंदगी की हर कमी जो भूल जाता है,
बस वही उपलब्धियों के फूल पाता है।
आदमी सच्चा वही जो हौंसला रखता,
सदा ही मुस्कराता है।
क्या हुआ जो आंख से देख नहीं पाता,
दिव्य दृष्टि से नज़र सब उसको आता है।
हाथ से लाचार है जो पैर से कमज़ोर,
दौड़ जीवन की मगर वह जीत जाता है।
बोल न पाए, जो कानों से सुन भी न पाए,
ध्यान से सुनना, अक्सर वह गुनगुनाता है।

SHRIMATI PRIYA DUTT (MUMBAI NORTH-CENTRAL): Thank you Madam for giving me this opportunity to put forth my views, my observations on this path-breaking legislation, the RTE which ensures free and compulsory education to all children, and by all children we mean children with disabilities as well.

I would like to take this opportunity to congratulate the hon. Minister for laying the much required emphasis on the differently abled children and their education. After years of struggle and strife by persons working in the disability sector, today we have seen results and we have seen fruition to this and I thank the Minister for the same.

Madam, I do have some apprehensions which I would like to bring to the notice of the Minister for his consideration. One apprehension, like many other colleagues have pointed out, is regarding the home study, the option of home study.

17.00 hrs

I know the hon. Minister has already clarified that the option of home study lies with the parents. But, Madam, I want to speak from my personal experience as I have worked with children with disabilities. I worked in a special school and we have tried for years to integrate these children into regular mainstream schools. I must say that with the vision of dedicated teachers and educationists, we were very successful. We were very successful with some hand-holding, with some counselling and coercing to get these children admitted in our neighbourhood mainstream schools and the results were fantastic. We saw these children flourished in every way. When we asked those children, 'Do you want to come back to your special school?' All of them said, 'No Madam, we do not want to come back; we are really happy here.' This is what the achievement of integrated education is.

17.01 hrs (Dr. Raghuvansh Prasad Singh *in the Chair*)

Sir, I believe that home education will be detrimental. When we give an option to parents or to a teacher, we are actually giving them an option to keep the child back home. When we say that these children need special educators, how will these special educators come to your home, come with the right intervention? It is only the affluent families, who may be able to afford this. But, when we look at children with disabilities in the villages or amongst the poor, the home study will not work. In fact, the children will be locked up into their homes as what was happening earlier. We will be going back to square one. So, my request is that let us remove the option and come up with solutions and ways as to how we can achieve this integration. This integration can be achieved once we make structural audits in schools, make schools barrier-free, make special educators available in these schools, see to it that every parent can reach those schools with their children.

Severe disability happens only when there is no early intervention; a child grows to be severely disabled. But, when there is an early intervention and there is early detection of any sort of disability, there are remedial methods; there are remedial therapies for the same, which make that child capable enough to learn. In my process and in my years of work with the disabled children, I learned one thing, which they taught me, to look at their ability and not their disability and work from there. Therefore, Sir, this is something which we really need to re-look at. This is one intervention, which I thought is very important and something which was very close to my heart, which I had to say.

Secondly, the Right to Education (RTE) covers all children from the age group of six and 14 years. Again, a lot of my colleagues have brought up this issue of as to what happens to children after 14 years. What happens when the State cannot pay for their education further, the parents cannot afford to pay for their education further? Are these children once again left out of the ambit of education? I would like the hon. Minister to please clarify that.

Sir, according to the Annual Status of Education Report (ASER) studies, show 22.6 per cent of children are enrolled in private schools, which was in 2008 and, of course, the number has increased since. Over 70 to 75 per cent still study in Government's schools. Even after 25 per cent of reservation of seats of the economically weaker sections of students in private schools, we will still have a vast majority studying in Government's schools. Therefore, Sir, I feel it is imperative to see that we strengthen the public school system so that every child gets equal opportunity for quality education even in a Government's school. Why should just the 25 per cent get the quality education and why is it that only in private schools we get quality education? If we really want RTE to work in a holistic way, we need to see that Government education, public school education imparts that quality education.

We should be talking about quality and not quantity. Another point is the status of orphan children which needs to be taken up seriously. There are orphans, abandoned children who are left out of the ambit of education. Most of them are seen wandering on the streets, being abused physically and sexually. They have no paper in respect of their identification and no birth certificate which is required for admission in any school. There are thousands and lakhs of these children who are left out of the ambit of education. Therefore, I would request the hon. Minister to come up with a solution to this problem so that all children – we talk about education for all – from all disadvantaged groups should be taken into consideration.

Sir, I thank you for having given me this opportunity to talk about these very pertinent questions and make observations and suggestions which I had.

श्री जगदानंद सिंह (बक्सर): महोदय, सरकार द्वारा जो संशोधन प्रस्तुत किए गए हैं, मुझे लगता है कि इनसे कोई असहमत नहीं हो सकता है। राइट टू एजुकेशन के तहत जो वंचित थे, उन विकलांगों को, भी इसमें शामिल करने का काम किया गया है। इसमें सभी को खुशी है, क्योंकि ऐसे लोगों को घर तक जाकर शिक्षा देने की व्यवस्था भारत सरकार चाहती है।

महोदय, कोई भी नहीं चाहेगा कि अल्पसंख्यकों के शिक्षण प्रबंधन में हस्तक्षेप किया जाए। मुझे याद है कि विद्यालयों में प्रबंध समिति बनाने के लिए हम लोगों का बहुत जोर था। मुझे यह कहने में संकोच नहीं हो सकता है कि अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए प्रबंधन की व्यवस्था, उन्हें अपने से प्रबंधन करने देना चाहिए, यह सरकार की सोच सही है। लेकिन इसी पर एक बात मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि भारत सरकार पॉलिसी बना रही है, कानून बना रही है और वित्त का प्रबंधन कर रही है, जबकि राज्य सरकारें बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था कर रही हैं। लेकिन विद्यालयों की समिति को प्रबंधन का जो अधिकार दिया जा रहा है, उन्हें पंचायतों से क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है? इस समय सरकार के तीन स्तर हैं, जिनमें से स्थानीय सरकार यानी पंचायतीराज, जिससे प्रबंध समिति एकाउंटेबल होगी तभी उसके माध्यम से राज्य सरकारों को स्थानीय प्रबंधन को दुरूस्त करना संभव होगा। चाहे भारत सरकार की नीयत कितनी भी अच्छी हो, चाहे जितने अच्छे कानून आप बना लें, इसके बिना परिणाम हासिल नहीं होगा। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि भारत में सामाजिक व्यवस्था के तहत शिक्षा का कार्यक्रम चलता था जिसे सरकार ने अपने हाथों में ले लिया है, सरकार को वित्त का प्रबंधन करना चाहिए था, लेकिन स्थानीय प्रबंधन को भी बनाए रखना चाहिए था। उस स्थानीय प्रबंधन को छीनने का नतीजा है कि आप जो अच्छी शिक्षा देने की चाहत रखते हैं, वह अच्छी शिक्षा लोगों को नहीं मिल पा रही है। हम लोगों की एक ही चिंता है कि जब आप क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं तो क्वालिटी एजुकेशन मिल क्यों नहीं रही है? यह बात अलग है सात लाख से अधिक शिक्षक, जो कि शिक्षित हैं, लेकिन स्वयं में प्रशिक्षित नहीं हैं। पांच लाख से ऊपर कक्षा पांच तक और अपर प्राइमरी में करीब ढाई लाख, पूरे देश में सात लाख से ऊपर शिक्षक स्वयं प्रशिक्षित नहीं हैं और इन्हीं के माध्यम से हम क्वालिटी एजुकेशन देने की बात कर रहे हैं। क्वॉलिटी एजुकेशन एक सोच नहीं है बल्कि इसे धरातल पर उतारने की आवश्यकता है लेकिन मैं आपको निश्चित सलाह देना चाहूंगा कि यदि प्रबन्धन समिति को आप ताकत देना चाहें और पंचायती राज की व्यवस्था को सीधा इसमें जोड़ें तो थोड़े से प्रशिक्षित लोग भी मेहनत करके बच्चों को परिश्रम करके पढ़ा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। जब से यह नियम आया कि आप सभी को शिक्षा देना चाहते हैं, यह स्वागत योग्य कदम है। यूनिवर्सेलाइजेशन बहुत अच्छा शब्द है लेकिन आपके स्कूलों से बच्चे निजी स्कूलों में भाग रहे हैं। मेरा अनुभव है कि आपके जितने

स्कूल तेजी से बढ़ रहे हैं, उससे तेजी से प्राइवेट स्कूल गांवों में बढ़ रहे हैं और जिसे हम ग्रामीण भारत कहते हैं, उसकी सारी शिक्षा व्यवस्था इस जगह पर जाकर खड़ी है कि आज गरीब आदमी मजदूरी करके भी अपने बच्चों को पेड एजुकेशन के लिए पैसा जुटाकर किसी तरह से निजी स्कूलों में ले जा रहा है।

मैं अधिक बात नहीं करना चाहता। लेकिन मैं कहूंगा कि सारी नेक नीयत रखने के बाद भी 2 लाख 31,000 करोड़ 5 सालों में खर्च करने की आपकी इच्छा केन्द्र 65 और राज्य 35 के रेशियो पर है लेकिन कुल मिलाकर अभी इसके नतीजे नहीं आएंगे तो फिर आपकी सारी नीति और कानून का क्या मतलब होगा? इसलिए प्रबंधन को आप अभिभावकों के जिम्मे दीजिए और अभिभावकों की समिति अपने पंचायती राज के माध्यम से स्कूलों पर नियंत्रण करे अर्थात् पूर्ववत जिस तरह से सामाजिक आंदोलन का परिणाम हमारे देश में शिक्षा की शुरुआत है, आप उस जगह पर इसको ले जाइए। आप समिति बनाइए। आप कानून बनाइए, कानून का पालन कराइए और वित्त की व्यवस्था करिए । आप अल्पसंख्यकों के प्रबंधन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे लेकिन अन्य स्कूलों का प्रबंधन शक्तिशाली बनाइए और उस ताकतवर संस्था के द्वारा आप एलीमेंट्री एजुकेशन को नियंत्रित करिएगा तो मैं समझता हूं कि शायद इससे आपकी सोच सफल हो सकेगी।

SHRI NARAHARI MAHATO (PURULIA): Thank you, Chairman, Sir, for giving me a chance to participate in the discussion on the Right of Children to Free and Compulsory Education Bill. Many hon. Members have discussed about the right of children to free and compulsory education. I would also like to suggest some points relating to this issue.

What do we see in our country after 65 years of our Independence? How are poor people providing education to their children in the rural areas? Today, the hon. Minister has come before us with a Bill with various prospective things and points of view regarding education. But what do we see in our country? We can see that the divide between the poor and the rich people is there even with regard to their children in the education sector also.

The poor person, whose monthly income is very low, is unable to send his children to private schools. It is because if he sends his children to private schools, then he would have to pay a lot of money there. What do we see in the lower primary schools; upper primary schools; middle schools; or junior high schools in the rural villages where children aged 6-14 years come and study?

There is no good classroom arrangement; the schools are found wanting of infrastructure; the number of trained teachers is not sufficient, proper and adequate; and the scenario of infrastructure in different schools is different. It is in this sense of providing education to poor children that more than 85 per cent of the people living in rural areas are suffering from not being able to educate their children in private schools for want of money or due to the wrong education policy of the Government. A proper education policy should be formulated because the children of the villagers and the poor people are dropping out of school. They are not getting proper education. The infrastructure in the educational institutions is not of good quality. Hence my request to the hon. Minister is to take care of these children of the poor people.

As the time given to me is very short, I will quickly put the points that I have to the hon. Minister, through you, Sir. Each Member of Parliament can

recommend two students for admission in a Central School every year. But what is the position of the infrastructure in the Central Schools? The HRD Ministry should look into the matter. In my constituency, there is a Central School, but there is no hostel facility. Where will the children stay? How will you provide proper education to the children? Therefore, every Central School must have the hostel facility.

Secondly, in Navodaya Vidyalayas, a Member of Parliament cannot recommend any student for admission. My humble submission to the hon. Minister, through you, Sir, is that a Member of Parliament should be able to recommend for admission in these schools also. That should be done.

In the case of Sarva Shiksha Mission, what are we seeing in our country? The teachers are engaged in taking care of the mid-day meals, and they are not giving proper time for imparting education or to teach the students. Mid-day meals are essential, but it should not be the responsibility of the teachers. The Self-Help Groups or any other organization should be engaged for providing mid-day meals in the primary schools, and the teachers must be focussing on educating the children.

In a school, a *shikkha mitro*, a para-teacher, who is a trained graduate teacher, is getting Rs. 3,000 or Rs. 4,000 per month, but on the other hand a full-time teacher, who is appointed either by the State Government or the Central Government, is getting pay and allowances of more than Rs. 20,000 per month. What is this? This difference should be abolished.

My last point is that the Minister should abolish the grading system and make arrangements for examination for a better future of the students. Otherwise, the children of village and rural people will not get proper education and better enhancement of their knowledge. While the children of the urban people, those who have money or those who are rich, will become IPS, IAS and other officers and as a result, the differences between the urban and the rural people will remain the same.

Sir, with these words, I conclude my speech.

श्री अजय कुमार (जमशेदपुर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं आपके ध्यान में दो-तीन बातें झारखंड की स्थिति के बारे में लाना चाहता हूं। जिस तरह से ग्राम प्रधान या प्रमुख की एकाउंटिबिलिटी की बात हो रही है। लेकिन यदि इसे असलियत में इम्पलीमैन्टेशन के रूप में देख लीजिए तो किसी तरह से इसकी कोई चर्चा नहीं है। सबसे बड़ी कमी अगर हम देखते हैं तो वह यह है कि हम इस देश में खूब सारे लेजिस्लेशन करते हैं, लेकिन जहां तक इम्पलीमैन्टेशन की बात है, मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में करीब 11 ब्लाक हैं, जिनमें से 11 के 11 ब्लाक नैक्सेलाइट अफैक्टेड़ हैं। कुछ दिन पहले हम एक स्कूल में गये थे तो उस स्कूल में एक ही टीचर है और चार सौ बच्चे हैं, यह कोडाडूमा नाम का स्कूल है, जो गा[illegible] सब-डिवीजन में है। हमारे मंत्री महोदय बहुत विद्वान और इंटेलिजेन्ट है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि यदि हम ग्राम प्रधान और प्रमुख को स्कूल चलाने और उसे कंट्रोल में रखने के लिए पावर देने के लिए सिन्सेयर हैं तो ऐसा सिस्टम बनाइये जहां पर टीचर्स की अटेंडेन्स के बारे में फंडिंग को ट्राई कर लीजिए, यदि टीचर उपस्थित नहीं है तो स्कूल की फंडिंग नहीं होगी। क्योंकि 65 परसैन्ट फंडिंग भारत सरकार की है और 35 परसैन्ट स्टेट गवर्नमैन्ट की है। जब तक हम यह एड्रैस नहीं करेंगे कि टीचर्स की अटेन्डेन्स रेगुलर हो तो बात नहीं बनेगी। मैं एक सुझाव और देना चाहता हूं कि यदि हम शिक्षा को बढ़ाने के लिए सिन्सेयर हैं तो ऐसा सिस्टम लागू किया जाए कि जहां सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से एक मानिटरिंग कमेटी होगी, उसमें टीचर्स की उपस्थिति के बारे में लोकल एमपी और लोकल एमएलए शामिल हों।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी ओवरसाइट नहीं है। स्कूल के चलाने के लिए हम लोगों ने कहा कि हम लोग फंडिंग करेंगे, राइट टू एजूकेशन हमने एनाउंस कर दिया है। लेकिन किसी भी स्कूल में आप जाइये, यहां तक कि काफी स्कूल्स में एमपीलैड में हमें कुर्सी और टेबल देने की रिक्वैस्ट आ रही हैं। यदि हमारा ग्राउंट लैवल पर यही इम्पलीमैन्टेशन है तो यह एक मजाक बनकर रह गया है।

झारखंड एक ट्राइबल स्टेट है और वहां कस्तूरबा गांधी स्कूल चलता है। यदि आप कस्तूरबा गांधी स्कूल की स्थिति देख लेंगे, यह बहुत अच्छे उद्देश्य से बनाया गया था। उस स्कूल में टीचर्स और पदाधिकारी का एक ही इंटरैस्ट है कि 25 लाख के आसपास साल के खर्च का प्रोविजन है, उसी पर सबका ध्यान है। हमारे क्षेत्र में डुमरिया में एक स्कूल है, वहां अभी दीवार की कम्पलीट नहीं हुई है, यह स्कूल आदिवासियों बच्चियों के लिए बना है, लेकिन उसकी स्थिति बहुत अफसोसजनक है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि इस तरफ थोड़ा ध्यान दिया जाए।

तीसरा विषय यह है कि हम लोगों ने परीक्षा का सिस्टम खत्म कर दिया है और यदि दिल्ली में बैठे हुए पदाधिकारी समझते हैं कि यह बहुत अच्छा कदम उठाया है। हमारी समझ से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को हम सिर्फ नरेगा के लिए तैयार कर रहे हैं और वे बाकी किसी काम के लायक नहीं रहेगे। हमने परीक्षा को एकदम से बंद कर दिया है। आप देख लीजिए मुम्बई में हाल में एक स्कूल मे करीब पचास परसैन्ट विद्यार्थियों को फेल कर दिया गया। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों की पढ़ाई पर यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो आप सिर्फ नरेगा में काम कराने के लिए उन्हें तैयार कर रहे हैं। हम लोग समझते हैं कि अमेरिकन सिस्टम के माध्यम से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो मेरा अनुरोध होगा कि जब तक इन्हें एजूकेट नहीं करेंगे और परीक्षा के माध्यम से इवेलुएट नहीं करेंगे तो राइट टू एजूकेशन सिर्फ लिखा-पढ़ी में ही रह जायेगा।

महोदय, अटेंडेन्स के बारे में हमने आपका ध्यान आकृष्ट किया है और सरकार जब इतना पैसा खर्च कर रही है और मुझे यह पक्का मालूम है कि यह टीचर्स के माध्यम से एक पापुलर सेन्टिमैन्ट नहीं होगा। लेकिन अब हर जगह बायोमैट्रिक अटैंडैन्स की व्यवस्था हो गई है। झारखंड में यदि किसी स्कूल में तीन टीचर्स हैं तो वह बहुत बड़ी उपलब्धि है। हर स्कूल दो-दो टीचर्स के साथ चल रहे हैं, प्राथमिक स्कूल को आप छोड़ दीजिए। यदि आप अटैंडेन्स के बायोमैट्रिक सिस्टम को लागू करा देंगे तो बहुत उचित होगा। जमशेदपुर में एक सरकारी स्कूल शहर में है, वहां पर दो कंप्यूटर टीचर्स हैं और वहां के प्रिंसिपल आकर हमसे कहते हैं कि कृपया हमारे पास दो कंप्यूटर टीचर्स हैं, लेकिन हमारे पास कंप्यूटर नहीं है और एक टीचर की महीने की तनख्वाह एक कंप्यूटर के बराबर है। हमारा यह कहना है कि जिस तरह से लास्ट मैन कनैक्टिविटी एजूकेशन या सरकारी कार्यक्रम में जो भी कनैक्टिविटी है, वह बहुत अफसोसजनक है।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि मदरसा और वैदिक पाठशाला को आपने एक्ट के मुताबिक बाहर रखा है। हम कहते हैं कि यह बहुत अच्छा है। लेकिन यह जरूर सोचने वाली बात है कि यदि हम किसी तरह से इन्सेन्टिवाइज कर लें कि आप धार्मिक पढ़ाई भी करें और नार्मल पढ़ाई भी करें, क्योंकि सिर्फ धार्मिक पढ़ाई के हिसाब से जमशेदपुर में मान लीजिए की सौ, डेढ़ सौ मदरसे चलते हैं, यह जरूरी है कि हम उन्हें भी नॉन-रिलीजियस एजूकेशन के माध्यम से इंसेन्टिवाइज करने के लिए कह रहे हैं। हम यह नहीं कह रहे हैं कि उसे राइट टू एजूकेशन से बाहर रख रहे हैं, वह ठीक है। लेकिन यह जरूरी हो गया है, क्योंकि पॉलिटिकल परपज़ से हम लोग यह सोचते हैं कि यह बड़ा सेंसिटिव इश्यू है। इसलिए मैं इस बिंदु पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। सर, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। चिल्ड्रन ऑफ डिसएब्लिटि के बारे में काफी चर्चा हुई थी। हम उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह से आप कस्तूरबा गांधी विद्यालय चला रहे हैं, उसी तरह से हर जिले में ब्लाइंड बच्चों के लिए हॉस्टल वाला स्कूल चलाएं। मेंटली रिटार्डिड बच्चों के लिए हॉस्टल वाला स्कूल चलाएं। अगर सरकार उनके लिए हॉस्टल

की व्यवस्था कर दे और एक उचित स्कूल चला दे तो आज जितनी भी चर्चा हुई थी, कस्तूरबा गांधी स्कूल की तरह तो उचित होगा।

मैं आखिरी लेकिन महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। झारखण्ड में बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। हम लोग अपने क्षेत्र में कोशिश करें। 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए अगर सरकार इतना खर्च करती है तो 4500 रूपये प्रति सोलर लाइट पड़ती है। हम लोग सोचते हैं कि ग्रामीण बच्चे शहरी बच्चों के साथ कंपीट करेंगे लेकिन उनके पढ़ने के लिए लाइट ही नहीं है। अगर 4500 रूपये की सब्सिडी हो जाएगी तो अच्छा होगा। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय: अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री अजय कुमार: सर, मैं यही कह कर आपनी बात समाप्त करता हूँ और आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

SHRI MOHAMMED E.T. BASHEER (PONNANI): Mr. Chairman, Sir, as far as the parent Act of this Act is concerned, we know that it was a landmark enactment the country has ever seen. If anybody asks which is the most significant law made in this Lok Sabha, I would not hesitate to say that it is this RTE Act. I congratulate the hon. Minster for piloting such a very important and remarkable legislation.

This amendment gives certain clarifications which will eradicate the doubts among the minorities and religious institutions. They had a kind of fear that this legislation may result in encroachment of their Constitutional rights. With this amendment, the Madrasas, Vedic pathashalas, and institutions imparting religious education will have no fear. That fear is really eradicated.

Coming to the Committee side, the Management Committee's nature has been converted into advisory nature in respect of minorities. I am of the opinion that even this kind of an advisory Committee is not required. Not only that, whether it is a minority institution or a non-minority institution, let all the aided institutions be treated alike.

Coming to the special education, there is a different school of thought as to whether it should be integrated education or whether there should be a separate stream in that. I agree that integrated education is very good. They must mingle with the other students. But we cannot do away with the special schools. In severe conditions, special schools are very much required. Of course we have to encourage integrated education. At the same time existence of special schools is very much required.

About special teachers, there is a lack of teachers in these schools. We must pay the teachers. Unfortunately in our country there are not many institutions imparting special school teacher training. We have to start more institutions right away. We have to ensure that specially trained teachers are engaged in a school for teaching the physically handicapped and mentally retarded children. That is very important. Some people say that normal teachers also can teach. They can teach up

to an extent but specially trained teachers are very much required in teaching this kind of students.

In respect of student-teacher ratio, for the general stream it has been specified but on the special school side also specifying the teacher-student ratio must be considered.

Another important thing is that we must ensure accessibility. The main purpose of this Act is providing accessibility. There is a condition in starting the CBSC schools – the State Governments should give NOC. Article 30 of the Constitution says that minorities can start educational institutions and administer education for the minorities. NOC is insisted from the State Governments and some State Governments are reluctant to give them. Then what is the purpose of article 30? I am of the firm opinion that this condition should be removed and there should not be any hurdle in giving NOC. This has created some problems and so, this should be removed.

There are some points to be mentioned in respect of clarity. There is a provision of 25 per cent reservation in schools. It is really a revolutionary step. But in that also, there is lack of clarity. The disadvantaged group is to be defined. Some States are doing according to their will and pleasure. I am of the firm opinion that it is to be redefined and clarity should be brought in.

About registration, there is a provision that all the schools must get registered. There is confusion. There are hundreds of schools in our country which have already completed formalities and having registration. Should they also go again for registration? Secondly, even if they are applying for registration, what is the criterion in giving registration? That also may kindly be addressed so that that doubt is removed.

The very purpose of this Act is to ensure accessibility, enrolment and retention. I am of the opinion that quality has not been given much emphasis. I may request the Government that we should not compromise on quality.

Infrastructure and accessibility are all right, but if we are ignoring quality, that will affect the future generation.

The physically handicapped persons must have an option. Whichever may be the school, according to their liking, they must get admission in such a school. About the rules, it is the duty of the State Governments to make rules. But the Minister and other hon. Members are aware that the rules should be in conformity with the Act. Unfortunately, some State Governments have formulated their own rules which are contradictory to the parent Act. I humbly request the hon. Minister to examine that. The rules should be strictly in accordance with the Act. That should also be kindly examined.

With these words, I conclude.

SHRI JOSE K. MANI (KOTTAYAM): Thank you. I wish to put forward my views on the Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Bill, 2012.

This Amendment Bill settles the doubt regarding the status of minority institutions with regard to Right to Education Act. The amendment, by excluding minority educational institutions, both aided and unaided, from the 25 per cent reservation ensures protection of cultural and educational rights of ethnic and religious minorities guaranteed by Articles 29 and 30 of the Constitution.

This amendment has provided only advisory role for management committees in minority institutions. But the past experience has shown that such committees are prone to abuse their position and harass the school functionaries. I therefore suggest that we should remove the management advisory committees which have more been a hindrance than an aid to better governance.

Moving on to the amendments in general, I wish to make some suggestions to the 25 per cent reservation in private schools for children for disadvantaged sections of the society. An experimental research conducted by the economists using Indian data has found that children from disadvantaged section performed just as well as children from affluent families if their identity was not revealed to their classmates but performed 20 per cent worse when their financial and other conditions were revealed. However, an under-privileged child's social backdrop cannot be hidden in the real world. Thus, there is a need to boost the self-confidence of the disadvantaged children and the execution of the RTE must consider this while ensuring education for all.

The amendment rightly includes differently-abled children within the ambit of the RTE legislation. Nevertheless, there is a need to provide necessary physical infrastructure in the schools to make them accessible to differently-abled children. Adequate fund allocation must be made in this regard. In addition, the Government must work towards setting up social schools that can cater to

differently-abled children's need which should be furnished with the required teaching and learning aids.

With these remarks, I support the Government's move to amend the Right to Education legislation.

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): सभापति महोदय, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2010 में लागू हुआ था। इसमें संशोधन से संबंधित आज के इस प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने के लिए आमंत्रित किया, मैं आपका आभारी हूँ। महोदय, शिक्षा के महत्व को भारतीय समाज ने बखूबी समझा है और उसके महत्व को जाना है। शिक्षा केवल अक्षर ज्ञान का ही नहीं, बल्कि सभ्य समाज और एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण में महती भूमिका का निर्वाह करता है। मुझे केवल दो मुद्दों पर सदन का ध्यान और माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना है।

महोदय, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा, राइट टु एजुकेशन यद्यपि दो वर्ष पूर्व पूरे देश में लागू हुआ है, और अभी माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये हैं जो स्वागत योग्य हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि शिक्षा का मतलब क्या है? जो शिक्षा समाज में समानता पैदा न कर सके, राष्ट्रीय एकात्मकता को मज़बूती प्रदान न कर सके, उस शिक्षा का हमारे जीवन में कोई मतलब नहीं है। अच्छा होता अगर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के साथ-साथ एक समान शिक्षा पूरे देश के अंदर लागू करने के लिए कोई प्रावधान माननीय मंत्री जी के द्वारा होता। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से इस बात का अनुरोध करूँगा कि इस देश में यह तो नहीं चलेगा कि गरीब और किसान तथा मज़दूर का बेटा उन सरकारी विद्यालयों में पढ़े जिन सरकारी विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएँ भी नहीं हैं। हमारे एक सहयोगी ठीक कह रहे थे कि कक्षा एक से कक्षा पाँच तक की कक्षाएँ प्राथमिक विद्यालयों में चलती हैं लेकिन वहाँ दो से तीन क्लासरूम हैं। उसमें से एक प्रिंसिपल का रूम भी होगा। स्वाभाविक रूप से दो कमरों में पाँच कक्षाओं का संचालन कैसे होगा? दूसरा, इस अधिनियम के तहत भी आप कह रहे हैं कि कक्षा एक से पाँच तक जो साठ बच्चे होंगे, उनमें दो शिक्षक देंगे। दो शिक्षक पाँच क्लास कैसे लेंगे, और साठ से अधिक के लिए तीन शिक्षक करेंगे तो स्वयं इस देश के गरीबों का आर्थिक उन्नयन हो, वे स्वावलंबन की ज़िन्दगी गुज़र-बसर कर सकें, इस पर सरकार ईमानदार नहीं है। इसलिए इस देश में चाहे कोई गरीब हो, जवान हो या किसान हो, या इस देश में राजा हो या रंक हो, सबके लिए समान शिक्षा करिये। अगर सामाजिक न्याय की स्थापना करनी है तो सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए आवश्यक है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के साथ-साथ एक समान शिक्षा, एक समान पाठ्यक्रम को ईमानदारी के साथ लागू किया जाना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य को इस देश में मौलिक अधिकार नागरिक के लिए बनाया जाना चाहिए और सरकार का यह दायित्व है कि वह अपनी जीडीपी का कम से कम दस प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करे और इतना ही स्वास्थ्य पर खर्च करे जिससे इस देश में स्वस्थ और सशक्त भारत का निर्माण हो सके।

दूसरा, सरकार की शिक्षा नीति को यदि आप देखें कि केन्द्रीय विद्यालय सरकार द्वारा स्थापित हुए हैं। लगभग हर जिले में एक-एक केन्द्रीय विद्यालय है। जवाहर नवोदय विद्यालय अलग से हैं। कस्तूरबा बालिका विद्यालय भी बनाए गए हैं और अभी तीन-चार वर्ष पूर्व इस सरकार ने छः हजार मॉडल स्कूल बनाने की बात की थी, लेकिन उनकी स्थिति क्या है? चार वर्ष में मात्र चार सौ कुछ विद्यालय ही अभी तक बन पाए हैं। शिक्षा और मॉडल शिक्षा के लक्ष्य को पूरा करने की जिम्मेदारी का निर्वहन कितनी ईमानदारी से यह सरकार कर पा रही है, यह आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। इस सरकार के द्वारा अभी तक जो बातें कही गई हैं कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। 13 लाख स्कूलों में से 10 लाख स्कूल सरकारी और ढाई लाख निजी क्षेत्र के विद्यालय हैं। उनकी स्थिति यह है कि आज भी आधे सरकारी स्कूलों में खेल का मैदान नहीं है, 40 प्रतिशत स्कूलों में शौचालय की व्यवस्था नहीं है। 25 प्रतिशत स्कूलों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है और 20 प्रतिशत स्कूलों में शिक्षकों की शिक्षक के लिए जो न्यूनतम अर्हता होनी चाहिए, वह उसको पूरा नहीं करते हैं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा, मैंने पिछली बार भी इस बात को कहा था कि बी.एड. और बीटीसी की मान्यता एनसीटीई देता है, जिसका केन्द्र जयपुर में है। वहां संस्थाओं की मान्यताओं के लिए दस लाख रुपए बीटीसी और बी.एड की मान्यता के लिए, अनैतिक रूप से लिया जाता है। मैंने माननीय मंत्री जी का ध्यान पिछली बार भी आकर्षित किया था और चेयरमैन के यहां सीबीआई का रेड पड़ा था। वह रंगे हाथ पकड़ा गया था। आखिर यह सरकार जब टीचर ट्रेनिंग के लिए स्थापित संस्थाओं के भ्रष्टाचार को ही नहीं रोक पा रही है तो उस भ्रष्टाचार से पनपे हुए शिक्षक कैसे योग्य छात्र और राष्ट्र के लिए समर्पित नागरिक दे सकेंगे, यह स्वयं में प्रश्नचिह्न है। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि इस पर विचार करें।

तीसरा, निजी क्षेत्र के विद्यालयों में 25 प्रतिशत गरीब बच्चों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति और अन्य गरीब बच्चों के लिए जो रिजर्वेशन की व्यवस्था की है, वह स्वागत योग्य है। लेकिन मेरी आपत्ति है कि अल्पसंख्यक विद्यालयों को उससे वंचित क्यों किया गया है? मेरा अनुरोध है कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के भेद को यह देश समाप्त करे। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के आधार पर इस देश को बांटने की प्रवृत्ति कब तक चलती रहेगी? यदि राष्ट्र के हित में संविधान के संशोधन की आवश्यकता पड़ती है तो संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए। लेकिन मेरा कहना है कि अल्पसंख्यक संस्थाओं में आप अल्पसंख्यक वर्ग के गरीब बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं? अनुसूचित जाति-जनजाति और पिछड़ी जाति के बच्चों के लिए वहां शिक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती है? यदि वे सरकार के संसाधनों का उपयोग करते हैं और सरकार से सहयोग की अपेक्षा रखते हैं तो उनके लिए व्यवस्था दी ही जानी चाहिए। इसलिए मेरा अनुरोध है कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का भेद समाप्त

किया जाना चाहिए। यूएनओ चार्टर का पालन करके दस प्रतिशत की आबादी के इस देश में जो भी निवासी हैं, उनको अल्पसंख्यक से मुक्त करके बहुसंख्यक के साथ जोड़कर राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान लें।

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Sir, I would like to support the Bill that has been moved by the hon. Minister. I do not want to make a big speech, but I would only like to make a few points.

The concerned Standing Committee had proposed that for children with disabilities, the option of going to school - that can cater to the specific needs - should be available, irrespective of it being a neighbourhood at a distance. This particular recommendation of the Standing Committee has not been incorporated in the present Bill.

The present Bill also talks about that the School Management Committee for unaided minority schools will act in an advisory capacity. The hon. Minister is a lawyer of great repute. As far as the law and legal capabilities are concerned, I cannot question. He is a lawyer of great repute but as a Minister, I have my own doubts. It is said that the School Management Committee for unaided minority schools will work in an advisory capacity. Why should it work in an advisory capacity? Why do you require a School Management Committee for an unaided minority school? You have all Supreme Court judgements starting from St. Xavier School right up to T.M.A. Pai case, Unnikrishnan case and other judgements. According to them, you cannot have an advisory committee in unaided minority professional colleges. So, will this not go against the Supreme Court order?

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, I just want to clarify to the hon. Member that after the Supreme Court judgement, this provision has no impact. The Supreme Court has clarified that as far as unaided minority institutions are concerned, no provision of this Bill will have any application to unaided minority institutions. I want to make that clear.

SHRI ASADUDDIN OWAISI : I would like to bring to the notice of the hon. Minister amendment to Section 21 and amendment to Section 22. My stand over here is that in unaided minority schools, why should you have a management

committee which would work in an advisory capacity? It is because article 30 is a fundamental right.

Secondly, under the 15-Point Prime Minister's Programme, in the year 2010-11, as regards the number of schools constructed under Sarva-Shiksha Abhiyan in districts with substantial minority population, the target of the Ministry was 4969 and what has been the achievement? It is only 3573. Now, you come to the number of additional class rooms constructed under SSA in the substantial minority population, 1522 was the target and 797 is your achievement. Your targets have not been achieved in this also. Then, you have number of teachers in the Sarva-Shiksha Abhiyan in substantial minority population in 2011, 48,000 was the target and you could achieve 34,941. During 2011-12, it was 32,728 and you could achieve 24,000 and odd only. The number of KGB schools constructed in substantial minority population area, this year 107 was the target and you could achieve only 70. So, it is fine to have a law but under your own 15-Point Programme, the targets are not being achieved and that too when it is the new initiative of the hon. Prime Minister.

Thirdly, when this Bill was being passed in this august House -- Sir, you must be remembering that as you were here -- I had stood up and said that 25 per cent reservation will not be applicable in unaided minority schools but the hon. Minister stood up and said that it will be applicable. Despite my numerous reminders in this august House, he did not agree with me. Now it took the Supreme Court to struck that particular provision of the Act that was passed by this august House. Does he agree that he had committed a mistake? Now the Supreme Court has said that it will not apply to the unaided minority schools.

Then, we had talked that Madrasas and Vedic Pathshalas should be excluded from RTE. But the Minister dragged his feet. Numerous delegations met him. The religious scholars from great Seminaries came and met him. In the meeting with the Jamiat-Ulema-i-Hind, he promised that. Now when this

amendment was brought, the Personal Law Board took out an all India agitation programme. Everywhere, they held agitations. This is another point where unfortunately, the Minister is dragging his feet and that is why, they are facing the political consequences.

Lastly, though there is a dissenting judgement in the Supreme Court order, let aided minority schools also be excluded from this order. This will be in the fitness of things.

Sir, lastly, I would like to remind the hon. Minister that his former colleague in the last Lok Sabha, Shri Fatmi created a Fatmi Committee Report. The late Arjun Singh was then the Cabinet Minister. What happened to that Fatmi Committee Report? You have the highest drop out rates amongst the Muslims; the literacy rate is the lowest amongst the Muslims. What exclusive programme does the Ministry has, especially for the Muslim girls? The Government must come out with programmes for that and that will send out a strong and a sound message.

SHRI CHARLES DIAS (NOMINATED): Respected Chairman, I would like to thank you for giving me this opportunity to speak on this important Bill.

At the outset I would like to congratulate the hon. Minister for bringing in a Bill to facilitate free and compulsory education to children in our country. I am sure, this historic move to provide education to children of our country is yet another bold step of the UPA Government for the educational advancement of the common people and mostly for the down-trodden, disabled and the marginalized sections of people. The present Bill to amend the Bill of 2010 is a welcome move.

By the present amendment, the Government now seeks to provide equal opportunities to children with Autism, Cerebral Palsy and mental retardation with other children. In this context, the Government has to make it clear that whether additional posts of teachers will be allowed to be appointed in schools to handle the children with disabilities. The level of disability has to be ascertained and accordingly the children would have to be handled and the Government will also have to see the syllabus of these children as the ability of children vary and accordingly they have to be taught and trained and make them self-reliant and useful to the society. I still have my own doubts about the move to bring in more disabled children to normal schools. What will be the fate of the special schools then? The percentage is very high in respect of children suffering from learning disability. The disability of such children vary. The Government has to make it clear if children with learning disability will be provided admission in normal schools.

The School Management Committee as defined in the Section 21 of the Principal Act is actually an encroachment on the rights of the management of the educational institutions. The management which provides infrastructure and facilities for the institution has their own vision and style in managing their own institutions. Trying to control them through various representatives will have adverse effects and I have my own doubts that whether constituting a Management Committee will help in proper management of an educational institution.

Sir, by the amendment now proposed, at least the institutions established and managed by Minorities can retain its individuality and freedom to maintain the traditions, individuality, the style of functioning and the cultural identity for which these institutions were established and managed.

The educational institutions established and managed by Minorities are institutions with individual traditions maintained for the protection of cultural identity and many are institutions which give special attention to English, Urdu and other languages and follow strict discipline. A majority of these institutions have been established some forty to fifty years back and now cater to the educational needs of all sections of people, but were originally established mainly for the students belonging to the Minority community by which it was established.

A Management Committee of Members representing various agencies of the Government and others may look for the progress of the school. But it actually creates a situation that for each and every aspect, the management has to consult the Management Committee. Members with varying interests may assert their own views which at times can have adverse effects. The Managing Committee can only be an advisory committee for the best interests of the institution.

Sir, by the present amendment, the Government at least has brought some changes to the nature of the Management Committee for the institutions managed by Minorities. Considering the present situation in educational institutions managed by Minorities, the Management Committee, even if is of an advisory nature can cause difficulties as there is a management to look after the day to day affairs and there is a parent-teacher association in every school which looks after the overall functioning of the school. An Advisory Committee with representatives from various local bodies and people's representatives will definitely be an encroachment to the functioning of the management and the parent-teacher association. It is doubtful as to whether the so-called members nominated by different local bodies can contribute towards the proper conduct of the schools. I am of the opinion that in all aided schools, the Management Committee will be

one that may bring unnecessary interference in the functioning of the management. Regarding the State of Kerala, it attained 100 per cent literacy with the help of management which belong to the minority and the majority communities. My view is that, in all the aided schools, the Management Committee should be avoided or at least it should be made as an advisory body.

DR. TARUN MANDAL (JAYNAGAR): Mr. Chairman, Sir, I am not against this proposed minor amendment which basically deals with 'able' and 'differently able' students but I am totally against the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 introduced on 1st April, 2010 in its entirety.

This Act is a misnomer and a misleading one. It is neither guaranteeing right nor education to our children. It should be replaced with an appropriate Act with provisions of adequate funding and it should be vigorously implemented to pursue the expressed intention of the Act.

The Act has no explicit provision to mobilise necessary resources to the States for which the Act itself is being disabled and physically challenged. Due to lack of financial support, several States have refused to implement the Act though two years have already lapsed.

About 15 million children are still out of school and drop-out rate is as high as 46 per cent. Shortage of teachers is to the extent of 14 lakhs in India. There is no school within one kilometre radius and there are 17, 282 such habitations. There is no building for 1,48,696 schools. There is no drinking water for 1,65,747 schools. There are no toilets for 4,55,561 schools. There are 1,14,531 primary schools with a single teacher. These figures are as per the Survey Report of CRY in 2010.

What is the Government actually doing then? Without infrastructure, what is the meaning of Right to Education?

In an interview in CNN-IBN on 1st April, 2010, the hon. Minister, Shri Kapil Sibal, shifting the onus of the Government from its shoulder, was saying:

> "It is a collaborative enterprise of parents, neighbours, teachers, friends, the Managing Committee, the State Governments, the Panchayats, the Central Government and the child itself. Now in this collaborative exercise, if you expect the Central Government to deliver the 'right', then it will not happen. We do not have a magic wand to say that Central Government has passed an Act and everything will be fine. This is not going to happen tomorrow, the

> 1st of April. But I have said that we have created the ecosystem for it to happen."

This was said by the hon. Minister. This may be taken as his and the Government's understanding of Right to Education.

The road to that has been created by the recommendation given in the Report of Ambani-Birla Committee much before the introduction of the National Knowledge Commission. That Report said:

> "Rates of return in education are also better than rates of return in other sectors such as agriculture, industry and infrastructure"

Since the adoption of the National Policy on Education in 1986, there is a systematic and methodical drive on the part of the Government to convert the entire field of education into a field of trade and investment. And it is a pity that education was not declared as a fundamental right since Independence and adoption of our Constitution in 1950. Even ten per cent minimum budget allocation was never allotted in free India for education.

<u>18.00 hrs</u>

Sir, I am making a new point here. Please protect me. … (*Interruptions*)

Sir, there is a mention of `No Detention Policy' and removal of pass fail system in the Act up to Class VIII. Sir, in the name of `automatic promotion', it is a lethal attack on the very foundation of our education.

Sir, Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) movement removed it up to Class V. Now, it has been made up to Class VIII. There are theorists who say that pass-fail system may be a hindrance to universal education which is absolutely wrong. … (*Interruptions*) Sir, I am concluding. This is my last point. Abject poverty is the root cause for sending children of school going age to child labour and even in hazardous professions. Sir these are the main causes of `drop outs' from the school. Continuous evaluation is possible there where there is a system of commitment to upliftment of its citizens and the society and there is a cultural

milieu wherefrom the students can get education. But in India it will be a catastrophe. In the practical concrete situation in our country, when there is exam and a compulsion to pass it, only then students will read. Otherwise, the entire education will be a child's play. … (*Interruptions*)

Sir, before I conclude, I would like to say that 25 per cent reservation was provided in private non-aided schools and the Law Commission in 1998 had advised to make it 50 per cent reservation. But the hon. Minister has not accepted it. Sir, the hon. Minister being a quality lawyer of high-standing, he should consider this suggestion of making it 50 per cent. This Act is taking no responsibility of the students before six years of age and after 14 years of age. What will happen to them?

Sir, our teachers should not be given any non-teaching work like census or election duty, etc to improve the teaching in the public as well as in the Government schools. So, by all these measurers, the functioning of the schools will be better.

Sir, with these few words, I conclude my speech.

सभापति महोदय: आपका भाषण समाप्त हुआ। सदन की कार्यवाही माननीय मंत्री जी के उत्तर और जीरो अवर तक बढ़ाई जाए, इसके लिए सदन की सहमति है।

कई माननीय सदस्य : जी हां।

सभापति महोदय : भाषण समाप्त हुआ। सरकार का उत्तर। माननीय मंत्री जी।

श्री कपिल सिब्बल: सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं सभी संसद सदस्यों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने बड़ी विस्तार से चर्चा की और जो सुझाव उन्होंने दिए, शायद पिछले दो-तीन घंटों में I have become wiser. उन्होंने बड़े अच्छे सुझाव दिए। खासतौर से लालू जी ने बड़ी अच्छी बातें कही। सुप्रिया सुले जी ने जो बातें चिल्ड्रेन विथ डिसैब्लिटीज के बारे में कही उसके बारे में मैं उत्तर दूंगा। बड़ी अच्छी बातें थीं। सोलंकी साहब ने सवाल उठाए। बलिराम जी ने भी अच्छी-अच्छी बातें कही। बीजू साहब ने भी अपना योगदान दिया। हम जो संशोधन ला रहे हैं चर्चा उसके दायरे में होनी चाहिए थी लेकिन अच्छी बात है कि पिछले दो वर्षों के एक्सपीरिअंस के अंतर्गत जो बातें आप लोगों ने मेरे सामने रखी है उससे मुझे भी ताकत मिलती है क्योंकि आगे जाकर हमें भी सोचना है कि यह एक कंटिन्यूइंग इन्टरप्राइस है। हमें आगे जा कर क्या करना है तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं यह कहूंगा कि if you really look at what has been happening in primary schools, upper primary schools, additional class rooms, drinking water, toilets, teachers सभी लोगों ने ये बातें मेरे सामने रखी। मैं कुछ आकड़े 31 दिसम्बर, 2011 का देना चाहता हूं। जहां तक प्राइमरी स्कूल्स का सवाल है तो टोटल एसएसए के अंतर्गत जो अनुमति दी गई, जो सैंग्शन दी गई हैं, वे एक लाख बानवे हजार सात सौ छप्पन प्राइमरी स्कूल्स हैं और एक लाख तिहतर हजार छः सौ चालीस प्राइमरी स्कूल्स 31 दिसम्बर, 2011 तक या तो कंप्लिट हो गए हैं या प्रोग्रेस में हैं। जहां तक अपर प्राइमरी स्कूल्स का सवाल है। वहां आकड़ा एक लाख सात हजार चौवन है और कंप्लिट एण्ड इन प्रोग्रेस एक लाख दो हजार दो सौ पांच हैं। जहां एडीशनल क्लास रूम का सवाल है वहां आंकड़ा सोलह लाख एक हजार आठ सौ चौदह है और कंप्लिट एण्ड इन प्रोग्रेस पन्द्रह लाख सात हजार नौ सौ इक्कावन हैं । Drinking water 2,20,953, completed and in progress 2,13,194.; toilet sanctioned 5,84,324 and completed and in progress 5,25,112. Coming to toilets, the sanctioned number was 5,84,324; completed and in progress, the number is about 5,25,112. य

टीचर्स के बारे में विस्तार से चर्चा हुई कि टीचर्स की कमी है। सब स्कूलों के लिए टीचर्स की टोटल सैंक्शन्ड पोजिशन्स 19 लाख के लगभग है। आज तक 12 लाख टीचर्स की भर्ती हो चुकी है। बाकी 6 लाख हमने सैंक्शन कर दी हैं। हमारी तरफ से ऐसी कोई कमी नहीं है। अब राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे जल्द से जल्द रिक्रूटमैंट और डिप्लॉयमैंट करें। मैं आपके सामने यह स्थिति रखना चाहता था। कहीं ऐसा मैसेज न जाए कि हम कुछ कर नहीं रहे हैं, पिछले सालों से कुछ नहीं हो रहा है, टॉयलैट्स

नहीं बन रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, टीचर्स की रिक्रूटमैंट्स नहीं हुई और क्लास रूम नहीं बने। मैंने सदन के सदस्यों के सामने आंकड़े रखे।...(व्यवधान)

लालू जी ने हमारे सामने एक बात रखी। हालांकि यह संशोधन से संबंधित नहीं है लेकिन मैं फिर भी जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि आपने जो दसवीं का टैस्ट समाप्त किया है, उससे बड़ा बुरा प्रभाव हो रहा है, खास तौर से देहात के स्कूलों में।...(व्यवधान) मैं फैक्चुअली केवल इतना ही बताऊंगा कि दसवीं की जो बात हो रही है, वह केवल सीबीएसई स्कूलों तक सीमित है। इस देश में 12 लाख स्कूल हैं और केवल 1200 स्कूलों में यह एक्सपैरीमैंट किया गया है, और कहीं पर दसवीं की रोक नहीं लगाई गई है। 12 लाख स्कूल हैं, सब स्टेट बोर्ड के साथ संबंधित हैं। वहां दसवीं की परीक्षा के बारे में कोई प्रावधान नहीं है कि उसे खत्म करना है। जो राज्य सरकार नहीं चाहती वह न करे। हमने कभी किसी राज्य सरकार को यह नहीं कहा, हमने केवल कहा है कि सीबीएसई सिस्टम में यह संशोधन लाना चाहते हैं। वह 1200 स्कूलों में लागू है।...(व्यवधान) 12 हजार स्कूलों में लागू है। उन 12 हजार स्कूलों में हमारा एक्सपीरिएंस रहा है कि आज के दिन बच्चों के रिजल्ट सीसीई के कारण बैटर हैं, उनमें बेहतरी हुई है, खराब नहीं हैं। सीसीई का मतलब क्या है? सीसीई का मतलब यह नहीं है कि इम्तहान बिल्कुल नहीं हों। सीसीई का मतलब केवल यह है कि आपकी असैसमैंट लगातार होगी। कम्प्रीहैनसिव कंटीन्युअस इवैलुएशन - आपका टीचर है, आपको हर चीज में इवैलुएट करेगा। आपकी बोलने की क्षमता क्या है, समझने की क्षमता क्या है, आप मैथ्स में कितने अच्छे हैं, आप अपने आपको कितना एक्सप्रैस कर सकते हैं, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, यह कम्प्रीहैनसिव कंटीन्युअस इवैलुएशन है। इसमें शिक्षक को ज्यादा काम करना पड़ता है because he has to be constantly in touch with the students. हमने एक सर्वे भी करवाया है खास तौर से सीबीएसई में, because this is only limited to the CBSE schools. We have had a survey of the success of the CCE in the CBSE schools and it is proved to be exceptionally successful. I have gone around the country, talked to several people, talked to parents, talked to teachers. We have got inputs from parents and teachers. If you want, I can give the results of the survey.

There is some misunderstanding. CCE does not mean that a child should not be bothered about any kind of assessment. No. In fact, it is a constant assessment.... (*Interruptions*) लोग हमें कह रहे हैं कि सीसीई की वजह से ज्यादा भार बढ़ गया है क्योंकि हर महीने असैसमैंट होती है। रिस्पौंसीबिलिटी भी ज्यादा बढ़ गई है।...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद: आपको लोग गलत रिपोर्ट दे रहे हैं। पांचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं और मैट्रिक परीक्षा में लड़के पढ़ते थे, परीक्षा देते थे, रिजल्ट के लिए माला लेकर जाते थे।...(व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल : मैं आपसे असहमत नहीं हूं।...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद: अब ग्रेडिंग हो रही है। जॉब आउट नहीं हो, उसे आधार मानकर परीक्षा को समाप्त किया।...(व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल : स्टेट बोर्ड में नहीं है।...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद: आप यह इनश्योर कीजिए कि हम हर क्लास में परीक्षा लेंगे।

श्री कपिल सिब्बल : हर क्लास में ले रहे हैं।...(व्यवधान)

18.10 hrs.

(Dr. M. Thambidurai *in the Chair*)

All I was trying to explain to the distinguished Members of this House is that we have not imposed that in State Boards, class X examination should be removed. In all state Boards, they are continuing. It is their decision and it is the decision of the State Boards. We cannot control them. … (*Interruptions*)

श्री लालू प्रसाद : स्टेट बोर्ड या स्टेट गवर्नमेंट आपके परव्यू से बाहर नहीं है। यह बिल्कुल गलत है कि हम अपनी बातों को स्टेट बोर्ड पर फेंक दें। ...(व्यवधान) सिब्बल साहब, यह गलत है। ...(व्यवधान) हम आपको दोषी नहीं मान रहे हैं। आप बात को समझिये और पहले जैसे परीक्षा होती थी, वैसी परीक्षा कराइये। आप इस बारे में हमें इंश्योर कीजिए। ...(व्यवधान) यह गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए।

SHRI KAPIL SIBAL: The other issue that Shrimati Supriya Sule raised is relating to a very important issue. She indicated that the provision in respect to home based learning may have a negative impact. In fact, when this provision was introduced and it was cleared by Rajya Sabha, several representations came to us. Several organizations came to us. Just two or three days ago, I met them. I met all the organizations. They were organizations from different parts of the country; some from West Bengal, Maharashtra and some from other parts of the country. I sought their views on the subject. Four of them, out of 15 or 20, expressed the view that you have expressed. But a large majority of them said that look, there should be a choice. They said that education is something that happens both in the classroom

and at home. Both things happen. So, child needs to be educated at home and at classroom. And the choice should be of the parents. I then said, look, since this is an issue that needs to be looked at in depth, we will set up a Committee.

श्री शैलेन्द्र कुमार: मंत्री जी, आप हिन्दी में बोलिये, क्योंकि पूरा देश सुन रहा है। ...(व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल: मैं हिन्दी में बोल रहा हूं। शैलेन्द्र जी, मैं हमेशा हिन्दी में बोलता हूं। आप हमें आदेश दीजिए, तो हम और किसी लेंग्वेज में नहीं बोलेंगे। आप जैसे चाहेंगे, वैसे बोलेंगे। हम पंजाबी में भी बोल देंगे। ...(व्यवधान)

मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं एक कमेटी बना रहा हूं। ...(व्यवधान) कमेटी का गठन कर रहा हूं और उसके अन्तर्गत हम गाइडलाइन्स तय करेंगे। गाइडलाइन्स इस एक्ट के अन्तर्गत इंट्रोड्यूस कर देंगे, ताकि यह तय हो जाये कि किस स्थिति में होम बेस्ड एजुकेशन होगी और किस स्थिति में नहीं होगी। हमारा लक्ष्य केवल इतना ही है कि एजुकेशन एक इंटिग्रेटेड प्रोसैस होना चाहिए और क्लास रूम में होना चाहिए। हम यह नहीं चाहते कि एजुकेशन घर में हो, क्योंकि अगर बच्चा घर में रहेगा, तो उसे अकेलापन लगेगा। अगर बच्चों के साथ रहेगा, वह खुद भी पढ़ पायेगा और बच्चे भी सीखेंगे। जो बच्चे हमारे डिसएबिलिटीज के साथ हैं, वे भी अपने आपको कैसे, क्योंकि मैंने कई बच्चों को देखा है कि वे बहुत अच्छी तस्वीरें बनाते हैं, पेंटिंग करते हैं, बड़ा अच्छा म्यूजिक बजाते हैं। मैं समझता हूं कि उनमें बड़ी खूबियां हैं और जब बाकी बच्चे उनकी खूबियां देखेंगे, तो उनकी इज्जत बढ़ेगी। यह इंटिग्रेटेड प्रोसैस होना चाहिए, स्कूल में होना चाहिए, यही हमारा लक्ष्य है। मैं आपको यह कहना चाहता था, ताकि that issue needs to be addressed.

दूसरा, कुछ सदस्यों ने यह बात भी पूछी कि इस देश में किन-किन डिसएबिलिटीज में कितनी संख्या के लोग हैं। वे आंकड़े भी मैं आपको देना चाहता हूं। Orthopedic disabilities 7.58 lakhs; totally blind – approximate one lakh; low vision – 4.5 lakh; hearing impaired 4.5 lakh; speech impaired – 1.81 lakh; mental retardation - 5.5 lakh; cerebral palsy – 1 lakh; multiple disabilities – 1.6 lakh; autism – 32,839.ये आंकड़े भी हमारे पास हैं।

ये साधन हमें बनानें होंगे, एक दिन में यह काम होगा नहीं। यह बहुत लंबा रास्ता है, सभी को साथ चलने का रास्ता है। कोई कहे कि एक दिन में शिक्षा का पूरा ढांचा बदल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। यह एक रनिंग प्रोसेस है जिसमें जब तक आप लोग साथ नहीं देंगे, संसद सदस्य साथ नहीं देंगे, राज्य सरकारें साथ नहीं देंगी, पेरेंट्स और टीचर्स साथ नहीं देंगे और जो बच्चे आज के दिन स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, उनको स्कूल नहीं भेजेंगे, यह पूरा नहीं होगा। कुछ सदस्यों ने यह बात भी रखी कि लगभग आठ

मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल में नहीं हैं, यह बात सही है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी समाज की है, हमारी है और जब तक हम खुद इसे तय नहीं करेंगे, अगर हमें पता चल जाए कि कोई बच्चा स्कूल में नहीं है, तो जिम्मेदारी हमारी है कि हम तुरंत उसे स्कूल भेजना तय करें। साथ ही जो नेबरहुड स्कूल का कांसेप्ट है, इसमें जो प्रावधान लिखा है, राज्य सरकारों को तय करना है कि नेबरहुड स्कूल होना कहा चाहिए। हमारे यहां आजाद मंडी है, मेरी कांस्टीट्वेंसी में है, वहां बिहार से, उत्तर प्रदेश से बच्चे आते हैं, वहां मंडी में काम करते हैं। कहां स्कूल की सुविधा है? आज अगर राज्य सरकार तय करे कि आजाद मंडी के नजदीक कहीं कोई रेजिडेंशियल स्कूल खोलेंगे, तो हम उसको अनुमति देंगे, उसका साथ देंगे क्योंकि जब तक इन बच्चों के लिए रेजिडेशियल स्कूल नहीं खुलेंगे, तो एक दिन वे स्कूल जाएंगे और दूसरे दिन वापस मंडी में काम पर चले जाएंगे। हमारी सोच यह है कि ऐसी व्यवस्था में अगर हमें साधन लाना है, तो हमें रेजिडेंशियल स्कूल खोलने पड़ेंगे। अगर राज्य सरकारें तय करेंगे कि नेबरहुड स्कूल रेजिडेंशियल स्कूल होना चाहिए, तो उसका साथ देकर हम भी चाहेंगे कि उसमें जो सहयोग हम दे सकें, देंगे। यह हमारी सोच है और इसके साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। ...(व्यवधान) जहां तक कॉमन एजुकेशन का सवाल है, उसका इस इश्यू के साथ ताल्लुक नहीं है। लेकिन चूंकि आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा कि जहां तक कॉमन एजुकेशन का सवाल है, हमने सारी स्टेट बोर्ड्स के साथ मीटिंग की। हमारे देश में लगभग 39 स्टेट बोर्ड्स हैं। उसमें हमने सीबीएसई और आईसीएसई को साथ में रखा, मैंने उनको कहा कि आप एक कोर-करीकुलम तैयार कीजिए, जो ऐसा होना चाहिए कि सभी स्कूलों में लागू हो।...(व्यवधान) मैं यह नहीं चाहता कि हरेक टेक्स्ट बुक एक किस्म की हो, टेक्स्ट बुक्स अलग-अलग हो सकती हैं, लेकिन कोर-करीकुलम एक होना चाहिए। इसकी अनुमति सीएबीई ने दे दी है, सारे स्टेट बोर्ड्स ने दी दी है, वह करीकुलम बन चुका है, वह लागू भी हो गया है।...(व्यवधान) साइंस में हो गया है, मैथ्स में हो गया है, अब हम कॉमर्स में लागू करने जा रहे हैं। आहिस्ता-आहिस्ता कर रहे हैं, 50-60 साल में यह हुआ नहीं, लेकिन जब हम तेजी के साथ बढ़ना चाहते हैं, तब आप लोग आलोचना करते हैं। हम चाहते हैं कि यह कोर-करीकुलम साइंस, मैथ्स, कॉमर्स एवं अन्य बाकी चीजों में भी लागू हो। जो आर्थिक व्यवस्था पिछले पाच साल में यूपीए सरकार ने पैदा की है, सर्वशिक्षा अभियान और राइट टू एजुकेशन लाए, हिन्दुस्तान के इतिहास में क्या कभी पहले ऐसा हुआ? कभी नहीं हुआ।...(व्यवधान) मैं दाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी और सोनिया जी को जिन्होंने तय किया कि आम आदमी के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क मिलनी चाहिए।...(व्यवधान) पिछले 50-60 सालों में किसी सरकार ने नहीं किया। वर्ष 1997 से लेकर 1999 तक हम सत्ता में नहीं थे, उस समय भी नहीं हुआ। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except the minister’s reply.

(Interruptions)[*] ...

श्री कपिल सिब्बल: महोदय, वर्ष 2001-2002 में जब कोई और सरकार थी, सर्वशिक्षा अभियान के लिए बजट था 2000 करोड़ रुपये, आज इसके लिए हमारा बजट 25000 करोड़ रुपये है। मैं केवल बता रहा हूं कि अंतर क्या था, हमारी सोच क्या है और हम जमीन पर कर क्या रहे हैं?...(व्यवधान) दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं।...(व्यवधान)

कई सदस्यों ने कहा कि कभी स्कूल में जाते हैं तो देखते हैं कि टीचर्स नहीं मिलते। कई स्कूल्स में ज्यादा टीचर्स हैं और कई में कम हैं। प्राब्लम डिपलाएमेंट की है। हमने पैसा दे दिया, मंजूरी दे दी, लेकिन रिक्रूटमेंट राज्य सरकार करती है और वही डिपलाएमेंट भी करती है। मुझे उम्मीद है कि राज्य सरकारें सही तरह से टीचर्स का डिपलाएमेंट करेंगी और किसी भी स्कूल में टीचर्स की कमी न हो। लेकिन इसमें हमारी दखलअंदाजी नहीं होती है। स्कूल कहां बनाना है, रूल्स के तहत राज्य सरकारें तय करती हैं। सभी राज्य सरकारों ने गोवा के अलावा रूल्स फ्रेम कर दिए हैं। टीचर्स कौन से रिक्रूट करने हैं, उनका कहां-कहां डिपलाएमेंट होना है, यह सब राज्य सरकार तय करती है, हमारा कोई दखल नहीं होता है। हम सहयोग देना चाहते हैं, हम पैसे भी देंगे और मदद भी करेंगे, राज्य सरकार कहे कि हमारे साथ चलो, हम चलने को तैयार हैं।

मैं कुछ दिन पहले बिहार गया था। वहां एक स्कूल की एक कक्षा में 90 बच्चे थे और एक टीचर। हम चाहते हैं कि टीचर्स ज्यादा होने चाहिए, हमने इसके लिए अनुमति भी दी है कि रिक्रूटमेंट जल्दी हो।

श्री लालू प्रसाद: दो बातों का जवाब नहीं आया। हाशिम कमेटी ने मुस्लिम बाहुल्य गांवों में लड़कियों के स्कूल्स की कमी को देखते हुए सिफारिश की थी कि वहां ज्यादा स्कूल खोले जाएं। इसके अलावा जो आप मिड-डे मील देते हैं, जो आपके छाते के नीचे ही होता है, हमने देखा है कि टीचर्स और उनमें भी ज्यादातर फीमेल टीचर्स दिन भर खिचड़ी ही बनाती रहती हैं। इसका उद्देश्य यही था कि बच्चों को पौष्टिक आहार मिले। हिन्दू समाज की परम्परा के अनुसार खिचड़ी शनिवार को बनती है, लेकिन स्कूल्स में तो सातों दिन खिचड़ी ही बनती है।

श्री कपिल सिब्बल: हमारे नार्म्स के अंतर्गत कोई टीचर कुक नहीं कर सकता। हमने 1,000 रुपया ऑनरेरियम तय किया है कि बाहर से कुक लाया जाएगा। It is in addition to the cost. इसके लिए

---

[*] Not recorded

हमने पैसे का प्रावधान किया है। राज्य सरकार इसे लागू नहीं करती तो हमें बताएं कि कहां लागू नहीं होता, हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन हमारी तरफ से प्रावधान है।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions[*] *...*

MR. CHAIRMAN: Mr. Minister, please address the Chair.

SHRI KAPIL SIBAL: The other broad issue that was raised was with respect to minority institutions. As I have clarified already, pursuant to the judgement of the Supreme Court, it is now clear that as far as unaided minority institutions are concerned, they are not covered by the provisions of this Act. So, that is the final judgement. जहां अन-एडेड माइनोरटीज इंस्टीट्यूशंस हैं, वे इस राइट टू एजुकेशन एक्ट में कवर्ड नहीं हैं।

श्री लालू प्रसाद (सारण): हाशमी कमेटी भारत सरकार ने बनाई थी। लड़कियों की शिक्षा पर खर्च नहीं हो रहा है।

SHRI KAPIL SIBAL: We are only talking about Right to Education, that the conditionalities of this Act are not applicable to unaided minority institutions, but the aided minority institutions are covered.

As far as Management Committees are concerned, the aided institutions will have Management Committees, but they will only serve in an advisory capacity. Those are the provisions of this Act and Articles 29 and 30 will prevail. This will not apply to *Madrasas* and *Vedic Pathsalas*. That has been made clear. So, by and large, these are the broad issues that have been raised by distinguished Members of this House. I am grateful to the distinguished Members who have participated in this debate.… (*Interruptions*)

18.27 hrs

Shri Lalu Prasad and some other hon. Members then left the House

---

[*] Not recorded

Again this has nothing to do with this amendment. We are not having a general discussion on education. If you want any clarification, I will be more than happy to provide those clarifications to you. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That the Bill to amend the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

The question is:

"That clauses 2 and 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

Clause 4

MR. CHAIRMAN: Shri P.K. Biju, are you moving your amendment?

SHRI P.K. BIJU: Yes, Sir I beg to move:

Page 2, *omit* lines 31 to 34. (1)

MR. CHAIRMAN: I shall now put Amendment No. 1 moved by Shri P.K. Biju to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 4 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 4 was added to the Bill.

Clauses 5 to 8 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

SHRI KAPIL SIBAL: I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: Now we will take up 'Zero Hour' matters.

श्री राजू शेट्टी (हातकंगले): सभापति महोदय, ऑपरेशन फ्लड मिल्क थर्ड-फेज 1700 करोड़ रुपये खर्च करके शुरु हुआ है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा दूध उत्पादक देश के रूप में उभरा है। अमरीका के साथ हमारी दूध उत्पादन के बारे में स्पर्धा हो रही है लेकिन ऑपरेशन फ्लड-मिल्क का थर्ड फेज शुरू करने के बावजूद 18 फरवरी 2011 में हमारे देश ने दूध के पॉउडर के निर्यात के बारे में जो पाबंदी लगायी थी वह हटायी नहीं है। पिछले एक साल में महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ-साथ हरेक दूध उत्पादन करने वाले प्रदेश में पांच से दस प्रतिशत दूध का उत्पादन बढ़ चुका है। जब फ्लश सीजन होता है तब दूध का उत्पादन ज्यादा होता है लेकिन लीन सीजन में दूध का उत्पादन कम होता है। घरेलू मांग के बाद जो दूध हमारे पास बचता है, फ्लश सीजन में उसका मिल्क पॉउडर और केसिन में कंवर्जन होता है। केसिन और मिल्क पॉउडर कई वर्षों से हमारा देश एक्सपोर्ट करता रहा है।

लेकिन पिछले साल जब दूध के दाम बढ़ रहे थे तो दूध के दाम कंट्रोल करने के नाम पर हमारे देश में मिल्क पाउडर बैन कर दिया दिया और आज पूरे देश में हालात ये पैदा हुए हैं कि घरेलू दूध से ज्यादा हमारे यहां अतिरिक्त दूध उपलब्ध है और जो कंवर्जन हो रहा था, वह कंवर्जन थम सा गया है। बल्कि दूध पाउडर रखने के लिए गोदाम भी हमारे पास बचे नहीं हैं। तकरीबन 25000 टन दूध पाउडर हमारे पास है, इसलिए यह कंवर्जन रुक गया है और इसका फायदा बिचौलियों ने उठाया है। एक तरफ दूध की खरीद कम कर दी है और दूसरी तरफ दूध का सैलिंग रेट बढ़ाया है। इसीलिए हरेक राज्य में किसान आंदोलन कर रहे हैं और इस दूध का क्या करें, यह प्रश्न चिन्ह हरेक के सामने खड़ा है। मैं सरकार से विनती करता हूं कि तुरंत मिल्क पाउडर के निर्यात पर जो पाबंदी लगायी गई है, उसे हटाकर दूध उत्पादक किसानों को सरकार बचाए। धन्यवाद।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली): महोदय, मैं एक ऐसा विषय यहां रखना चाहता हूं जिससे लाखों आदमी प्रभावित हैं। बहुत सारे एक राज्य से दूसरे राज्य में गये हैं और वे अपनी भाषा अलग बोलते हैं, उनका पहनावा अलग है लेकिन यह देखा गया है कि बहुत बार कहने के बावजूद भी राज्य सरकारें जो भाषा वे बोलते हैं या लिखते हैं, उसे अपने पाठ्यक्रम में शामिल नहीं करते हैं, जैसे दिल्ली ले लीजिए, दिल्ली में 40 लाख से ज्यादा आबादी भोजपुरी बोलने वालों की है और वे जो बच्चे हैं, वे जो उस कल्चर के हैं और जो वे भाषा बोलते या लिखते हैं, उनको बड़ी तकलीफ होती है या फिर कुछ सालों के बाद वे उस भाषा को भूल जाएंगे जो उनके पूर्वज बोला करते थे। इसलिए मेरा केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध है कि कोई ऐसा कानून बनाए जिसे राज्य सरकार भी मानने के लिए बाध्य हो और जहां 20 प्रतिशत से ज्यादा की

आबादी ऐसी हो कि जहां जो कोई भाषा बोली जाती हो या लिखी जाती है, उसे उस राज्य के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए।

श्री देवजी एम. पटेल (जालौर): महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि जालौर जिले में गर्मी के समय में पानी की बहुत बड़ी समस्या हो गई है। हमारे वहां तालाब सूख गये हैं और जो नर्मदा का पानी हम डालते थे, जो बारिश का पानी इकट्ठा हुआ था, वह सारा पानी सूख गया है। आज परिस्थिति यह है कि लोग वहां पर आंदोलन कर रहे हैं। मटके फोड़ रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे दोंनों जिले डार्क जोन घोषित कर दिये गये हैं। वहां हमें कोई बोरवैल की भी परमिशन नहीं मिलती है। हम इतने परेशान हैं कि पानी लाएं तो लाएं कहां से? मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे वहां पर जितनी भी जीएलआर की टंकी बनी हुई है, उसमें एक बूंद भी किसी गांव में पानी नहीं जा रहा है और सिटी में 72 घंटे में एक बार पानी आता है और वह भी वहां खड़े रहकर मटका भरना पड़ता है नहीं तो वह भी कब चला जाए, किसी को पता नहीं। वह भी प्रति व्यक्ति दस लीटर के हिसाब से जो टैंकर लगा रहे हैं, वह दस लीटर के हिसाब से सरकार खुद कह रही है कि हम प्रतिदिन एक आदमी को दस लीटर पानी देंगे। यह आप खुद सोचिए कि जो गर्मी चल रही है, इस गर्मी में दस लीटर में एक आदमी क्या पीएगा और क्या खाना पकाएगा और क्या वह जीएगा? उसके अलावा वहां पशुपालन है, पशुपालन के माध्यम से हम जी रहे हैं। पशु को हम क्या पानी पिलाएंगे? पशु वहां बिना पानी के मर रहे हैं। परिस्थिति यह है कि जैसे कि सूखा पड़ा हो और सूखे की मार हो, ऐसी परिस्थिति वहां चल रही है फिर भी सरकार कुछ ध्यान नहीं दे रही है।

मैं भी जानता हूं कि धरती के अंदर पानी की बहुत किल्लत है। जमीन में पानी नहीं है लेकिन जो हमारी सी.एम. वसुंधरा जी थीं, नरेन्द्र मोदी जी हैं, उन्होंने राजस्थान के अंदर पानी भेज दिया। नर्मदा का पानी आज वहां है और नर्मदा का जो पानी है, लूरी नदी में व्यर्थ जा रहा है। वह पानी अगर हम गांवों में दे देते हैं तो सिरोही, जालौर जिला और इनका भी जिला कभी प्यासे नहीं रहेंगे। आज मंत्री जी फर्मा रहे थे, स्कूल के बारे में बात कर रहे थे। महोदय, मैं पानी जैसे गंभीर विषय पर बात कर रहा हूं।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: You speak about water only.

श्री देवजी एम. पटेल : महोदय, मैं पानी पर भी बोल रहा हूं। दोनों जिले के अंदर...(व्यवधान) MR. CHAIRMAN: In 'Zero Hour' you have to be very brief. It is not a discussion. You have to cooperate.

श्री देवजी एम. पटेल: दोनों जिले में कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर पानी नहीं है। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: You tell specifically what you want.

… (*Interruptions*)

श्री देवजी एम. पटेल : आज वहां पर हालात ऐसे हो गये हैं कि बच्चे घर में पानी पहले लाकर फिर स्कूल जाते हैं, इतनी वहां पानी की किल्लत है।...(व्यवधान) वे बच्चे क्या पढ़ेंगे? मैं आपके माध्यम से यह चाह रहा हूं कि केन्द्र सरकार एक विशेष पैकेज तैयार करके हमें दें ताकि नर्मदा का पानी हम दोनों जिलों में पहुंचा सकें और स्कूलों में भी पानी पहुंचा सकें। धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: Now, Shri K. Sugumar.

Shri K. Sugumar, you please wait. You give it writing that you want to speak in Tamil. Only then, the translator will come and interpret. Now, the Tamil translator is not there.

SHRI K. SUGUMAR (POLLACHI): Sir, I have already given a notice.

MR. CHAIRMAN: It seems that the translator has not yet come. I will call you afterwards.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: What he speaks has to be recorded. I will call him afterwards.

Now, Shri Nikhil Kumar Choudhary.

श्री निखिल कुमार चौधरी (कटिहार): सभापति महोदय, बिहार राज्य के लोक महत्व के विषय को उठाने का अवसर मुझे मिला है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। राज्य के रूप में बिहार के आने के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। आजादी के पूर्व एवं आजादी के बाद 60 के दशक तक बिहार एक समृद्ध एवं कुशल शासन व्यवस्था का राज्य रहा। उसके बाद के काल खंड में सरकारों के कुप्रबंधन, कुशासन एवं भ्रष्टाचार ने मानव विकास सूचकांक, साक्षरता, निर्धनता आदि की दृष्टि से बिहार को देश के निचले पायदान पर खड़ा कर दिया। हालांकि पिछले 6-7 वर्षों में वर्तमान भाजपा-जदयू सरकार के शासन में बिहार की तस्वीर बदली है। प्रदेश विकास की ओर अग्रसर हुआ है किंतु उसे विकसित राज्य बनने के लिए विशेष राज्य के दर्जे की नितान्त आवश्यकता है।

यह शाश्वत सत्य है कि यदि भारत को विकसित देश बनाना है तो बिहार के विकास के बिना संभव नहीं हो सकता है क्योंकि भारत की आबादी में से बिहार की 10 करोड़ 38 लाख आबादी अविकसित रह जाएगी जिससे भारत के कभी विकसित होने की कल्पना नहीं की जा सकती। हमारे संविधान निर्माताओं ने देश के संविधान में इसकी आवश्यकता सुनिश्चित की हुई है। यदि कोई राज्य, समाज या व्यक्ति विशेष कारणों से पिछड़ा रह गया है तो उसे विशेष संरक्षण देकर विशेष अवसर सरकार प्रदान करेगी जिससे वह

बराबरी की श्रेणी प्राप्त कर सके। इस दृष्टि से बिहार गरीब राज्य की श्रेणी में है तो आवश्यक है कि केन्द्र सरकार विशेष संरक्षण देकर उसे गरीबी से बाहर निकाले।

बिहार के पिछड़े होने के अनेक प्राकृतिक कारण भी विद्यमान हैं। कोई देश या राज्य अपना इतिहास तो बदल सकता है किंतु अपना भूगोल नहीं बदल सकता है। बिहार अपनी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा और तीव्र बाढ़ प्रवरण क्षेत्र होने के कारण विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में आता है। हिमालय के ढ़ालवा क्षेत्र में होने के कारण बाढ़ से प्रतिवर्ष अपूरणीय क्षति तो हीती ही है, विकास की गतिविधियों पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। इसलिए इसे विशेष संरक्षण की आवश्यकता है।

बिहार की भौगोलिक स्थिति, गरीबी, पिछड़ापन, जनसंख्या, घनत्व, प्राकृतिक आपदा आदि के कारण बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, इसके लिए बिहार सबसे उपयुक्त राज्य है। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए।

*SHRI K. SUGUMAR (POLLACHI): Mr. Chairman, Sir, Valparai estate in my constituency has got several hectares of tea plantations run by business conglomerates and corporate houses. Though there have been continuous plantation activity and tea processing, the workers are paid meagerly. The daily wages have to be increased from Rs. 104 to Rs. 145 recently at the instance of our Puratchi Thalaivi Amma who has taken over as the Chief Minister of Tamil Nadu in the last hustings. Considering the high risk factor involved in their occupation due to the presence of wild animals in the estate area, there is still a need and an urge to increase it further to Rs. 300 to be in commensurate with the minimum wages. The Union Government may kindly intervene with its contribution to help the underpaid estate labour. Apart from this, I would like to highlight a greater problem faced by about 1000 tea estate workers who have been working with NEPC and High Forest Estate. The provident fund contribution by the workers have not been properly accounted for and deposited with the banks by these two corporate houses resulting in huge problem caused to the workers who are not able to get the pensionery benefits in the evening of their life. I urge upon the Union Labour Minister to see that suitable action is taken against these two estate owners and come out with a positive intervention measure to see that the poor superannuated estate workers get social security cover in the form of pension and other related benefits.

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): सभापति महोदय, सबसे पहली बात तो यह है की जीरो आवर बहुत महत्वपूर्ण है इसमें संसद सदस्य महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाते हैं और कैबिनेट मंत्री से अपेक्षा रखते हैं कि वे यहां रहकर उस बात को सुनें और प्रापर जवाब दें। अभी यहां कोई कैबिनेट मंत्री मौजूद नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि चेयर इस बारे में सरकार को निदेश जारी करे।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): आपकी बात को यथावत संबंधित मंत्री तक पहुंचा दिया जाएगा।

* English translation of the speech originally delivered in Tamil

योगी आदित्यनाथ: सदन का नियम है कि कोई एक कैबिनेट मंत्री हर समय उपस्थित रहे। जीरो आवर या रूल 377 में जो मुद्दे उठाए जाते हैं उनका प्रापर जवाब माननीय सदस्यों को मिलना चाहिए जो नहीं मिलता है।

महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। उत्तर प्रदेश आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश की आबादी 21 करोड़ है। इसमें 14 महानगर ऐसे हैं जिनकी आबादी दस लाख से ऊपर है और लगभग पांच लाख की आबादी से ऊपर 20 नगर हैं। गोरखपुर उत्तर प्रदेश का प्रमुख महानगर है। जनपद की आबादी लगभग 42 लाख है और वर्तमान में इस महानगर में 12 लाख आबादी निवास करती है। यहां विश्व प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर है। यहां गीता प्रैस, विश्वविद्यालय, मेडिकल और इंजीनियरिंग कालेज, पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय, एयर फोर्स स्टेशन, सशस्त्र सीमा बल का क्षेत्रीय मुख्यालय, गोरखा रेजीमेंट का भर्ती केंद्र, दूरदर्शन केंद्र और आकाशवाणी केंद्र के साथ केंद्र और प्रदेश सरकार के कई कार्यालय संचालित होते हैं। इस कारण यह अत्यंत व्यस्त महानगर है लेकिन यहां आबादी के अनुसार बुनियाद सुविधाओं का नितांत अभाव है। नियमित साफ सफाई, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, ड्रेनेज, सीवेज की व्यवस्था, अवशिष्ट प्रबंधन, सड़कों का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण और स्ट्रीट लाइट आदि ढांचागत विकास की बुनियादी सुविधाएं जो एक नगरीय क्षेत्र में होनी चाहिए, नहीं होने के कारण यह अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र है। जबकि गोरखपुर महानगर पर केवल गोरखपुर जनपद और कमिश्नरी का ही भार नहीं है अपितु पड़ोसी राज्य बिहार और पड़ोसी मित्र राष्ट्र नेपाल की तराई की लगभग पांच करोड़ की आबादी का शिक्षा, व्यापार और स्वास्थ्य और रोजगार का भी भार है। इसके अलावा विश्व प्रसिद्ध बौद्ध केंद्र कुशी नगर, सारनाथ, लुम्बिली, श्रावस्ती आदि का रास्ता गोरखपुर से सभी जगह जाता है। यहां लाखों देशी और विदेशी पर्यटक हर साल आते हैं।

मेरा अनुरोध है कि पांच लाख की आबादी के प्रत्येक कस्बे को भारत सरकार ने जेएनएनयूआरएम के तहत चयन करके ढांचागत विकास के बारे में घोषणा की थी। गोरखपुर की आबादी लगभग 12 से 15 लाख है लेकिन अब तक इसका चयन नहीं हुआ है। यह राजनैतिक भेदभाव है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि गोरखपुर महानगर का चयन जेएनएनयूआरएम के तहत करके ढांचागत विकास के लिए आवश्यक धनराशि स्वीकृत करने का कष्ट करें।

श्री बद्रीराम जाखड़ (पाली): महोदय, आपने मुझे महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं अपने क्षेत्र की समस्या के बारे में बताना चाहता हूं। गांवों में दूर-दूर तक ग्रामीण बैंक नहीं हैं। किसानों को बहुत दूर-दूर तक आना-जाना पड़ता है। इसलिए यह एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं

आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि ग्रामीण बैंक हरेक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर खोला जाए तो उससे ग्रामीण लोगों को फायदा मिलेगा और बैंक के माध्यम से भुगतान भी आराम से होगा।

इसके अलावा मैं आपसे किसानों के बारे में कहना चाहता हूं कि किसानों को ऋण बिना ब्याज के दिया जाए और जो नरेगा के तहत चलने वाले कामों में कार्य कर रहे हैं, उन मजदूरों का भुगतान ग्राम पंचायत बैंक के खुलने से बहुत आसानी से हो सकेगा। मैं यह निवेदन करता हूं कि आज किसानों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा अनाज रखने की बोरियों के बारे में सदन में उठा था। मैं आपसे मांग करता हूं कि किसानों को बिना ब्याज के ऋण दिया जाए और उनके लिए गोदाम बनाये जाएं. जिनके लिए उसमें सब्सिडी दी जाए तो उससे किसानों को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। इन गोदामों में किसान अपना धान, गेहूं और अन्य अनाज रख सकते हैं। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : श्री एम.देवजी पटेल को उपरोक्त मामले के साथ सम्बद्ध किया जाता है।

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): सभापति महोदय, आपने मुझे देश में जल संकट की भयावह समस्या के बारे में आज शून्यकाल में यह मुद्दा उठाने की इजाजत प्रदान की, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। हम सब जानते हैं कि जल ही जीवन है, बिना जल जीवन संभव नहीं है। इस संबंध में कविवर रहीम दास की निम्न पंक्तियां बहुत सटीक हैं - "रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी बिना न जी सकें मोती, मानुष, चून।" आज हमारे सामने जल संकट एक गम्भीर रूप लेकर सामने आ रहा है। जलवायु परिवर्तन के साथ समस्या लगातार विकट होती जा रही है। देश में बड़े बांधों व नहरों का इतने बड़े स्तर पर निर्माण तो किया गया है, लेकिन इन परियोजनाओं पर एक बहुत बड़ी धनराशि खर्च करने के बाद भी जल संकट का समाधान नहीं हो पाया है। क्योंकि बड़े बांधों से नदियों को जो स्थाई क्षति होती है, उसकी भरपाई करना बहुत कठिन है। दूसरे शब्दों में एक समस्या के संदिग्ध समाधान के लिए बहुत सी नई समस्याओं को उत्पन्न करने जैसा मामला नजर आता है। ऐसी योजनाओं की जरूरत है, जिसमें नदियों की सामाजिक पर्यावरणीय भूमिका को निभाने के लिए तथा आसपास के क्षेत्रों के रिचार्ज के लिए जितना जल जरूरी है, कम से कम उतना जल नदियों में बहना चाहिए तथा इसके साथ ही पहले से बने तालाबों व अन्य परम्परागत जल स्रोतों की रक्षा व जीर्णोद्धार करना जरूरी है। साथ ही अच्छी गुणवत्ता के जल संरक्षण कार्य भी बड़े स्तर पर होने चाहिए। नदियों, झीलों व अन्य सभी जल स्रोतों का संरक्षण एवं संवर्धन किया जाना चाहिए।

कृषि को सिचाई के लिए उद्योगों से अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए। साथ ही सिंचाई के पानी की बर्बादी न हो उसे भी देखना चाहिए। ये आज जल संकट से निपटने के सस्ते एवं टिकाऊ तरीके साबित हो

सकते हैं। सरकार से मेरा सुझाव है कि बहुत महंगी विशालकाय परियोजनाओं से धन बचाकर इसी बजट में गांव-गांव में हरियाली बढ़ाने, छोटे-छोटे तालाब व छोटे-छोटे चैक डैम, बोरीबंध बनाने तथा परम्परागत जल स्रोतों का जीर्णोद्धार किया जाए तो इससे जल संकट दूर करने में सहायता मिलेगी और गांव-गांव मे रोजगार सृजन भी होगा।

श्री दानवे रावसाहेब पाटील (जालना): सभापति महोदय, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण मामला सदन में उठाने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि मेरा संसदीय क्षेत्र जालना है और इस क्षेत्र की बड़ी पुरानी मांग है कि जालना से खामगांव का जो रेल मार्ग है, इस रेल मार्ग को जोड़ा जाए। क्योंकि जालना एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, यहां से बीज और स्टील की बड़े पैमाने पर पैदावार होती है और देश के कोने-कोने में यहां से स्टील और बीज जाता है। जालना दक्षिण जोन में आता है और खामगांव सैंट्रल जोन में आता है। यदि जालना और खामगांव सड़क मार्ग हो जाए तो दोनों जोन आपस में जुड़ जायेंगे, ऐसी हमारी मांग है।

आपके माध्यम से मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि जालना एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। आने वाले दिनों में यहां पर बाकी सारे उद्योग आने वाले हैं इस कारण यह होना बहुत जरूरी है। सन् 2011 के बजट में इसके सर्वे के लिए प्रावधान रखा गया था और उसमें 1226 करोड़ रूपये इस रेल मार्ग को बनाने में लगने वाले थे। जो कमेटी यहां पर फार्म की गई थी, इसका रेट ऑफ रिटर्न 0.426 था, ऐसी कमेटी की रिपोर्ट है। यह वायबल रूट है इसी कारण यह रूट होना बहुत जरूरी है। इसी के साथ-साथ मेरे संसदीय क्षेत्र में जलगांव से शोलापुर, औरंगाबाद हो कर जो रास्ता है, इसके सर्वे के लिए भी बजट में प्रावधान था। मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि दोनों ही रेलवे रूटों को बजट में लेकर पूरा किया जाए।

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा (दौसा) : सभापति जी, देश के किसानों की उपज का प्रकरण लोक सभा में चार-पांच दिनों से उठ रहा है और आज भी उस पर गंभीर बहस हुई है। बोरियों की व्यवस्था नहीं है, खरीदने की प्रोपर व्यवस्था नहीं होने के कारण और रख-रखाव की व्यवस्था नहीं होने के कारण पूरे देश के किसानों में भारी आक्रोश और असंतोष व्याप्त है। आपको देखने को मिला है कि बारदाना नहीं मिला तो मध्य प्रदेश में फायरिंग हो गई। यही स्थिति राजस्थान में भी होने वाली है चूंकि उचित व्यवस्था न तो बारदाने की है, न रखने की है, इसलिए वहां भी कभी भी लॉ एण्ड ऑडर की स्थिति बिगड़ सकती है। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ। पर खरीद में जो गड़बड़ हो रही है, किसानों के बीच में जो बिचौलिए आ गए हैं और एक माफिया खड़ा हो गया कि किसान का गेहूं तो बिक नहीं रहा है और बिचौलिए बीच में गेहूं बेच कर उसका फायदा उठा रहे हैं।

राजस्थान में, मेरे संसदीय क्षेत्र में दस प्रतिशत गेहूं बिका नहीं है और 90 प्रतिशत के करीब गेहूं बिचौलिए और माफिया बेच गए। मैं उस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एफसीआई ने अपने सर्क्युलर में लिखा है कि जो भी किसान पहचान पत्र और गिरदावरीं ले कर आएगा, उसका गेहूं लिया जाएगा। लेकिन वहां के खाद्य मंत्री ने एक आदेश जारी कर दिया कि उसके अलावा अगर रॉशन कार्ड, जॉब कार्ड, वाहन लाइसेंस, किसान क्रेडिट कार्ड और पासपोर्ट ले कर भी अगर कोई आएगा तो उसका गेहूं भी ले लिया जाएगा। अब इसमें गड़बड़ क्या हुई? जो कोई पासपोर्ट, राशन कार्ड या और कोई अन्य पहचान पत्र ले आया और उस पहचान पत्र के आधार पर वह गेहूं बेच गया। उसने पैदा तो पांच बीघा गेहूं भी नहीं किया और पचास बीघा का गेहूं बेच कर चला गया। इसमें एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और घोटाला इस ढंग का हुआ है कि मेरे संसदीय क्षेत्र की एक मंडी पड़ती है - लालसोठ और मंडावरी। उस लालसोठ और मंडावरी में जो एफसीआई के अधिकारियों को रिपोर्ट दी गई है, उसमें 22.04.2012 से 27.04.2012 के बीच में केवल 2375 क्वींटल की आवक हुई। जब मैंने उसका अवलोकन किया तो उस मंडी में 55 से 60 हजार के बीच में बोरियां थी। इतना जो गैप हुआ है, इतनी अधिक बोरियां जो पाई गई हैं, उसका कोई हिसाब-किताब नहीं है। दूसरे लोग बीच में पड़ गए। एक ऐसा माफिया पैदा हुआ जिसमें कृषि मंडी के कुछ अधिकारी, एफसीआई के कर्मचारी और कुछ व्यापारियों ने मिल कर बाहर की मंडियों से गेहूं मंगा कर वहां पर बेच दिया।

MR. CHAIRMAN: What is your demand? What do you want to say?

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा : ऐसे तमाम मामले हैं, जिसमें किसान नहीं हैं। प्रत्येक बोरी के 300 से 400 रूपये बिचौलिए खा गए और किसान का गेहूं बिक नहीं पाया। माफिया बीपीएल का गेहूं बेच गए, एपीएल का गेहूं बेच गए हैं और दूसरी मंडियों का गेहूं बेच गए। यहां तक कि एक छोटी सी मंडी के सेंटर पर 23000 क्वींटल का गेहूं एक दिन में खरीद लिया गया। 23000 क्वींटल का गेहूं एक दिन में किसी भी स्थिति में तोला नहीं जा सकता है। इसलिए मैं सरकार से मांग करूंगा कि इस प्रकरण की, जिसमें माफिया बीच में आ गया, जांच कराई जाए। …(व्यवधान)

MR CHAIRMAN: The matter is already raised in morning. The hon. Minister has replied it. You say what you want.

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा : मंत्री तो बात कर रहे हैं। बड़े शर्म की बात है कि मंत्री इतने महत्वपूर्ण मुद्दे को भी नहीं सुन रहे हैं। आप स्वयं देख लीजिए कि तीनों आपस में बात कर रहे हैं। आप इनसे पूछ लीजिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। हरीश रावत जी तो अब भी हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। एफसीआई के अधिकारियों ने घपला किया है। माफिया और व्यापारियों से मिल कर गेहूं बेच दिया। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि एफसीआई

के अधिकारियों की मिलीभगत के कारण मेरे संसदीय क्षेत्र में और राजस्थान में जो घपला हुआ है, उसकी जांच की जानी चाहिए। धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: Shri Ashok Argal is allowed to associate with the matter raised by Dr. Kirodi Lal Meena.

श्री अशोक अर्गल (भिंड): महोदय, मैं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-92 के विषय में बात रखना चाह रहा हूं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या भिंड से ग्वालियर, भिंड से इटावा, इसका बीओटी में निर्माण हो रहा है। इसका निर्माण डेढ़ साल से चल रहा है। जो निर्माण कंपनी है, उसने नियमों का बिल्कुल भी पालन नहीं किया है। इस सड़क ने बहुत से लोगों को बीमार कर दिया है।

महोदय, मैं सत्य बता रहा हूं कि यदि इसकी जांच करायी जाए तो लाखों लोग बीमार निकल सकते हैं। जो भी रोड बनते समय वहां से गुजरा है, उसका पूरा शरीर धूल से बिगड़ गया है। कहीं भी पानी नहीं डाला गया, वहां 48-48 घंटे रोड जाम रहा है। कहीं भी डायवर्जन ठीक से नहीं बनाये गए। वहां प्रतिदिन वाहन जाम में फंसते थे। यह स्थिति पैदा हो गयी थी।

महोदय, गरोत एक विधान सभा क्षेत्र है, वहां पर सिटी से रोड निकलती है, वहां चार लेन की रोड बनानी चाहिए, लेकिन चार लेन की रोड नहीं बनायी। महगांव में जहां रोड बनायी, वहां रोड मकानों से पांच-पांच फीट ऊंची बना दी। भिंड में आने के बाद फोर लेन नहीं बनायी। यह स्थिति है। मैं यह चाहता हूं कि जहां शहर से रोड निकल रही है, वहां चार लेन की रोड बननी चाहिए। यह रोड गारंटी के साथ बीस साल के लिए बनायी जा रही है, बीस साल तक उस ठेकेदार की गारंटी रहेगी। महोदय, बीस साल में कितना ट्रैफिक बढ़ेगा। आज भी यदि सर्वे कराया जाए, तो उस मार्ग का ट्रैफिक फोर लेन का है, लेकिन वहां फोर लेन नहीं बनायी गयी है।

महोदय, मैं केंद्र सरकार से चाहता हूं कि भिंड को, महगांव को, गरोत को, मालनपुर को, फुल्क का पूरा जो सिटी का हिस्सा है, इसे फोर लेन किया जाए। जहां रोड की ऊंचाई पांच-पांच, छह-छह फुट कर दी है, उसको सड़क के सही लेवल पर लाया जाए। जो अनियमिततायें ठेकदार द्वारा, कंपनी द्वारा हुयी हैं, उसकी जांच करायी जाए और जितनी उसने अनियमिततायें की हैं, उससे उसकी राशि वसूल की जाए।

श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे (गडचिरोली-चिमूर): महोदय, महाराष्ट्र राज्य का गडचिरोली-चिमूर संसदीय क्षेत्र का जिला मुख्यालय गडचिरोली रेलवे नेटवर्क से जुड़ा हुआ नहीं है। यह अति पिछड़ा हुआ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। गडचिरोली जिला मुख्यालय के वरसा से रेलवे लाइन जोड़ने की मांग पिछले काफी समय से की जा रही थी, जिसे केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है। वर्ष 2010-11 के रेलवे बजट में इस रेलवे लाइन का प्रावधान भी किया गया है, लेकिन अब तक इस रेलवे लाइन के निर्माण कार्य में कोई प्रगति नहीं

हुयी है। इस रेलवे लाइन का वरसा से गडचिरोली की दूरी 45 किलोमीटर है। इस संबंध में मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि यह क्षेत्र नक्सलाइट से बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। इसका एक प्रमुख कारण इस क्षेत्र का अविकसित होना ही है। यदि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करके वहां के लोगों को राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ने का सतत प्रयास किया जाये तो नक्सल की समस्या से काफी हद तक निबटा जा सकता है। अतः मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि वह विगत रेल बजट में स्वीकार की गयी गडचिरोली-वरसा रेल लाइन की वरीयता देखकर इसका निर्माण कार्य शीघ्र आरम्भ कराये और इस हेतु आवश्यक कार्रवाई करे।

श्रीमती दर्शना जरदोश (सूरत): महोदय, सरकार को बताने के लिए आपके माध्यम से ही मुझे यह सौभाग्य प्राप्त होता है। सूरत जैसे बड़े शहर से मैं यहां चुनकर आयी हूं। कनेक्टिविटी रेल और एयरपोर्ट के अलावा तो मुझे कुछ चाहिए नहीं, लेकिन आज जो राइट टू एजुकेशन बिल पास हुआ, तो मैं आज एक नेशनल इश्यू के ऊपर बात करना चाहूंगी। कई लोग इसे समस्या मानते भी न होकर उसके दूरगामी एवं समग्र देश के भविष्य के संदर्भ में उसके परिणाम हो सकते हैं। आज तकनीक का विकास इस कदर हो रहा है, जिसके आधार पर यह तय होता है कि आज दुनिया में कौन सा देश कितना आगे है।

<u>19.00 hrs</u>

वैसे तो मैं आई.टी. कमेटी की सदस्य हूँ। नेशनल सोशल नैटवर्किंग साइट्स पर कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार को सोचना चाहिए। इस समस्या के दूरगामी परिणामों पर तो हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज हमारे बच्चे भी इंटरनैट के आदी हो चुके हैं। उस संख्या को ध्यान में रखते हुए गेमिंग सैक्टर एक बड़ी इंडस्ट्री बन गया है। एक एजेन्सी के अंदाज़े के मुताबिक भारतीय गेमिंग इंडस्ट्री जो 2006 में 4.80 करोड़ डॉलर की थी, आज 2010 तक 42.40 करोड़ डॉलर की हो गई है। शायद आगामी दिनों में यह 20 प्रतिशत से भी ज्यादा प्रतिशत के हिसाब से विकसित होगी। 2015 तक मोबाइल गेमिंग उद्योग 25 से 30 प्रतिशत के हिसाब से विकसित होने की संभावना विशेषज्ञों द्वारा जताई जाती है। इसके फायदे हैं लेकिन इससे देश में होने वाले दुष्परिणाम भी चिन्ता का विषय हैं। एक समय था कि हमारे दादा-दादी पोते को रामायण और महाभारत की कथा सुनाया करते थे। प्रगति के साथ बच्चों के हाथ में फैन्टम, मैन्ड्रैक आए और अब कंप्यूटर गेमिंग आते ही सारा चित्र बदल गया है। जो बच्चे एक समय कंप्यूटर पर आर्केड, स्पेस या स्पाइडरमैन की गेम खेलते थे, वे आज विकृत मानसिकता वाली गेम्स का रास्ता लेने लगे हैं। आज तक जो पात्र गेमिंग में बच्चों को अच्छे लगते थे, आज उन्हीं पात्रों के वस्त्रहरण करने वाली गेम्स बाज़ार में आ गई

हैं। आज '*हेन्ताइ*' के प्रकार की गेम्स से बाज़ार भरे पड़े हैं। जैपनीज़ में '*हेन्ताइ*' का मतलब होता है विकृति। यह विकृति गेम्स ज्यादातर ऑनलाइन होने की वजह से हमारे देश का कोई नियंत्रण उनके ऊपर नहीं है और जिन देशों के सर्वर से ये खेली जाती हैं, वहाँ उन्हें कानूनी दर्जा मिला हुआ है। इन गेम्स से जातीयता को बढ़ावा मिलता है, हिंसा की मानसिकता को बढ़ावा मिलता है और हमारे देश के संस्कारों एवं मूल्यों के विपरीत संस्कारों को बढ़ावा देने जैसे कई दुष्परिणाम हैं। दूसरा, बच्चे एक बार गेम्स खेलना शुरू करने के बाद घंटों कंप्यूटर के सामने बिताने लगते हैं। कई घरों में तो माँ-बाप को पता तक नहीं होता कि बच्चे क्या कर रहे हैं। देश में इसके बढ़ते हुए उपयोग को ध्यान में रखते हुए आगामी दिनों में यदि कुछ नहीं किया गया तो इसके दुष्परिणाम अगले पाँच-छः सालों में इस देश को भुगतने पड़ेंगे। मेरी आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से विनती है कि इस पर तुरंत एक ग्रुप बनाएँ जिसमें देश के सभी क्षेत्रों के विशेषज्ञ हों और इस समस्या से निपटने के लिए एक ठोस रणनीति तैयार की जाए।

DR. RAM CHANDRA DOME (BOLPUR): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for allowing me to raise an important issue of public importance. This is concerning a really serious issue for the people of our country.

Yesterday, the Standing Committee on Health and Family Welfare has presented two Reports in this House, namely, the 58^{th} and 59^{th} Reports of the Standing Committee, which are related to the functioning of an important institution, namely, the Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO) and serious indictment has been made by the Standing Committee of Health and Family Welfare on CDSCO regarding their functioning.

In the recent past, about 33 new drugs have been approved by the CDSCO -- between January 2008 and October 2010 -- without undergoing adequate clinical trial for safety on human beings before marketing them. For example, one drug called Letrozole is an anti-cancer drug, which is being marketed by a multi-national company originally meant for treatment of breast cancer. But surprisingly, that drug is being used in our country as a fertility drug to treat infertility in young women in our country. This drug has proven side-effects on the reproductive system like chromosomal abnormalities leading to congenital anomaly of the babies.

Surprisingly, these sorts of drugs get approved bypassing the prescribed norms of the Government. It indicates that officials of CDSCO seem to have colluded with private commercial interests of the multinational pharma industries thereby compromising the health of hundreds and thousands of people in our country.

So, I urge upon the Government to take stringent action against those involved in this scam. Sir, three hon. Ministers are here and I want a response from them on this issue. It is really a national concern. Let the Minister respond on this issue. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: During 'Zero Hour', you can raise the issue, and it is up to them to respond.

श्री मंगनी लाल मंडल (झंझारपुर): सभापति महोदय, देश को पूर्व से पश्चिम तक जोड़ने के लिए गुजरात के सौराष्ट्र से असम के सिलचर तक पूर्व-पश्चिम महामार्ग का राजमार्ग चतुर्थ लेन बनाया जा रहा है। बिहार में एन.एच. की कई सड़कें हैं, लेकिन एनएच 57 दरभंगा से फारबीसगंज तक हमारे जिले और क्षेत्र से गुजरता है। मुख्य समस्या यह है कि उस पर कोसी महासेतु का निर्माण हुआ है और इसका विधिवत उद्घाटन भी हो चुका है, लेकिन इससे जुड़ी निर्माणाधीन सड़कों का बहुत ही धीमी गति से, कछुआ चाल से निर्माण हो रहा है। महासेतु का विधिवत उद्घाटन हो जाने के बावजूद भी सड़कों का परिचालन नियमित रूप से नहीं हुआ है। अर्द्धनिर्मित या निर्माणाधीन सड़कों में जो यातायात अभी प्रारम्भ भी हुआ है, उस कारण कुछ महत्वपूर्ण स्थान ऐसे हैं जहां क्रास रोड हैं जैसे भुतहा है, फूलपरास है, खोपा चौक है, संग्राम है ऐसी जगहों पर कोई नियमित व्यवस्था डीपीआर के तहत नहीं की गई थी जिससे आने वाले दिनों में खतरे की सम्भावना प्रबल है, जिसे टाला नहीं जा सकता है, बल्कि दुर्घटना का खतरा और बढ़ गया है। जहां-जहां अस्पताल है, जैसे फूलपरास में रेफरल अस्पताल है, वैसे जो दूसरे अस्पताल हैं, वहां या तो अंडरपास देना चाहिए था या ऊपरी पुल दिया जाना चाहिए था, लेकिन उसकी व्यवस्था नहीं की गई है। नरहिया बाजार है, बहुत कहने के बाद अंडर पास तो बनाया गया, लेकिन भुतहा हो या नवटोली हो, नरहिया हो, फूलपरास हो, खोपा हो, संग्राम हो या दूसरी जगह हो, जो डीपीआर के मुताबिक सर्विस रोड का निर्माण किया जाना था, वह नहीं किया गया है। मैंने पिछले तीन वर्षों में कई बार माननीय मंत्री जी को पत्र लिख कर उनका ध्यान आकृष्ट किया है कि अगर ऊपरी पुल या अंडर पास नहीं दिया गया या सर्विस रोड का निर्माण नहीं किया गया, जहां-जहां भी अस्पताल, कब्रिस्तान या ईदगाह है, वहां सड़क से दूसरी तरफ जाने

की व्यवस्था नहीं की गई, तो आने वाले दिनों में बहुत भयंकर दुर्घटनाएं हर जगह हो सकती हैं। इसके साथ जिन लोगों की जमीन ली गई है, जिन लोगों का मकान लिया गया, जिन लोगों की व्यावसायिक दुकान तोड़ी गई, उनका मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। निर्माण करने वाली एजेंसी ने प्रशासन के मेल से लोगों का मकान, दुकान तोड़ दी, जमीन ले ली, लेकिन उसका मुआवजा नहीं मिला। यहां तक कि जिनका पंचाट से निर्णय भी हो गया, माननीय उच्च न्यायालय, पटना ने जिसका न्याय निर्णय दे दिया है, उसका भी एनएचएआई का जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है या दूसरे पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा है, इसलिए बहुत तबाही मची हुई है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि मुआवजे का भुगतान किया जाए, सर्विस रोड का निर्माण किया जाए, अंडर पास बने, ऊपरी पुल बने और जो डीपीआर के माध्यम से एनएच-57 का सकरी से लेकर भुतहा चौक पूर्ण निर्माण अब तक नहीं हुआ है, उसके निर्माण में गतिशीलता लाई जाए।

SHRI RAVNEET SINGH (ANANDPUR SAHIB): Sir, I wish to apprise the House of a burning issue of declining share of Punjab in the UT of Chandigarh's administrative set up. At the time of reorganization of Punjab State on 1st November, 1966, administration of Chandigarh, although a Union Territory, was more or less handed over to the joint control of Punjab and Haryana on 60:40 basis and Punjab was given 60 per cent share in the Chandigarh's administration.

It is important to mention here that at that time there was no provision of direct recruitment of Government staff to create UT cadre. But I am sad to say that such arrangement has been violated over a period of time, thus, diluting the share of Punjab in the Chandigarh administration.

Earlier, all departments stood distributed between the Finance Secretary and the Home Secretary, drawn from among the Punjab and Haryana cadre officers. Dilution of Punjab's share started with the recruitment of staff by the UT administration and also because of wresting the charge of important departments such as education and health from Punjab officers and given to other UT cadre officers.

In 1966, out of 13 important positions in the Chandigarh administration, nine were held by Punjab cadre officers but now this has been reduced to just three.

Sir, it is due to considerations defying logic and sense, that the scales in regard to the staff are being tilted against the interests of Punjab.

Lastly, it is clear that the administration of UT has tinkered with the arrangements made for the administration of Chandigarh. I feel deeply concerned about the declining share of Punjab cadre officers in the affairs of Chandigarh administration. More than being a UT, Chandigarh is also the Capital of Punjab. Therefore, I appeal to the Central Government to intervene and rectify the problem, at the earliest.

I also request that since Chandigarh came up on the land of Punjab, the Punjab State should be given a 60 per cent share in the revenue collections from Chandigarh, as a matter of right. I am very thankful to you for giving me time to speak.

MR. CHAIRMAN: I am willing to give one minute to everyone to speak. But you should be brief.

SHRI C. RAJENDRAN (CHENNAI SOUTH): Sir, I would like to bring a very important issue of national security to the notice of the Government for taking immediate corrective action.

India's Central Armed Police Force consists of CRPF, BSF, ITBP, CISF, Assam Rifles and Sasashtra Seema Bal. The personnel serving the cause of the nation in these forces discharge their duties with utmost devotion to duty and dedication. But the sorry state of affairs is that nearly 50,000 jawans from these forces have left service during the last five years. Apart from this, there are cases of resignation, suicides and fratricides. CISF has the highest number of deaths due to other reasons. This paints a very dismal picture of the service conditions existing in India's paramilitary forces.

According to Union Home Ministry's own assessment, VRS cases are very high over the years in all these forces. The main reason for this is that the Government has not been able to address the problems of men like providing

conducive and motivated work environment. There is lack of job satisfaction and high levels of stagnation.

When they are staying away from their families for long periods of time, to serve the nation, it is our duty to take care of all their requirements. The personnel are better equipped mentally, better exposed in the fields and better trained physically than the officers of these forces.

Therefore, there needs to be a better career progression, liberal transfer policy, better grievance redressal mechanism with humane approach. Hence, I request the Government to take immediate action to mitigate this situation.

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): सभापति महोदय, आपकी बहुत-बहुत मेहरबानी। मेरी अपनी कंस्टीट्यून्सी में एक बड़ा लम्बा डिस्ट्रिक्ट है। यह एन.एच.-1 में आता है। किश्तवाड़, डोडा, भद्रवाह, बठोत होते हुए इधर जम्मू से कठुआ तक का वह क्षेत्र है। कंस्ट्रक्शन की वजह से यहां लगातार एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। कहीं-कहीं रास्ते में इन्होंने ढेर लगा दिए हैं। साथ में, इन्होंने यह भी कहा था कि हम आपको मोबाइल एम्बुलेंस देंगे और साथ में क्लेम भी देंगे।

महोदय, वहां इतनी बुरी हालत है कि जम्मू-कश्मीर में जो टोटल आठ-नौ हजार डेथ्स हुई हैं, उसमें मेरी अकेली कंस्टीट्युन्सी में पांच हजार लोग एक्सीडेंट्स से मरे हैं। महोदय, यह बहुत बड़ी बात है। इसमें पूरी की पूरी बस कभी 54 लोगों की तो कभी 35 लोगों की, वे पूरी की पूरी चेनाब में चली जाती हैं। There is no proper arrangement. अभी तक हमें डैड बॉडीज़ भी वहां नहीं मिली हैं। मैं जनाब से कहना चाहता हूं कि सरकार हमारी उस रोड पर 10 एम्बुलेंस और क्रेन का इन्तजाम करे।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, जंतर-मंतर पर सोमवार सात तारीख से पांच दिनों का धरना जारी है। धरना किस वास्ते है? धरना इसलिए है कि जो देश के जरूरतमंद बुजुर्ग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब आदमी हैं, आम आदमी हैं, जो 60 वर्ष पूरे कर चुके हैं, बुजुर्ग हो गये हैं, उनको कम से कम तीन हजार रुपये की पैंशन दी जाये। अभी जंतर-मंतर पर कौन लोग एकत्र हैं, देश के उत्कृष्ट समाजसेवी, सिविल सोसायटी के लोग, एन.जी.ओ. के लोग, श्रीमती अरुणा राय की तरह अनेक बुद्धिजीवी, बड़े-बड़े हाई इंटलेक्चुअल सब लोग वहां हजारों की संख्या में सात तारीख से धरने पर हैं और 10-11 तारीख तक धरने पर रहेंगे। पांच दिनों तक यह धरना वहां होगा।

भगवान बुद्ध ने आज से 2500 वर्ष पहले कहा था, "Seven virtues of *Vajjians* leading not to decline." सात धर्मों का जहां पालन होगा, उस सोसायटी की तरक्की होगी, उसकी अवनति नहीं

होगी। उन सात धर्मों में एक धर्म है कि जो समाज अपने बुजुर्गों का, अपने उम्रदराज लोगों का सम्मान करेगा, उनका कहा मानेगा, उस समाज की तरक्की होगी, उसकी अवनति नहीं होगी, इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस देश के भी जो बुजुर्ग हैं और जो तमाम जरूरतमंद लोग हैं, किसान, मजदूर और अन्य गरीब लोग हैं, उनको बुजुर्गों की सम्मान पैंशन, सामाजिक सुरक्षा पैंशन कम से कम तीन हजार रुपये माहवार दी जाये, तब माना जायेगा कि हिन्दुस्तान हमेशा तरक्की करेगा, भगवान बुद्ध के वचन के हिसाब से इसकी अवनति नहीं होगी।

श्री बदरुद्दीन अजमल (धुबरी): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए शुक्रिया।

हज का सीजन बिल्कुल करीब आ चुका है। मैंने लिखकर दिया है कि असम में अभी 2500 से ज्यादा लोगों को पासपोर्ट नहीं मिला है। पूरे हिन्दुस्तान से शिकायत आ रही है कि लोगों को पासपोर्ट टाइम पर नहीं मिल रहा है। इससे हजारों लोग पूरे हिन्दुस्तान में हज से वंचित हो जाएंगे, इसलिए मेरी आपसे रिक्वैस्ट है कि इस मामले में मिनिस्ट्री इंटरफियरेंस करे और लोगों का टाइम बढ़ाये। इसमें सबसे बड़ी जो शिकायत है, वह अफसोस की बात है कि हज जैसे पवित्र काम पर जाने वाले लोगों से भी 10-10 हजार, 15-15 हजार, 20-20 हजार रुपये लोग बीच में घूस मांग रहे हैं, उनसे रिश्वत मांग रहे हैं, जो गरीब कहां से ला पाएंगे, इसलिए इसको फौरन बन्द किया जाये, पासपोर्ट इश्यू करने का काम पूरा कराया जाये और उनके टाइम को बढ़ाया जाये।

नम्बर दो-अभी असम में जो घटना हुई है, हमारे यहां जो नाव डूबी है, उसमें 350 लोग मरे हैं। वहां यह बहुत इम्पोर्टेंट है कि धुबरी-फुलवाड़ी ब्रिज बहुत दिनों से अटका हुआ है, उसको जल्द से जल्द शुरू किया जाये।

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): आदरणीय सभापति महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। देश का सबसे बड़ा आयुर्विज्ञान क्षेत्र में कार्यरत दुनिया भर में विख्यात ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैडीकल साइंसेज़ जिस उद्देश्य से स्थापित किया गया था, उससे हट कर एक करप्शन का अड्डा बन गया है। एम्स में गरीबों की सेवा करने के स्थान पर पैसे वालों का इलाज करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। एम्स की सेवा पर कई तरह के यूज़र चार्जेज़ लगाये जा रहे हैं एवं प्रत्येक जांच के लिए मरीजों को कई-कई महीनों का लम्बा इन्तजार करना पड़ता है तथा दिल्ली के बाहर सुदूरवर्ती क्षेत्रों से आने वाले रोगियों को कई दिक्कतों का सामना करने के साथ-साथ ऑपरेशन हेतु तारीख पर तारीख देकर सालों बाद ऑपरेशन किया जाता है, जिसके कारण कई मरीज काल के गाल में समा जाते हैं। उनका इलाज सही ढंग से नहीं हो पाता है तथा नाना प्रकार के टैस्ट बाहर से करवाने के लिए कहा जाता है।

दूसरी ओर उप-निदेशक द्वारा एम्स के सौंदर्यीकरण, लग्जरी कारों, कार्यालयों व आवास पर करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि स्वास्थय मंत्रालय के रिटायर्ड लोगों को एम्स में सलाहकार के पदों पर इन्होंने नियुक्त किया है, यानि जो पैसा गरीबों के इलाज के लिए एवं बीमारी के अनुसंधान पर खर्च होना चाहिए था, वह ये लोग अपनी सुख-सुविधा पर खर्च कर रहे हैं। इन सारे कार्यों में डी.डी.ए. ने अपने पद का दुरुपयोग किया है, जिससे वित्तीय अनियमितता परिलक्षित होती है।

मुझे खेद है कि सरकार को इस बात की जानकारी रहने के बावजूद आज तक इस सम्बन्ध में कोई कार्रवाई नहीं की गई। स्वास्थ्य मंत्री जी का लोकहित के इस तरह के महत्वपूर्ण विषय पर रवैया ढुलमुल है, इसलिए मेरा सदन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि इस प्रकार के अधिकारी को तुरंत निलंबित कर इनके कार्यकाल की उच्चस्तरीय जांच एक कमेटी द्वारा करायी जाए तथा एम्स को गरीबों के इलाज करने के लिए जो कार्य हैं उनकी समीक्षा की जाए, क्योंकि इस अधिकारी ने एम्स को अमीर आदमी के लिए बना दिया है।

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): सभापति महोदय, साउथ अंडमान के फरहरगंज तहसील में कुछ गांव हैं, जैसे मीठाखारी, नमूनाघर हैं, वहां गरीब भाइयों ने सरकारी जमीन पर सिर छिपाने के लिए अपना आशियाना बनाया था। उन्होंने यह इनक्रोचमेंट बहुत साल पहले किया था, यह बहुत पुराना है, लेकिन हाल ही में फरहरगंज का तहसीलदार इन गरीबी भाइयों के मकान, बगीचा आदि को बिना नोटिस दिए हुए तोड़ रहा है और एविक्शन कर रहा है, जबकि कानून के मुताबिक नोटिस देना जरूरी है। भारत सरकार की एनडीए गवर्नमेंट ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट ने मार्च, 1993 तक जिन्होंने इनक्रोचमेंट किया, उनको बिजली देने का आर्डर किया था। जो अमीर लोग हैं, जो पॉलिटिकल नेता लोग हैं, उन्होंने वहां के गांव अनिकेत, कैटलगंज, मथुरा, सोल्वे, शैतानखाड़ी आदि में तीस-चालीस एकड़ जमीन का इनक्रोचमेंट किया, लेकिन उसे नहीं तोड़ा जा रहा है। गरीब लोगों का घर और बगीचा तोड़ रहे हैं। दिल्ली सरकार ने वर्ष 2002 तक जो कॉलोनीज का इनक्रोचमेंट हुआ था, उनको रेग्युलराइज्ड किया। हमारी मांग है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो इनक्रोचमेंट वर्ष 2002 तक हुआ, उनको एलॉटमेंट करके पट्टा दिया जाए और एविक्शन करना बंद किया जाए।

MR. CHAIRMAN: The House stands adjourned to meet tomorrow, the 10th May 2012 at 11 a.m.

19.22 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, May 10, 2012/Vaisakha 20, 1934 (Saka).